प्रकाशक :
दी स्टूडेन्ट्स बुक कम्पनी
जयपुर जोधपुर

प्रथम संस्करण १९५८
द्वितीय संस्करण १९५९

मूल्य १ रु० ५० न. पै.

मुद्रक :
प्रमोद को-ऑपरेटिव प्रिंटर्स

द्वितीय संस्करण की भूमिका

पुस्तक का द्वितीय संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण प्रस्तुत करते हुए लेखक उन सभी का आभार प्रदर्शन करते हैं, जिन्होने इस पुस्तक को अपनाया है और फलस्वरूप यह पुस्तक अब नये रूप में आ सकी।

इस संस्करण में यत्र-तत्र नवीनतम संबन्धित आंकड़े व सूचनाओं का समावेश किया गया है। 'राजस्थान में भूमि सुधार' शीर्षक से एक नया अध्याय और जोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट में आर. ए. एस. परीक्षा, बी. ए (अर्थशास्त्र तृतीय प्रश्न पत्र) और हायर सेकेन्ड्री की विभिन्न परीक्षाओ में पूछे गये संबन्धित प्रश्नो को भी सम्मिलित कर लिया गया है। बी. काम. व इंटर कामर्स के विभिन्न विषयो की सन् १९५९ की परीक्षाओ में पूछे गये प्रश्नो को और जोड़ दिया गया है।

आशा है, पुस्तक अब अपने नये रूप में अधिक लाभप्रद हो सकेगी। पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के हेतु परामर्श एवं सुझाव देने के लिए सबको निमंत्रण है।

कैलाश बहादुर सक्सेना
विश्वनाथ हुक्कू

१५ अगस्त, १९५९]

द्वितीय संस्करण की भूमिका

पुस्तक का द्वितीय संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण प्रस्तुत करते हुए लेखक उन सभी का आभार प्रदर्शन करते हैं, जिन्होने इस पुस्तक को अपनाया है और फलस्वरूप यह पुस्तक अब नये रूप में आ सकी।

इस सस्करण में यत्र-तत्र नवीनतम संबन्धित आंकड़े व सूचनाओं का समावेश किया गया है। 'राजस्थान में भूमि सुधार' शीर्षक से एक नया अध्याय और जोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट में आर. ए. एस. परीक्षा, बी. ए (अर्थशास्त्र तृतीय प्रश्न पत्र) और हायर सेकेन्ड्री की विभिन्न परीक्षाओ में पूछे गये संबन्धित प्रश्नों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। बी. काम. व इंटर कामर्स के विभिन्न विषयो की सन् १६५६ की परीक्षाओ में पूछे गये प्रश्नो को और जोड़ दिया गया है।

आशा है, पुस्तक अब अपने नये रूप में अधिक लाभप्रद हो सकेगी। पुस्वक को अधिक उपयोगी बनाने के हेतु परामर्श एवं सुझाव देने के लिए सबको निमत्रण है।

कैलाश बहादुर सक्सेना
विश्वनाथ हुक्कू

१५ अगस्त, १६५६]

प्रस्तावना

राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य रहा है, क्योंकि पहले सामन्तवादी शासन के अन्तर्गत इसके आर्थिक साधन कभी भी एकत्रित एवं संगठित नहीं किए जा सके। देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् राजस्थान का निर्माण हुआ। राजस्थान सरकार जनसहयोग से राज्य का विकास करने के लिए कटिबद्ध है।

राजस्थान के नागरिक होने के कारण हम सबको अपने राज्य के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है। राजस्थान विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं—विशेषतः बी. कॉम. द्वितीय खण्ड तथा इण्टर वाणिज्य के अनिवार्य प्रश्न-पत्र, आर्थिक एवं वाणिज्य भूगोल, बी. कॉम., बी. ए., इण्टर वाणिज्य एवं कला के आर्थिक लेख के प्रश्न-पत्रों में भी राजस्थान से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाते है। इनके अतिरिक्त आर. ए. एस. की परीक्षा में भी राज्य से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाते है। अतः प्रस्तुत पुस्तक इसी दृष्टिकोण से लिखने का प्रयास मात्र है।

समस्त सूचनाएं एवं आंकड़े अधिकृत तथा सरकारी सूत्रों से लिए गये हैं ताकि पुस्तक प्रामाणिक बन सके। राजस्थान के सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते है जिनके विभिन्न प्रकाशनों से सामग्री स्वतन्त्रतापूर्वक ली गई है।

पुस्तक के सम्बन्ध में जो विद्वान अपनी सम्मति प्रेषित करेंगे अथवा अधिक उपयोगी बनाने के लिए परामर्श देंगे, उनके प्रति लेखक आभारी रहेंगे।

कैलाश बहादुर सक्सेना
विश्वनाथ हुक्कू

१ अक्टूबर, १९५८ ई०]

विषय-सूची

अध्याय : एक

राजस्थान का परिचय

स्थिति व विस्तार—राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति २३°३' से ३०°१२' उत्तरी अक्षांशों तथा ६९°३०' से ७८°१७' पूर्वी देशान्तरो के मध्य है[1]। इसका आकार विषम-कोण चतुर्भुज के समान है। यह राज्य पूर्व से पश्चिम तक ५४० मील और उत्तर से दक्षिण तक ५१० मील है। राजस्थान का वर्तमान क्षेत्रफल १,३२,१४८ वर्ग मील है[2] है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका तृतीय स्थान है जो निम्न-लिखित तालिका[3] से स्पष्ट है :—

राज्य		क्षेत्रफल
बम्बई ...	...	१,९०,६६८ वर्ग मील
मध्य प्रदेश	...	१,७१,२५० वर्ग मील
राजस्थान	...	१,३२,१४८ वर्ग मील

सीमा—राजस्थान के उत्तर में पंजाब; पूर्व में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश; दक्षिण में मध्य प्रदेश और बम्बई राज्य और पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान के सिंध व भावलपुर राज्य हैं। पाकिस्तान के साथ राज-स्थान की सीमा लगभग ७३० मील तक मिली हुई है। ऊपर बतलाया गया है कि राजस्थान का आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है तथा इसके कोण उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में क्रमशः बीकानेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा व धौलपुर की बाह्य सीमाएँ हैं[3]।

1—The Imperial Gazetteer of India, vol. XXI तथा India at a Glance, p. 564 published by Orient Longmans Ltd.

2—'India, 1959' p. 451

3—India 1959, p. 16

राजस्थान में पश्चिम और उत्तर में जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर; पूर्व व दक्षिण-पूर्व मे जयपुर, भरतपुर, धोलपुर, करौली, बूंदी, कोटा व झालावाड़ हैं; दक्षिण में प्रतापगढ़, बांसवाडा, डूंगरपुर व उदयपुर हैं; और दक्षिण-पश्चिम में सिरोही है। मध्य में हृदय की भाति अजमेर है।

राजस्थान की प्राकृतिक उत्पत्ति—राजस्थान की प्राकृतिक उत्पत्ति के सम्बन्ध में भूगोल विशेषज्ञो की दो प्रमुख विचार-धाराएँ हैं। उनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है।

प्रथम—विचारधारा के अनुसार सैकड़ो वर्ष पूर्व इस समस्त भाग में टेथिस सागर विस्तृत था। शनैः-शनैः सागर पीछे हटता गया, भूमि ऊपर आती गई, जिसके परिणामस्वरूप आज भी राजस्थान के अधिकाश भाग में बालू रेत ही दृष्टिगोचर होती है। इसके अतिरिक्त इस कथन का इस तथ्य का उल्लेख करके भी पुष्टि की जाती है कि सांभर झील इस समुद्र का ही एक भाग है जो कि किसी समय इस समस्त भाग में विस्तृत था। इस प्रकार जब समुद्र के स्थान पर भूमि हो गई तो मनुष्य पड़ोस के देशों से आकर यहा निवास करने लगे।

द्वितीय—विचारधारा यह है कि सैकडो व हजारो वर्ष पूर्व यह बड़ा उन्नत एवं विकसित भाग था तथा यह भी कहा जाता है कि ऋग्वेद, यहाँ प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के किनारे बैठ कर लिखा गया था। यह नदी कालातर में राजस्थान के रेगिस्तान में शुष्क होकर विलीन हो गई, वर्षा क्रमशः कम होती गई, भूमि के उपजाऊपन में क्षीणता आ गई। यह प्रदेश इतना अच्छा था कि अनेक ऋषि-मुनि सरस्वती व अन्य नदियों के किनारे ईश्वर-चिंतन किया करते थे। सीकर जिले में हर्षगाव के निकट 'चतुर्धारा' (चार धाराओं का संगम) नामक स्थान है, जो इस भाग में नदियों की विद्यमानता की पुष्टि करता है। इस प्रकार पानी की बाहुल्यता एव भूमि के उपजाऊ होने के कारण अन्य देशो एवं अन्य भागो से मनुष्य आकर यहा बस गये। वे नदिया अपने डेल्टे बनाती रही—जिस प्रकार आज गगा नदी व सिंध नदी आदि बना रही हैं—और अन्त में वे सूख गईं और केवल रेत ही शेष रह गई।

राजस्थान की राजनैतिक उत्पत्ति—'राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम टॉड ने किया था।

तत्कालीन राजपूताने (वर्तमान राजस्थान) का अतीत इतिहास ज्ञात करने के लिए प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। जयपुर के निकट बैराठ में अशोक सम्राट (ईसा से लगभग २५० वर्ष पूर्व) के समय के दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनसे अनुमान किया जाता है कि अशोक का राज्य पश्चिम की ओर राजस्थान के इस भाग तक अवश्य था।

इतिहास प्रसिद्ध, चीन का यात्री ह्वेन चाग (सन् ६२६ से ६४५) जब भारत में आया था, उस समय राजस्थान (तत्कालीन राजपूताना) चार प्रमुख भागो में विभक्त था जो कि गुर्जर (पश्चिमी राज्य, बीकानेर और शेखावाटी का भाग), वदारी (दक्षिणी व कुछ मध्य राजस्थान के राज्य); बैराठ (जयपुर, अलवर तथा टौंक का एक भाग); और मथुरा (भरतपुर, धौलपुर व करौली) राज्यों में विभक्त था। उज्जैन के राज्य में कोटा, झालावाड़ तथा टौंक का कुछ भाग सम्मिलित था।

सातवीं शताब्दी के आरम्भ से ग्यारहवी शताब्दी तक अनेक राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। गहलोत—जो कि आजकल सिसोदिया कहलाते हैं—गुजरात से यहां आये और मेवाड के दक्षिणी-पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया; उनका शिला-लेख सन् ६४६ का राजस्थान में पाया गया है। इनके कुछ वर्षों पश्चात् परिहार वंश के लोग आये और जोधपुर के निकट मंडोर में राज्य करने लगे। आठवी शताब्दी में चौहान व भाटी वंश के लोग आये जो कि क्रमशः सांभर व जैसलमेर में बस गये। सबके पश्चात् परमार और सोलंकी वश आये जो दक्षिण-पश्चिम में शक्तिशाली होने लगे। चौहान वंश धीरे-धीरे दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व में सिरोही, बूंदी और कोटा की ओर बढने लगे। सन् ११२८ के लगभग कछवाहा वंश ग्वालियर से आया और जयपुर में रहने लगा। तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में कन्नौज से राठौर वंश आया और मारवाड में रहने लगा। झालावाड़ का झाला राज्य सन् १८३८ में स्थापित हुआ। भरतपुर, धौलपुर आदि में जाट वंश ने प्रभुत्व जमा लिया। अंग्रेजों के कृपापात्र एवं कठपुतली प्रसिद्ध सरदार अमीरखा को टौंक रियासत वाला क्षेत्र सन् १८१७ में दे दिया गया।

इतने प्राचीन इतिहास को छोड़कर, अब केवल नवीनतम इतिहास का ही संक्षेप में परिचय देंगे।

वर्तमान राजस्थान की स्थापना होने के पूर्व यह 'राजपूताना' कहलाता था जिसमें अजमेर-मेरवाड़ा के अतिरिक्त २० रियासतें सम्मिलित थीं। राजस्थान का निर्माण निम्नलिखित छः चरणों[1] में हुआ:—

(१) राजस्थान राज्य के निर्माण में राज्यों के विलयनकरण का आरम्भ १७ मार्च १९४८ को भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा अलवर राज्य से हुआ। इन राज्यों का एकीकरण किया जाकर 'मत्स्य संघ' का निर्माण हुआ। महाराजा धौलपुर इस संघ के राजप्रमुख बनाये गये थे। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल ७,५३६ वर्ग मील था और राजधानी अलवर थी।

(२) द्वितीय चरण में, एक सप्ताह पश्चात्, अर्थात् २५ मार्च १९४८ को नौ रियासतों—बासवाडा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टौंक—को मिलाकर राजस्थान का निर्माण किया गया। वास्तव में, राजस्थान संघ के निर्माण में यही प्रथम एव दृढ कदम था। महाराव कोटा इस संघ के राजप्रमुख तथा महारावल डूंगरपुर उप-राजप्रमुख बनाए गये।

(३) १८ अप्रैल १९४८ को उदयपुर राज्य भी इस संघ में सम्मिलित हो गया और अब इसका नाम 'संयुक्त राजस्थान संघ' हो गया। वर्तमान राजस्थान के निर्माण के लिए मार्ग भी यहीं से प्रशस्त होता है। भारत के प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। महाराणा उदयपुर राजस्थान संघ के राजप्रमुख तथा महाराव कोटा उप-राजप्रमुख बनाये गये।

1—India at a Glance p. 534 published by Orient Longsmans Ltd., Basic Statistics Rajasthan 1957. p. 1; 1958 Hindustan Year Book, p. 751; राजस्थान परिचय ग्रन्थ, पेज ३३, और, हमारे देश का आर्थिक व व्यापारिक भूगोल by सक्सेना एवं कुक्कू, के आधार पर।

(४) ३० मार्च सन् १९४९ को वृहत् राजस्थान संघ की स्थापना बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर राज्यों—जो राजपूताने के बड़े, महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली राज्य थे—को मिलाकर की गई। राजधानी जयपुर रखी गई व जयपुर नरेश महाराजप्रमुख बनाए गये।

(५) लगभग १॥ महीने के पश्चात्, १५ मई १९४९ को मत्स्य संघ भी वृहत् राजस्थान संघ में मिला दिया गया। वृहत् राजस्थान के क्षेत्रफल में २६ जनवरी १९५० को पुनः वृद्धि हुई जब सिरोही राज्य इसमें मिलाया गया।

(६) इस प्रकार २५ जनवरी १९५० से १ नवम्बर १९५६ तक राजस्थान संघ में पहले का सम्पूर्ण राजपूताना सम्मिलित रहा। १ नवम्बर १९५६ को राज्यों का पुनर्गठन हुआ और राजस्थान में अजमेर-मेरवाड़ा, आबू तहसील एवं सुनेलटप्पा क्षेत्र सम्मिलित कर दिये गये और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र मध्यप्रदेश में मिला दिया गया। यह हमारे राजस्थान का वर्तमान रूप है। नीचे की तालिका से राजस्थान निर्माण की झलक स्पष्ट होगी:—

राजस्थान-निर्माण[1]

क्रम संख्या	स्थापित हुए संघ का नाम	स्थापना तिथि	सम्मिलित हुए राज्यों के नाम	क्षेत्रफल (वर्गमील)
१.	मत्स्य	१७.३.४८	१. अलवर ...	.... ३,१५८
			२. भरतपुर	... १,९७८
			३ धौलपुर ...	.... १,१७३
			४ करौली	.... १,२२७
२	राजस्थान	२५.३.४८	१. बांसवाड़ा	.... १,९४६
			२. बूंदी ...	.... २,२०५
			३. डूंगरपुर ...	.... १,४६०
			४. झालावाड़	.... ८२४
			५. किशनगढ़	... ८३७
			६. कोटा ...	... ५,७१४
			७ प्रतापगढ़ ...	.... ८७३
			८. शाहपुरा ...	.... ४०५
			९. टोंक	.... २,५६३

1—Basic Statistics Rajasthan, 1957 P. 1

क्रम संख्या	स्थापित हुए संघ का नाम	स्थापना तिथि	सम्मिलित हुए राज्यो के नाम	क्षेत्रफल (वर्गमील)
३.	सयुक्त राजस्थान (२+३)	१८.४.४८	१. उदयपुर	....१३,१७०
४.	वृहत् राजस्थान संघ (२+३+४)	३०.३.४६	१. बीकानेर ...	...२३,१८१
			२. जयपुर ...	....१५,६३०
			३. जैसलमेर	....१५,६८०
			४. जोधपुर ...	....३६,१२०
५.	वृहत राजस्थान सघ (१+२+३+४)	१५.५.४६	१. मत्स्य	
६.	राजस्थान	२६.१.५०	१. सिरोही ...	.... १,६२२
७.	राजस्थान (पुनर्संगठित) १+२+३+४+६+७	१.११.५६	१. अजमेर ...	.... २,४१७
			२. आबू	.... ३०४
			३. सुनेलटप्पा....	.... १५०
			४. सिरोंज (मध्य प्रदेश मे सम्मिलित)	.... ८५०

प्रशासनिक विभाग
(Administrative Divisions)

शासन-व्यवस्था की दृष्टि से राजस्थान पाच विभागों (Divisions) और २६ जिलों में बाट दिया गया है। इन विभागो का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है।

(१) जोधपुर विभाग—इस विभाग में पहले की जोधपुर, जैसलमेर और सिरोही रियासतें सम्मिलित हैं। इस विभाग में ७ जिले हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली और सिरोही। इस विभाग का क्षेत्रफल लगभग ५२ हजार वर्ग मील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विभाग सबसे बड़ा है।

(२) अजमेर विभाग—इस विभाग में पहले की अलवर, जयपुर, भरतपुर व टोंक रियासतें सम्मिलित हैं। इस विभाग में ८ जिले हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझनूं, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक। इस विभाग का क्षेत्रफल लगभग २७२७८ वर्ग मील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में दूसरा बड़ा विभाग है।

(३) बीकानेर विभाग—यह विभाग पहले की बीकानेर रियासत है। इसमें तीन जिले हैं—बीकानेर, चूरू और गंगानगर। इस विभाग का क्षेत्रफल २३,६४२ वर्गमील है, अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से इस विभाग का तीसरा स्थान है।

(४) उदयपुर विभाग—यह विभाग पहले की मेवाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और शाहपुरा रियासतें मिलाकर बनाया गया है। इस विभाग में ५ जिले हैं—उदयपुर, चित्तौड़गढ, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस विभाग का क्षेत्रफल १८,२७६ वर्गमील है और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका चौथा स्थान है।

(५) कोटा विभाग—इस विभाग में कोटा, बूंदी और झालावाड़ रियासतें सम्मिलित की गई हैं। इस भाग में तीन जिले हैं जिनके नाम भी यही हैं, अर्थात् कोटा, बूंदी और झालावाड़। इस विभाग का क्षेत्रफल ६३४४ वर्गमील है। अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विभाग सबसे छोटा है और इसका पाचवा स्थान है।

अध्याय : दो

प्राकृतिक दशा

वर्तमान राजस्थान की गणना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्यों में की जाती है। राज्य का क्षेत्रफल १,३२,१४८ वर्गमील है। इतने बड़े क्षेत्रफल के होने के कारण राज्य की प्राकृतिक दशा सर्वत्र समान नहीं है। एक ओर पहाड़ है तो दूसरी ओर मैदान, एक ओर रेगिस्तान है तो दूसरी ओर लहलहाते हुए मैदान। मैदान, पहाड़, पठार, रेगिस्तान, प्राकृतिक झीलें आदि विषमताओं से परिपूर्ण राज्य भारत में राजस्थान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। यदि यह कह जाय कि राजस्थान प्रकृति की कला का नमूना है तो कदाचित अतिशयोक्ति न होगी।

अरावली पर्वत शृङ्खला (जो राज्य के दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर चला गया है) ने राजस्थान को वास्तव में दो भागों में विभक्त कर दिया है—उत्तरी-पश्चिमी भाग और दक्षिणी-पूर्वी भाग। राजस्थान का लगभग ३/५ भाग उत्तरी-पश्चिमी भाग में है और शेष २/५ भाग दक्षिणी-पूर्वी भाग में है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य का उत्तरी-पश्चिमी भाग, दूसरे भाग (दक्षिणी-पूर्वी भाग) से बड़ा है। उत्तरी-पश्चिमी भाग शुष्क एवं अधिकांश रेगिस्तानी है; दक्षिणी-पूर्वी भाग में मैदान एवं पठार हैं। इस प्रकार, स्थूल रूप से राजस्थान के निम्नलिखित चार प्राकृतिक भाग हैं:—

१. रेतीला भाग—उत्तरी-पश्चिम में;

२. पहाड़ी भाग—लगभग मध्य में अरावली शृङ्खला;

३. मैदानी भाग—अरावली के पूर्व में; और

४. पठारी भाग—दक्षिण-पूर्व में।

१. रेतीला भाग—यह भाग राजस्थान के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। यह रेतीला भाग अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल से सिन्ध (पश्चिमी पाकिस्तान) तक विस्तृत है। इस भाग में बालू रेत ही है तथा स्थान-स्थान पर बालू रेत के टीले, जो 'धोरे' कहलाते हैं बालू की पहाड़ियो की भाति दिखाई देते है। ये
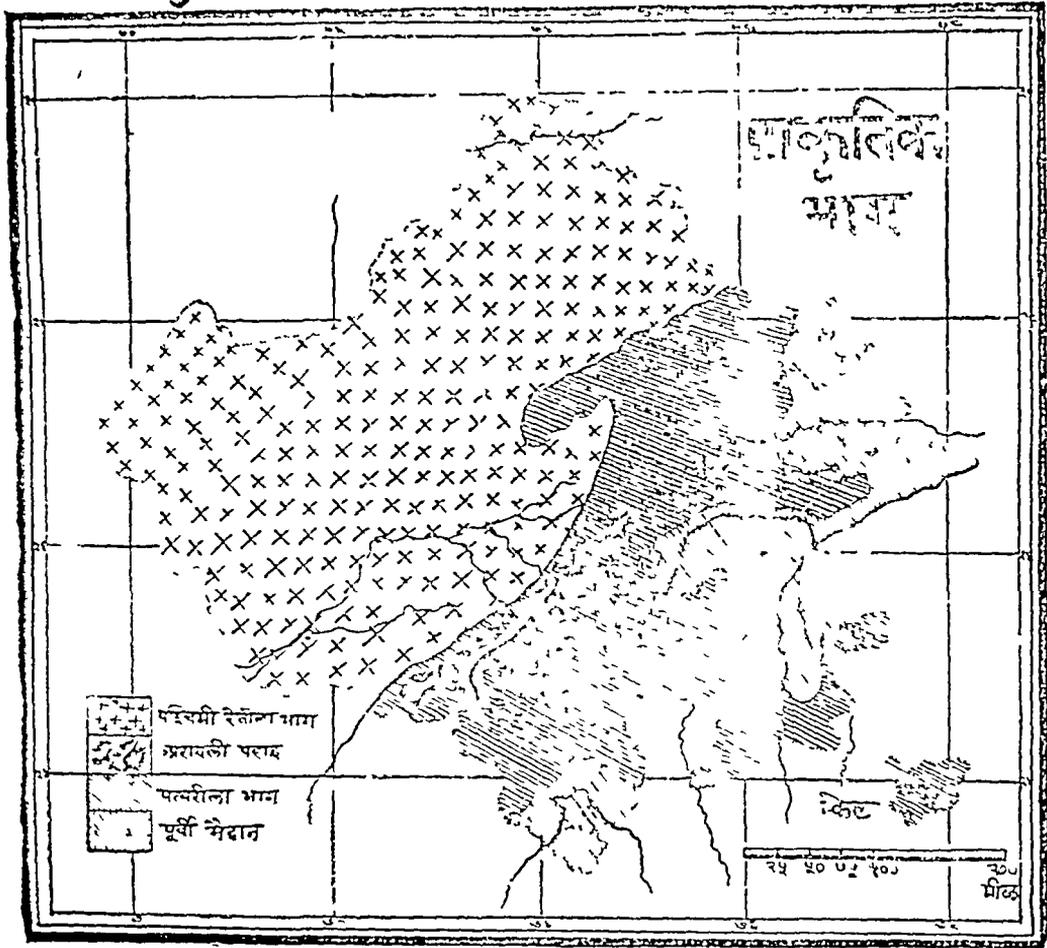
चित्र संख्या १—अधिकांश भाग रेगिस्तानी है।

टीले स्थायी नहीं हैं और वायु के साथ-साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कभी-कभी तो एक घण्टे से भी कम अवधि में ये अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं।

इस भाग में जोधपुर डिवीजन और बीकानेर डिवीजन के अधिकांश भाग सम्मिलित हैं। राजनैतिक दृष्टि से इस मरुस्थली भाग में बीकानेर, चूरू, नागौर, गङ्गानगर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, पाली और बाड़मेर जिले सम्मिलित हैं। इस भाग में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग ५७.८ प्रतिशत भाग है व कुल जनसंख्या का लगभग ३० प्रतिशत भाग इस ही क्षेत्र में निवास करता है*।

इस भाग में गरमी बहुत ही अधिक पड़ती है। गर्मियों में आंधियों व अंधड़ों का जोर रहता है। वर्षा बहुत कम होती है। ज्यों-ज्यों उत्तर अथवा पश्चिम की ओर जाते हैं, वर्षा प्रायः नहीं के बराबर मिलती है। मीलों तक पानी कहीं नहीं मिलता है। कुंए बहुत ही कम हैं। कुओं में पानी २००-३०० फीट की गहराई पर मिलता है। अरावली पर्वत के निकटवर्ती भागों में साधारण खेती की जाती है। इस प्रकार इस भाग में खेती केवल नाम-मात्र को ही होती है। उद्योग-धन्धों का अभाव है। पशुओं में ऊँट ही महत्वपूर्ण पशु है। स्पष्ट है कि इस भाग में मनुष्यों का जीवन बहुत ही कठिन है अतः जनसंख्या बहुत ही कम है। लूनी इस भाग की प्रमुख व सबसे बड़ी नदी है जो वर्षा के बाद शुष्क हो जाती है।

२. पहाड़ी भाग—इस भाग में अरावली पर्वत है जो राजस्थान के लगभग मध्य में दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर फैले हुए हैं। अरावली पर्वत की श्रेणिया दक्षिण-पश्चिम में सिरोही से आरम्भ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक तो प्रायः श्रृङ्खलाबद्ध हैं, किन्तु छोटी-छोटी श्रृङ्खलाओं में दिल्ली तक विस्तृत है। भूगोल के विद्वानों का मत है कि अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। जिस समय हिमालय पर्वत का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे भी पहले ये पर्वत विद्यमान थे।

अजमेर से आबू तक यह पर्वत श्रेणी अटूट है किन्तु आगे इसकी श्रृङ्खला अनेक स्थानों पर टूट गई है। अरावली पर्वत की औसत ऊँचाई तीन हजार फीट है और लम्बाई लगभग ४३० मील है। विस्तार की दृष्टि से,

* Census of India 1951, Vol. X Part I A p. 6

राजस्थान के प्राकृतिक भागो में यह सबसे छोटा भाग है क्योंकि इस भाग में राज्य की ६·३ प्रतिशत भूमि व लगभग १४ प्रतिशत जनसया निवास करती है *। राजस्थान के सिरोही, बासवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर जिले इस ही भाग में हैं। इस भाग में वर्षा अच्छी हो जाती है, अतः जनसंख्या भी रेतीले भाग की अपेक्षा अधिक है।

अरावली पर्वत की प्रमुख श्रृंखला को दो भागो में विभक्त किया जा सकता है।

(क) सिरोही से साभर झील तक की श्रृंखला;

और, (ख) साभर झील से सिंघाने (खेतड़ी के निकट) तक की श्रृंखला।

(क) सिरोही से सांभर झील तक की श्रृंखला—यह श्रृंखला अपेक्षाकृत अधिक ऊंची एवं चौड़ी है। यह मेवाड़ और मारवाड़ कमिश्नरियो को पृथक करता है। इस पर्वत-श्रृंखला में अनेक ऊची चोटियां है जिनमें ये प्रमुख हैं:—गुरुशिखर अथवा आबू (५,६५०), कुम्हलगढ़ (उदयपुर) गौरम (३०७५ फीट), और तारागढ़ (२,८५५) अजमेर में। इस श्रृंखला में अनेक प्राकृतिक दर्रे हैं जिनको 'नाल' कहते हैं। इनमें से 'देसूरी नाल' और 'हाथी दर्रा नाल' मुख्य हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्राचीनकाल में मेवाड़ और मारवाड़ के लोग इन दर्रों द्वारा आवागमन करते थे।

(ख) सांभर झील से सिंघाने तक की श्रृंखला—यह श्रृंखला साभर झील से उत्तर-पूर्व सिंघाने तक गई है। यह श्रृंखला प्रथम श्रृंखला (सिरोही से साँभर झील तक) से कम ऊंची, कम चौड़ी और अधिक टूटी हुई है। इस श्रृंखला से नदिया भी बहुत कम निकलती हैं, क्योंकि इधर वर्षा कम होती है। इस पर्वत-श्रृंखला में तीन ऊंची चोटिया हैं—रघुनाथगढ़ (३,५०० फीट), हर्ष मालकेतु और लोहागर्ल। सिंघाने से यह श्रृंखला दक्षिण की ओर अलवर जिले में चली गई है।

हिमालय व नीलगिरी पर्वत (दक्षिण भारत) के मध्य आबू पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है।

---

* वही।

इस भाग में जोधपुर डिवीजन और बीकानेर डिवीजन के अधिकाश भाग सम्मिलित है। राजनैतिक दृष्टि से इस मरुस्थली भाग में बीकानेर, चूरू, नागौर, गङ्गानगर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, पाली और बाडमेर जिले सम्मिलित हैं। इस भाग में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग ५७८ प्रतिशत भाग है व कुल जनसख्या का लगभग ३० प्रतिशत भाग इस ही क्षेत्र में निवास करता है*।

इस भाग में गरमी बहुत ही अधिक पड़ती है। गर्मियों में आधियों व अंधड़ो का जोर रहता है। वर्षा बहुत कम होती है। ज्यों-ज्यों उत्तर अथवा पश्चिम की ओर जाते हैं, वर्षा प्रायः नहीं के बराबर मिलती है। मीलों तक पानी कहीं नही मिलता है। कुंए बहुत ही कम हैं। कुओं में पानी २००-३०० फीट की गहराई पर मिलता है। अरावली पर्वत के निकटवर्ती भागों में साधारण खेती की जाती है। इस प्रकार इस भाग में खेती केवल नाम-मात्र को ही होती है। उद्योग-धन्धों का अभाव है। पशुओं में ऊँट ही महत्वपूर्ण पशु है। स्पष्ट है कि इस भाग में मनुष्यों का जीवन बहुत ही कठिन है अतः जनसंख्या बहुत ही कम है। लूनी इस भाग की प्रमुख व सबसे बड़ी नदी है जो वर्षा के बाद शुष्क हो जाती है।

२. पहाड़ी भाग—इस भाग में अरावली पर्वत हैं जो राजस्थान के लगभग मध्य में दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर फैले हुए हैं। अरावली पर्वत की श्रेणिया दक्षिण-पश्चिम में सिरोही से आरम्भ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक तो प्रायः श्रृङ्खलाबद्ध हैं, किन्तु छोटी-छोटी श्रृङ्खलाओ में दिल्ली तक विस्तृत है। भूगोल के विद्वानो का मत है कि अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। जिस समय हिमालय पर्वत का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे भी पहले ये पर्वत विद्यमान थे।

अजमेर से आबू तक यह पर्वत श्रेणी अटूट है किन्तु आगे इसकी श्रृङ्खला अनेक स्थानो पर टूट गई है। अरावली पर्वत की औसत ऊँचाई तीन हजार फीट है और लम्बाई लगभग ४३० मील है। विस्तार की दृष्टि से,

---

* Census of India 1951, Vol. X Part I A p. 6

राजस्थान के प्राकृतिक भागो में यह सबसे छोटा भाग है क्योकि इस भाग में राज्य की ६'३ प्रतिशत भूमि व लगभग १४ प्रतिशत जनसंया निवास करती है * । राजस्थान के सिरोही, बासवाडा, डूंगरपुर व उदयपुर जिले इस ही भाग में हैं । इस भाग में वर्षा अच्छी हो जाती है, अतः जनसख्या भी रेतीले भाग की अपेक्षा अधिक है ।

अरावली पर्वत की प्रमुख श्रृंखला को दो भागो में विभक्त किया जा सकता है ।

(क) सिरोही से साभर झील तक की श्रृंखला;

और, (ख) साभर झील से सिंघाने (खेतड़ी के निकट) तक की श्रृंखला ।

(क) सिरोही से सांभर झील तक की श्रृंखला—यह श्रृंखला अपेक्षाकृत अधिक ऊंची एवं चौड़ी है । यह मेवाड़ और मारवाड़ कमिश्नरियो को पृथक करता है । इस पर्वत-श्रृंखला में अनेक ऊंची चोटियां है जिनमें ये प्रमुख हैः—गुरुशिखर अथवा आबू (५,६५०), कुम्हलगढ़ (उदयपुर) गौरम (३०७५ फीट), और तारागढ़ (२,८५५) अजमेर में । इस श्रृंखला में अनेक प्राकृतिक दर्रे हैं जिनको 'नाल' कहते हैं । इनमें से 'देसूरी नाल' और 'हाथी दर्रा नाल' मुख्य हैं । यह उल्लेखनीय है कि प्राचीनकाल में मेवाड़ और मारवाड़ के लोग इन दर्रों द्वारा आवागमन करते थे ।

(ख) सांभर झील से सिंघाने तक की श्रृंखला—यह श्रृंखला साभर झील से उत्तर-पूर्व सिंघाने तक गई है । यह श्रृंखला प्रथम श्रृंखला (सिरोही से साँभर झील तक) से कम ऊंची, कम चौड़ी और अधिक टूटी हुई है । इस श्रृंखला से नदिया भी बहुत कम निकलती हैं, क्योंकि इधर वर्षा कम होती हैं । इस पर्वत-श्रृंखला में तीन ऊंची चोटिया हैं—रघुनाथगढ़ (३,५०० फीट), हर्ष मालकेतु और लोहागर्ल । सिंघाने से यह श्रृंखला दक्षिण की ओर अलवर जिले में चली गई है ।

हिमालय व नीलगिरी पर्वत (दक्षिण भारत) के मध्य आबू पर्वत सबसे ऊचा पर्वत है ।

---

* वही ।

अरावली पर्वत से लाभ

राजस्थान को अरावली पर्वत से अनेक लाम हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं:—

(१) **नदियां**—अरावली पर्वत से अनेक नदियां निकलती हैं। यद्यपि समस्त नदिया वर्षा ऋतु के पश्चात् सूख जाती हैं किन्तु अब अनेक नदियों पर बाध बनाये जा रहे हैं जिनमें इनका पानी एकत्रित किया जावेगा और फिर नहरे निकाल कर सिंचाई होगी जिससे कृषि का क्षेत्र बढ़ेगा और खाद्यान्न व अन्य उपज में वृद्धि होगी।

(२) **वन**—अरावली पर्वत की ढालो पर अनेक भागों में घने जंगल हैं व अनेक भागों में साधारण जंगल हैं। इन जंगलो की सम्पदा का अभी तक ठीक उपयोग नहीं हो रहा है। इस समय जलाने के लिए लकड़ी बहुतायत से प्राप्त की जा रही है।

(३) **चरागाह**—अरावली पर्वत की ढालों एवं नीचे की भूमि पर चरागाह मिलते हैं। इन चरागाहो में भेड़, बकरियाँ, गाय पशु चरते हैं।

(४) **वर्षा**—समुद्र की ओर से आने वाली हवाओ को थोड़ी बहुत रोकने के लिये केवल यही एक पर्वत श्रेणी राजस्थान में है।

(५) **खनिज**—अरावली पर्वत बहुत प्राचीन है, अतः इसके क्षेत्र में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। यद्यपि उन खनिज पदार्थों का अभी राजस्थान में पूर्ण उपयोग नही हो पा रहा है, किन्तु आशा है राज्य के आशाप्रद औद्योगिक विकास में इनका अत्यन्त महत्वपूर्ण योग होगा।

(६) **ग्रीष्म स्थान**—अरावली पर्वत की गुरुशिखर अथवा आबू ग्रीष्म-ऋतु में अनेक व्यक्तियों का आकर्षण केन्द्र रहता है। इस कारण यहा होटल उद्योग को भी प्रोत्साहन मिला है।

(७) **प्रहरी**—यह प्रकृति के विरुद्ध ही प्राकृतिक प्रहरी है राजस्थान के पश्चिम भाग से बालू रेत के टीलो को पूर्वी भाग में नहीं बढ़ने देता है। इस प्रकार रेगिस्तान के प्रसार के रोकने में सहायक हुआ है।

३. **मैदानी भाग**—अरावली पर्वत के पूर्व में राजस्थान का मैदानी भाग है। यह मैदान आगे गंगा व यमुना के मैदान तक चला गया है। इस भाग में अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, झुंझुनू तथा भीलवाड़ा जिले हैं। सम्पूर्ण राज्य के २३.३ प्रतिशत भाग में यह मैदानी प्रदेश विस्तृत है। इस विभाग में राजस्थान की ४३ प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

यद्यपि सीकर व झुंझुनू जिलो में अपेक्षाकृत जनसंख्या कम है किन्तु शेष भागों में जनसंख्या बहुत घनी है। वास्तव में राजस्थान का यही भाग सबसे अधिक घना बसा हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह मैदान प्रायः समतल है और यहा अच्छी मात्रा में वर्षा हो जाती है। इस भाग से प्रमुख व्यवसाय कृषि है। पशु चराने का व्यवसाय भी महत्वशील है। औद्योगिक दृष्टि से भी यह भाग अपेक्षाकृत अधिक विकसित है।

४. **पठारी भाग**—राजस्थान का दक्षिणी-पूर्वी भाग पठारी है। यह हाड़ौती के पठार के नाम से विख्यात है। आगे चल कर यह पठार मालवा के पठार से मिल जाता है। इस भाग में चित्तौड़, झालावाड़, बूंदी और कोटा जिले हैं। यह प्रदेश राजस्थान के ९.६ प्रतिशत भाग में विस्तृत है तथा इसमें लगभग १२ प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

इस प्रदेश में वर्षा अच्छी हो जाती है किन्तु जमीन पठारी होने के कारण कृषि का क्षेत्र बहुत कम है। चंबल, बनास व बाणगगा इस भाग की मुख्य नदिया हैं।

राजस्थान की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ

अरावली पर्वत का विवरण हम पीछे दे चुके हैं। जयपुर व अलवर नगर के निकट भी पहाड़ हैं। भरतपुर क्षेत्र में स्थानीय महत्व की पर्वत श्रेणी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अलीपुर है जो १,३५७ फीट ऊची है। इनके दक्षिण में करौली की पहाड़िया हैं जो कि कही भी १,६०० फीट से ऊंची नहीं है। दक्षिण पश्चिम में नीची किन्तु लगातार (अर्थात् टूटी हुई नही) पर्वत-श्रेणी है जो मांडलगढ़ (उदयपुर में) से उत्तर-पूर्व की ओर बूंदी को पार करती हुई

कोटा में इन्द्रगढ के निकट तक जाती है। इन पहाड़ियों के दक्षिणी-पूर्वी ढाल लगभग २५ मील तक बिल्कुल सीधे हैं और मार्गों के लिए खुले हुए भाग प्रायः नहीं हैं।

मुकन्दवाड़ा पर्वत श्रेणी चंबल से कोटा के दक्षिणी-पश्चिम भाग में होती हुई झालरापाटन से आगे तक जाती है।

इनके अतिरिक्त अन्य कोई पर्वत-श्रेणी उल्लेखनीय नहीं है, किन्तु यह ध्यान रहे कि केवल मरुस्थली भाग के अतिरिक्त प्रायः सम्पूर्ण राजस्थान में छोटी-मोटी पहाड़िया हैं। जोधपुर के दक्षिण-पश्चिम में बाडमेर के निकट दो पर्वत श्रेणियाँ हैं जो लगभग २,००० फीट ऊँची हैं।

राजस्थान की प्रमुख नदियां

राजस्थान जैसे शुष्क भागो में नदियों का विशेष महत्व है। राज्य में बड़ी तथा वर्ष पर्यन्त प्रवाहित होने वाली नदियों का अभाव ही है। राज्य की नदियों में वर्षा-ऋतु में तो पर्याप्त जल रहता है किन्तु बाद में वे शनैः शनैः शुष्क हो जाती हैं। इन नदियो के किनारे पर कुएँ खोद लिए जाते हैं, जिनकी सहायता से सिंचाई की जाती हैं। आजकल विभिन्न नदियों के पानी को रोक कर बाध आदि बनाए जा रहे है जिससे सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा व जल विद्युत का भी निर्माण किया जावेगा। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित हैं :—

१. **चंबल**—चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मावती है। इसका उद्गम स्थान विंध्याचल पर्वत हैं। यह मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इन्दौर व सीतामऊ के निकट बहती हुई राजस्थान के कोटा डिवीजन में प्रवेश करती है, तत्पश्चात धौलपुर के निकट बहती हुई उत्तर-प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है।

चम्बल नदी की लम्बाई लगभग ६५० मील व अधिकतम चौड़ाई लगभग २४०० फीट है। वर्षा ऋतु में तो इस नदी में पर्याप्त पानी रहता है किन्तु गर्मियों में पानी बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार राजस्थान में प्रवाहित होने

वाली केवल एक यही नदी ऐसी है जिसमें वर्ष-पर्यन्त थोड़ा बहुत पानी रहता है। आजकल इस नदी पर कोटा के निकट बाध बनाए जा रहे है।

२. बनास नदी—महत्व की दृष्टि से चम्बल के बाद बनास नदी का स्थान है। इस नदी का उद्गम उदयपुर डिवीजन में कुम्भलगढ के निकट अरावली पर्वत में है। इस नदी की लम्बाई लगभग ३०० मील है। अरावली पर्वत के दक्षिणी-पूर्वी ढालों और मेवाड़ के पठार का पानी इसमें एकत्रित होकर बहता है। यह पहले उत्तर-पूर्व में बहती है और बाद में टोंक के पास आते-आते दक्षिण की ओर मुड जाती है। आगे चलकर यह चम्बल नदी में मिल जाती है। कोठारी, खारी, माशी, ढ़िल और मोरेल नदियाँ बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ है।

३. लूनी नदी—राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी भाग में केवल लूनी नदी ही महत्वशील है। इसका उद्गम स्थान अजमेर के निकट पुष्कर घाटी में नाग पहाड है*। यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा जोधपुर डिवीजन में दक्षिण-पश्चिम की ओर लगभग २०० मील प्रवाहित होती हुई कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। लूनी नदी की अनेक सहायक नदियाँ हैं जिनमें सूकड़ी, जोजरी व जवाई नदिया उल्लेखनीय हैं। यह उल्लेखनीय है कि अरावली पर्वत के पश्चिम में बहने वाली केवल यही एक नदी है।

४. माही नदी—यह नदी अरावली पर्वत के दक्षिणी भाग से निकलती है। आगे चलकर डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा व बासवाड़ा के मध्य प्रवाहित होती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और फिर खम्भात की खाड़ी में गिर जाती है।

५. घग्गर नदी—किसी समय यह बीकानेर राज्य के उत्तरी भाग में होकर प्रवाहित होती थी, किन्तु अब यह हनुमानगढ (बीकानेर डिवीजन) के पश्चिम में एक दो मील दूर है। इसका जल दो नहरों—जो सन् १८६७ में तत्कालीन बीकानेर दरबार व भारत सरकार ने सयुक्त व्यय से बनवाई थी—द्वारा सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है।

* Imperial Gazetteer of India, Vol. XXI, p. 86

६. बाण गङ्गा—यह नदी जयपुर जिले में बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी की लम्बाई लगभग २३५ मील है। यह नदी पूर्व की ओर बहती हुई भरतपुर में प्रवेश करती है। इसके पश्चात् यह नदी थोड़ी दूर तक भरतपुर व उत्तर-प्रदेश की सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। अन्त में फतेहाबाद (आगरा जिला) के निकट यमुना नदी में मिल जाती है।
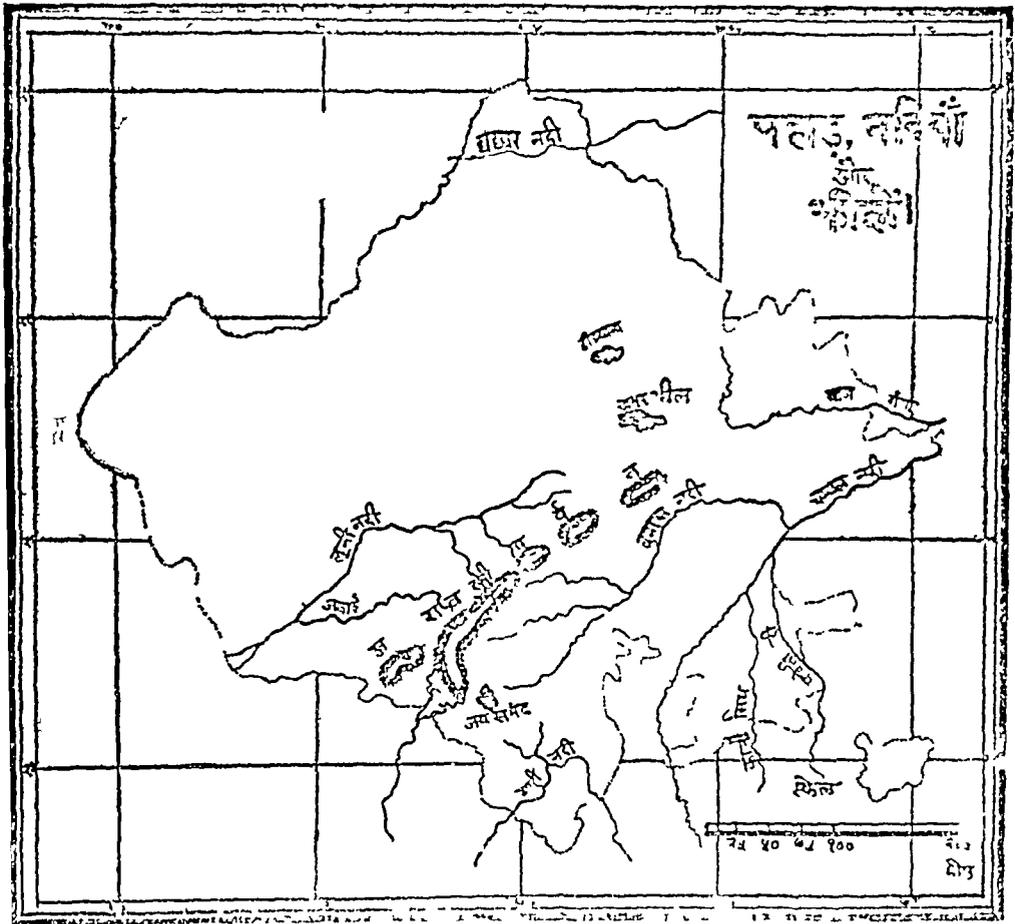
७. काकनी—यह जैसलमेर से १७ मील दूर कोटरी गाव के निकट से निकलती है और उत्तर-पश्चिम की ओर बहती हुई 'भूज झील' बनाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य छोटी अथवा सहायक नदियाँ कोटा विभाग में पार्वती नदी, जयपुर विभाग में मोरेल, सावा, जग्गर और उदयपुर विभाग की खारी, कोठारी, मानसी व गम्भीरी हैं।

राजस्थान की प्रमुख झीलें

राजस्थान में अनेक झीले हैं। इनमें से कुछ झीलें खारी पानी की हैं और कुछ झीले मीठे पानी की हैं; कुछ झीले प्राकृतिक हैं और कुछ कृत्रिम। खारी और मीठी दोनों ही प्रकार की झीलो का राजस्थान में पर्याप्त आर्थिक महत्व है। मीठे पानी की झीलो से सिंचाई तथा पीने का पानी और मछलियाँ प्राप्त होती हैं व खारे पानी की झीलों से नमक प्राप्त होता है।

१. सांभर झील—यह झील २६°५३' व २७°१' उत्तरी अक्षांशों तथा ७४°५४' और ७५°१४' पूर्वी देशान्तरो के मध्य पहले की जयपुर व जोधपुर रियासतों की सीमा पर स्थित है। यह रेल मार्ग द्वारा अजमेर के उत्तर-पूर्व में ५३ मील की दूरी पर; तथा देहली के दक्षिण-पश्चिम में २३० मील दूर स्थित है। यह समुद्रतल से १२०० फीट की ऊँचाई पर स्थित है।

यह राजस्थान में ही नही, वरन् भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसकी लम्बाई (जब यह पूरी भरी होती है) दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर लगभग २० मील है और चौड़ाई २ से ७ मील है। इस झील का क्षेत्रफल लगभग ६० वर्गमील है। गर्मी के महीनो में यह प्रायः सूख जाती है। किन्तु जिस वर्ष अच्छी वर्षा हो जाती है, तो वर्ष भर पानी रहता है। इस झील में तीन छोटी-छोटी नदियाँ गिरती हैं। निकट ही सांभर कस्बा है, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग २० इञ्च है।

भारत के भू-गर्भ विभाग ने इस झील का सर्वेक्षण इस झील के तल में तीन स्थानो में छेद (Bare) करके किया था और बतलाया कि इसके पेटे (Silt) की गहराई पूर्वी किनारे पर ६० फीट, मध्य में ७० फीट और पश्चमी किनारे पर ७६ फीट है। पेटे के नीचे चट्टाने हैं जो कि अनु अरावली पर्वत श्रेणी का ही भाग है।

इस झील से अकबर व उसके उत्तराधिकारियों की शासन व्यवस्था में अहमदशाह (१७४८–१७५४) के समय तक नमक निकाला जाता रहा और बाद में जयपुर व जोधपुर महाराजाओं के अधिकार में यह झील आ गई।

इस झील में नमक तैयार करने के लिए अनेक क्यार बने हुए हैं व ठेलों के लिए पटरियां बिछी हुई हैं। इस झील के निकट ही तीन रेलवे स्टेशन हैं:—सांभर, गुढा और कुचामन रोड अथवा नावा। यहां से नमक उत्तर-प्रदेश मध्यप्रदेश, पंजाब और नैपाल को विशेषतः जाता है।

(२) डीडवाना झील—यह जोधपुर विभाग में २७°२४' उत्तरी अक्षांश तथा ७४°३५' पूर्वी देशांतर पर जोधपुर नगर से लगभग १३० मील उत्तर-पूर्व में स्थित है। यह डीडवाना कस्बे के दक्षिण व दक्षिण-पूर्व में है। इस झील की लम्बाई लगभग २½ मील है। इसके पेटे में चिपचिपी काली कीचड़ है जो कि साभर झील के अनुरूप प्रतीत होती है। इसके नीचे खारे पानी का भंडार है। इस झील से नमक तैयार किया जाता है। कुछ नमक तो राजस्थान में (बीकानेर व जोधपुर क्षेत्र मुख्यतः) ही खप जाता है व शेष निकट ही स्थित डीडवाना स्टेशन से राजस्थान के बाहर भेज दिया जाता है।

(३) लूनकरनसर झील—यह बीकानेर डिवीजन में लूनकरनसर के निकट ही खारे पानी की एक छोटी सी झील है। इससे भी नमक निर्माण करने की योजना विचाराधीन है।

खारे पानी की उपरोक्त तीन झीलों के अतिरिक्त भी राजस्थान में अनेक छोटी-छोटी झीलें है किन्तु महत्वशील नही हैं।

उपरोक्त तीनो खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में मीठे पानी की निम्नलिखित प्रमुख झीलें हैं:—

(१) जयसमन्द झील—यह झील राणा जयसिंह द्वारा सन् १६८५–१६९१ में बनवाई गई थी। यह झील राजस्थान की मीठे पानी की झीलों में सबसे बड़ी है। यह उदयपुर नगर के दक्षिण-पूर्व में लगभग ३० मील दूर स्थित है। इस झील की स्थिति ७३°५६' व ७४°३' पूर्वी देशान्तरों तथा २४°१२'

और २४°१८' उत्तरी अक्षांशो के मध्य है। इस झील की लम्बाई उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर लगभग ६ मील है और इसकी चौड़ाई एक मील से पाच मील तक है। इस झील का क्षेत्रफल लगभग २१ वर्ग मील है। इसमें लगभग ७०० वर्गमील क्षेत्र का पानी आता है। इस झील के पश्चिम में ८०० फीट से १००० फीट ऊँची पहाड़ी है। इस झील में छोटे बड़े ७ टापू हैं जिन पर भील व मीने रहते हैं। इस झील पर ६ कलात्मक छतरियां व प्रासाद बने हुए हैं जो राजसी वास्तुकला का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

(२) राजसमन्द झील—उदयपुर में काकरोली स्टेशन के निकट राजसमन्द झील है। यह झील ४ मील लम्बी व लगभग पौने दो मील चौड़ी है। राजसमन्द के उत्तरी भाग पर, जो नौचौकी के नाम से विख्यात है, संगमरमर की २५ चौकियो पर सस्कृत के १०१७ श्लोक खुदे हुए हैं जिन पर मेवाड का इतिहास अंकित है।

(३) पिछोला झील—यह झील भी उदयपुर में ही है जिसे चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम काल में महाराणा लाखा के राज्यकाल में एक बनजारे ने बनवाई थी। इस झील के किनारो को महाराणा उदयसिह ने ऊँचा करवाया था। यह झील ४$\frac{1}{2}$ मील लम्बी व १$\frac{1}{2}$ मील चौड़ी है। पिचोली ग्राम के निकट होने के कारण ही इसे पिछोला संज्ञा दी गई। इस झील के वक्ष पर उठे हुए दो टापुओ पर बने हुए जगमन्दिर और जगनिवास दो सुन्दर महल बने हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस ही पिछोला ने दिल्ली के विद्रोही शहजादा खुर्रम को; जो आगे शाहजहाँ के नाम से विख्यात हुआ, शरण प्रदान की थी।

(४) फतहसागर झील—यह झील पिछोला झील से एक नहर द्वारा मिली हुई है। यह पिछोला झील के उत्तर में १$\frac{1}{2}$ मील लम्बे व १ मील चौड़े क्षेत्र में विस्तृत है।

(५) आनासागर झील—यह झील अजमेर नगर के दक्षिण में पहाड़ियों के मध्य अत्यन्त रमणीय लगती है। यह झील सम्राट पृथ्वीराज के पितामह अर्णोराज अथवा आनाजी ने सन् ११३५ के लगभग बनवाई थी। पूरी झील की परिधि ८ मील के लगभग है।

(६) नवलखा झील—बूंदी की नवलखा छोटी झील सुरम्य पहाड़ियों से घिरे नगर में स्थित है। पानी के मध्य पुराना मन्दिर व कलापूर्ण छतरियाँ अत्यन्त सुन्दर हैं।

(७) कोलायतजी—मरुभूखंड में बीकानेर से लगभग ३० मील दक्षिण पश्चिम में कोलायतजी की प्रसिद्ध झील है जहाँ कपिल मुनि का आश्रम बतलाया जाता है। इस झील में वर्ष पर्यन्त पानी रहता है।

(८) गैबसागर झील—डूंगरपुर नगर के निकट ही गैबसागर झील है। इस झील के किनारे ही उदय विलास सुन्दर महल है। झील के मध्य में बादल महल अत्यन्त सुन्दर है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जोधपुर के बालसमन्द और सरदारसमन्द भी उल्लेखनीय हैं।

अध्याय : तीन

मिट्टी

किसी भी प्रदेश में मिट्टी अपना विशेष महत्व रखती है क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर ही बहुत अशो तक कृषि की उपज निर्भर होती है। सरकार की ओर से मिट्टी का सर्वेक्षण कभी नही किया गया। केवल सेटिलमेंट रेकॉर्डस् से ही इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होती है किन्तु इस स्रोत की सूचनाएँ अधिक विश्वसनीय नही कही जा सकती हैं क्योंकि आकड़े वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा एकत्रित नही किए गये हैं।

राजस्थान में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है :—

(१) लाल मिट्टी (Red soil)—यह मिट्टी अरावली पर्वत के पूर्वी भागों में—मुख्यतः अजमेर, किशनगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बासवाड़ा में पाई जाती है।

यह मिट्टी लौह कण के सम्मिश्रण के कारण ही लाल दिखाई देती है। इनकी बनावट में स्थानीय विभिन्नताएँ होती हैं क्योंकि जिन मूल चट्टानों से ये बनी होती हैं, उनकी भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओ में अन्तर होता है। लाल मिट्टी आवश्यक रूप से लाल ही नही होती है, यद्यपि साधारणतः ऐसा ही होता है। इस मिट्टी में पोटाश व चूने का अश पर्याप्त मात्रा में होता है नाइट्रोजन, फासफोरिक एसिड तथा ह्यूमस की मात्रा कम होती है। यद्यपि यह मिट्टी बारीक व गहरी होती है किन्तु साधारण-उपजाऊ होती है।

(२) काली मिट्टी अथवा रैगर (Black soil or Regur)—यह मिट्टी राजस्थान में मुख्यतः २० इञ्च से ३० इञ्च तक की वर्षा वाले कुछ भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी उदयपुर डिवीजन के कुछ भागो—डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़—और पूर्व में कोटा, झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी के बड़े-बड़े मैदान नही हैं किन्तु छोटे मैदान ही हैं।

इस मिट्टी में फासफोरिक एसिड और ह्यूमस की कमी होती है किन्तु पोटाश व चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। भीगने पर यह फूल जाती है व चिपचिपी हो जाती है किन्तु सूखने पर यह सिकुड़ जाती है और इसमें बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी में नमी रोक रखने का विशेष गुण होता है, साथ ही यह मिट्टी उपजाऊ भी खूब होती है।

(३) लेटेराइट मिट्टी (Laterite soil)—इस प्रकार की कुछ मिट्टी बासवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है।

इस मिट्टी में चूने, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है अतः वनस्पति उगने के लिए उपयुक्त नहीं है। किन्तु रासायनिक खादों की सहायता से यह उपजाऊ बनाई जा सकती है।

(४) कच्छारी मिट्टी (Alluvial soil)—राजस्थान के पूर्वी भाग में अनेक स्थानों पर यह मिट्टी पाई जाती है। अलवर व भरतपुर आदि में ऐसी ही मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के क्षेत्र बहुत बड़े नहीं हैं।

इस मिट्टी में नाईट्रोजन की तो कमी होती है किन्तु चूना, पोटाश, फासफोरस, लोहा आदि अनेक पदार्थों की बाहुल्यता होती है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है।

(५) रेतीली मिट्टी (Sand)—यह मिट्टी राजस्थान के अधिकाश भाग में पाई जाती है। मुख्यतः पश्चिमी और उत्तरी-पश्चिमी जयपुर, दक्षिणी बीकानेर, जोधपुर का अधिकांश भाग और सम्पूर्ण जैसलमेर में ऐसी मिट्टी पाई जाती है।

ऐसी मिट्टी का कण मोटा होता है व पानी की नमी रोक रखने की शक्ति प्रायः नहीं होती है। अतः कृषि के लिए यह मिट्टी अनुपयुक्त है।

इस प्रकार राजस्थान के विभिन्न भागों मे अनेक प्रकार की मिट्टिया पाई जाती हैं। स्थूल रूप मे पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी भाग की मिट्टियाँ कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और पश्चिमी व उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ कृषि की दृष्टि से अनुपयुक्त हैं।

अध्याय : चार

जलवायु

किसी भी प्रदेश में वहां की जलवायु विशेष महत्व रखती है क्योंकि जलवायु न केवल कृषि की उपज को ही प्रभावित करती है, वरन् मानव जीवन के आर्थिक एवं साधारण जीवन को भी नियन्त्रित करती है। जलवायु के अन्तर्गत दो प्रमुख तत्वो का अध्ययन किया जाता है—उस स्थान का तापक्रम तथा वहां वर्षा की मात्रा।

गर्मी का मौसम—राजस्थान एक गर्म राज्य है। गर्म राज्य से तात्पर्य यह है कि यहाँ गर्मी के मौसम में बहुत कठोर गर्मी पड़ती है, इसके अतिरिक्त गर्मी का मौसम अन्य मौसमो से बड़ा होता है। गर्मियो में, केवल ऊन्चे पहाड़ी भाग के अतिरिक्त, शेष सम्पूर्ण राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है। विशेषतः पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में गर्मी अत्यन्त ही कठोर एवं कष्टप्रद होती है। साधारणतः गर्मी का मौसम अप्रैल से आरम्भ होकर अगस्त-सितम्बर तक रहता है, किन्तु मई व जून बहुत ही गर्म महीने होते है। प्रायः सम्पूर्ण राजस्थान में गर्म हवाऍ व रेत के तूफान चलते हैं किन्तु पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी एव अर्द्ध-रेगिस्तानी भागो में ये तूफान अत्यन्त भयंकर होते हैं। दिन की कड़ी गर्मी के पश्चात् राजस्थान का मरुभूमि प्रदेश रात में ठण्डा हो जाता है क्योंकि धूप से तप्त बालू-रेत रात होते ही शीतल होने लगती है, जिसके कारण हवा भी ठण्डी हो जाती है। इस कारण इस भाग में गर्मी के मौसम में भी रातें शीतल एवं सुहावनी होती हैं। जैसलमेर में जून में तापमान का औसत ९८° फै० रहता है।

नीचे की तालिका* में सेंटिग्रेड डिग्री में औसत तापक्रम बतलाया गया है।

केन्द्र		अधिकतम तापक्रम	न्यूनतम तापक्रम
अजमेर	...	४५.०	५.६

* Basio Statistics 1957 P. 31

बीकानेर	...	४७·८	०·५
जयपुर	...	४६·१	४·०
जोधपुर	...	४७·२	४·४
सीकर	...	४६·१	०·०
उदयपुर	...	४४·०	२·२

सर्दी का मौसम—जाड़े का मौसम भी यद्यपि कठोर होता है किन्तु सर्वत्र अत्यन्त कठोर नही होता है। राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी रेतीले भाग में ठंड बहुत अधिक पड़ती है। कभी-कभी रात में पाला भी पड़ जाता है, विशेषतः उत्तर में बीकानेर के समीपवर्ती भागों में। राज्य के आतरिक भागों के दिन व रात के तापक्रम में अचानक और अधिक परिवर्तन होता है।

वर्षा ऋतु—राजस्थान की वर्षा की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-

(१) प्रायः सम्पूर्ण वर्षा गर्मी के मौसम में होती है, अत्यन्त साधारण वर्षा सर्दियों में होती है।

(२) वर्षा मानसूनी हवाओ से होती है।

(३) वर्षा का समय व मात्रा अनिश्चित है।

(४) वर्षा का वितरण समान नहीं है।

पश्चिमी राजस्थान के प्रदेश की गणना एशिया के उन क्षेत्रों में की जा सकती है, जहाँ वर्षा नही होती है। वास्तव में ये प्रदेश एशिया के वर्षा रहित भागो के निकट ही है। इस भाग में हिन्द महासागर से आने वाली दक्षिणी-पश्चिमी मानसूनी हवाओं से कठिनता से औसत वर्षा ५ इंच से ६ इंच तक हो जाती है। इसका कारण यह है कि इन हवाओ की अधिकाश आर्द्रता मरुभूमि को पार करते समय नष्ट हो जाती है। पश्चिमी भाग में केवल आबू में सबसे अधिक वर्षा होती है। सन् १८७५, १८८१, १८९२ और १८९३ में आबू में प्रत्येक वर्ष १०० इंच से भी अधिक वर्षा हुई थी।

दक्षिणी राजस्थान वर्षा करने वाली हवाओं के रुख में है जिसके कारण इस भाग में पर्याप्त वर्षा हो जाती है। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में पूर्वी व पश्चिमी दोनों ही हवाओ से अच्छी वर्षा हो जाती है। इस प्रकार दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा से झालावाड़ तथा कोटा तक के भागो में वर्षा केवल हिन्द महासागर

से आने वाली हवाओं जो नर्बदा व माही नदियों की घाटियों में होती हुई मालवा को पार करके आती हैं—से ही नहीं होतीं वरन् बंगाल की खाड़ी से आने वाली शेष हवाओं से भी होती है जो कभी कभी मेवाड़ तक पहुँच जाती है। इस भाग में यदि दक्षिणी-पश्चिमी मानसून शीघ्र समाप्त हो जाते हैं तो दक्षिणी-पूर्वी मानसून से वर्षा हो जाती है।

इस प्रकार मेवाड के पहाड़ी क्षेत्र में हाड़ौती के पठार पर और अरावली पहाड़ के पूर्वी ढालों पर अच्छी वर्षा हो जाती है। डूंगरपुर, बासवाड़ा आदि में पश्चिमी हवाओ से अच्छी वर्षा हो जाती है किन्तु दूर के उत्तर के भाग में वर्षा होने के लिए हवाएँ बहुत तेज एवं भरी हुई होनी चाहिए।

सरदी के दिनो में पश्चिम की ओर से आने वाले तूफानो से राजस्थान में थोड़ी वर्षा होती है। दक्षिणी राजस्थान को तो उसका उतना अंश प्राप्त नहीं होता जितना कि पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान प्राप्त करते हैं। सर्दी के मौसम में वर्षा की यह मात्रा केवल १-२ इंच ही होती है किन्तु कृषि के लिए इसका विशेष महत्व है क्योंकि रबी की फसल के लिए यह अत्यन्त लाभप्रद है, क्योंकि इस समय गेहूँ, जौ और चना आदि खेतों में सिंचाई द्वारा तैयार किये जा रहे होते हैं। राजस्थान में इस वर्षा को 'मावट' कहते हैं।

सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उत्तर व उत्तर-पश्चिम में बीकानेर और जैसलमेर से दक्षिण में वांसवाड़ा और दक्षिण-पूर्व में कोटा व झालावाड़ तक वर्षा की मात्रा में शनैः शनैः लगभग ६ इंच से ४० इंच तक की वृद्धि होती है किन्तु इस वृद्धि की गति अरावली को पार करने पर बहुत तेज हो जाती है।

कुछ भागो में वर्षा की मात्रा इस प्रकार* है :—

जैसलमेर	....	४	इञ्च
बीकानेर	...	११·५	इञ्च
जोधपुर	....	१४·२	इञ्च
अजमेर	....	२०·८	इञ्च

* 'India 1959' P.P. 10-12

उदयपुर	....	२६	इञ्च
जयपुर	....	२४·०	इञ्च
कोटा	....	२६·५	इञ्च
आबू पहाड़	....	६१·६०	इञ्च

पूर्वी राजस्थान के तीन जिलों (भूतपूर्व रियासतों)—भरतपुर, धौलपुर और करौली में वर्षा २४ इञ्च से २६ इञ्च तक होती है; कोटा व झालावाड़ में ३० इञ्च से ३७ इञ्च तक और बासवाड़ा में ४० इञ्च वर्षा होती है।

अभी तक राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा सन् १८६३ में आबू में १३० इञ्च हुई थी। सबसे कम वर्षा सन् १८६६ में जैसलमेर के पश्चिमी भाग में स्थित खामा तथा रामगढ़ में हुई थी जबकि वहा १/१०० इञ्च भी नही हुई थी*।

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान में बाढें नही आती हैं, क्योंकि वर्षा की मात्रा ही कम है। किन्तु जिस वर्ष बहुत ही अधिक वर्षा होती है उस वर्ष बाढ़ आ सकती है। उदाहरण के लिए सन् १८७५ से बनास नदी में भयंकर बाढ़ आई थी तथा उस वर्ष तत्कालीन टौंक का कस्बा सम्पूर्ण बह गया था। अनेक गाव और सर्वोच्च भवन भी पानी मे बह गये थे। पशु तथा जनहानि भी बहुत अधिक हुई थी।

पहले बाण गङ्गा नदी मे भी प्रायः बाढ़ आया करती थी किन्तु सन् १८६५ मे इस नदी को, तत्कालीन भरतपुर दरबार द्वारा सिंचाई के लिए अनेक नहरें व बाध बनवा कर, नियन्त्रण मे कर लिया है। इस नदी मे सन् १८७२, १८८४ और १८८५ में बाढ़ें आईं× जिनसे न केवल भरतपुर राज्य मे ही वरन् आगरा जिले में भी अत्यन्त हानि हुई।

---

* Imperial Gazetteer P. 93

× वही।

अध्याय : पांच

राजस्थान में सिंचाई

सुजला, सुफला शस्य श्यामला भारत भूमि में जहा गंगा, जमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती आदि अनेक वरदायिनी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, यह कम विस्मय की बात नही होगी कि हमारे देश में ऐसे भी अनेक प्रदेश हैं, जहा पानी का अभाव है, और सिंचाई के न होने के कारण भूमि प्यासी रह जाती है। राजस्थान ऐसा ही एक प्रदेश है।

राजस्थान का क्षेत्रफल १,३२,१४८ वर्गमील है। यह एक कृषि प्रधान राज्य है जहा ८० प्रतिशत से भी अधिक जनसख्या कृषि अथवा इससे संबंधित धंधो पर अवलम्बित है। राजस्थान में कुल ३३·३६ लाख एकड़* भूमि में सिंचाई हो रही है जब कि यहा कुल कृषि योग्य भूमि ३६६ लाख एकड़ से भी अधिक है, अर्थात् यहा केवल ६ प्रतिशत卐 भूमि में सिंचाई होती है। एक लेखक के अनुसार, जब समस्त भारत में सिंचित कृषि भूमि २२ प्रतिशत है तो राजस्थान में ६·५ प्रतिशत सिंचित भूमि है। राज्य में वर्षा की कमी एव उसमें भी अनिश्चितता का तत्व विद्यमान होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता एवं महत्व और भी बढ़ जाता है।

सिंचाई के प्रमुख साधन--राजस्थान में सिंचाई के तीन प्रमुख साधन हैं—(१) कुएं, (२) तालाब, और (३) बांध व नहरें।

(१) कुएं—राजस्थान में प्रमुख सिंचाई के साधन कुएं हैं। राज्य में २१·५५ लाख एकड़: भूमि में सिंचाई होती है जो कुल सिंचित क्षेत्र का ६०

---

* Basic Statistics Rajasthan 1957 P. 2

卐 राजस्थान में सिंचाई : विकास अंक १०-११, पेज १७

: Basic Statistics P. 40

प्रतिशत* से कुछ ही अधिक है।£ राजस्थान में २,१५५.६ कुएँ हैं।

जिन भागों में कम गहराई (२० से ४० फीट) पर पानी उपलब्ध हो जाता है, वहा कुएँ अधिक लाभप्रद हैं। भरतपुर, अलवर, उदयपुर व जयपुर आदि क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त हैं। किन्तु जिन भागों में पानी बहुत गहराई पर मिलता है, जैसे जैसलमेर, बीकानेर व जोधपुर जहा अनेक भागों में ३०० फीट से ५०० फीट की गहराई पर पानी मिलता है, वहाँ कुओं द्वारा सिंचाई नहीं हो सकती। इन स्थानों मे कुएँ केवल पीने का पानी प्राप्त करने के लिए ही उपयोग में लाये जाते हैं।

यदि पानी कम गहराई पर ही होता है, जैसे १५ फीट, तो ढेकली द्वारा अन्यथा रहँट अथवा चड़स द्वारा बैलों की सहायता से पानी निकाला जाता है। कुछ कुओं से विद्युत अथवा तेल-चालित इञ्जिनों की सहायता से पानी निकालते हैं। विलियम स्टैम्पी की अध्यक्षता में जोधपुर सरकार ने १९३९-४० में जो कमेटी बिठाई थी उसकी रिपोर्ट× में पश्चिमी राजस्थान में 'लू' (तेज़ गरम हवा) की शक्ति की सहायता से कुओ से पानी निकालने का सुझाव दिया है। राज्य की द्वितीय पचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिए ५० नल-कूप (Tube Well) बनाने की योजना है। जिस पर ३५ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(२) **तालाब**—राजस्थान में तालाबों की सख्या ८४० है+। जलवायु और भूमि की बनावट ही तालाब के निर्माण को निर्धारित करती है। राजस्थान के केवल दक्षिणी तथा दक्षिणी-पूर्वी भागों में ही तालाब पाये जाते हैं क्योकि ये भाग अधिकाश पठारी हैं जिनमें अधिक दिन पानी ठहर सकता है। जोधपुर,

---

* विकास अङ्क १-११ पेज १७।

£ Basic Statistics.

× Report on the Proceedings & Findings by William Stampe P. 30 to 40.

\+ Basic Statistics Rajasthan 1957 P. 40.

बीकानेर, शेखावाटी तथा जैसलमेर आदि मरुस्थली भागो में ऐसे तालाब नहीं बन पाते जिनमें पानी अधिक ठहर सके। राजस्थान में, सिंचाई की दृष्टि से, तालाबों का कोई विशेष महत्वशील स्थान नही है। सन् १६५०–५१ में तालाबो द्वारा ५ लाख एकड भूमि में सिचाई होती थी और १६५५–५६ में यह क्षेत्र ८ लाख एकड हो गया।

(२) नहरें—राजस्थान की सभी नदिया (चम्बल नदी के अतिरिक्त) बरसाती नदियां हैं। अतः इन नदियों के पानी को बाधो द्वारा रोक कर ही वर्ष पर्यन्त नहरो की सहायता से सिचाई हो सकती है। राजस्थान में वर्ष भर बीकानेर डिवीजन में गङ्ग नहर द्वारा ही ६२५ एकड़ भूमि में सिंचाई होती है।

राजस्थान के निर्माण के पूर्व नदियो पर बाध आदि बनाने में दो प्रमुख कठिनाइया थी। प्रथम, अधिकाश नदिया दो या अधिक राज्यों में होकर बहती थी, अतः किसी भी नदी को बाधने में राजनैतिक कठिनाइयां सामने आती थीं, और द्वितीय, अनेक छोटी-छोटी रियासतो के पास बांध आदि बनाने के साधन उपलब्ध नही थे।

पंचवर्षीय योजनाएँ और सिचाई—राजस्थान सरकार ने पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छोटी बड़ी अनेक योजनाएँ बनाईं जिनसे इस राज्य में सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ जावेंगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के कामो पर कुल २६.५४ करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई थी, किन्तु वास्तव में १६५१–५६ में ३१.१४ करोड़ रुपया व्यय हुआ था। इस अधिक व्यय का कारण भाखरा योजना के व्यय में वृद्धि होना था। इस योजना काल में सिंचाई का क्षेत्र १६.० लाख एकड़ हो गया।

राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे सिंचाई पर २४.५ करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई है। यह राशि भाखरा, नागल व चम्बल योजनाओ के अतिरिक्त कुओं, नहरों, तथा अन्य माध्यमिक व छोटी सिंचाई की योजनाओ पर व्यय की जा रही है। इस द्वितीय योजना में वर्तमान सिंचाई के क्षेत्रो को ३४.८० लाख एकड से बढ़ा कर सन् १६६१ में ५२.५५ लाख एकड सिंचित भूमि तक बढ़ा देने की व्यवस्था की गई है।

सिंचाई की प्रमुख बड़ी योजनाएँ

वैसे तो राजस्थान में अनेक बड़ी योजनाओं पर कार्य हो रहा है किन्तु हम यहां चार प्रमुख योजनाओं का ही परिचय देंगे। ये योजनाएँ ये हैं :— (१) भाखरा नागल योजना, (२) चम्बल योजना, (३) जवाई योजना और (४) राजस्थान नहर योजना।

(१) भाखरा नांगल योजना—यह बहुउद्देशीय योजना है किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य विद्युत् उत्पन्न करना तथा भूमि की सिंचाई करना है। यह योजना पंजाब व राजस्थान सरकारें मिल कर बना रही हैं और इन दोनों सरकारों का क्रमशः ८४.८ प्रतिशत व १५.२ प्रतिशत भाग है। इस योजना पर १७३.५४ करोड़ रुपया व्यय* होगा।

यह बांध सतलज नदी पर होशियारपुर जिले में भाखरा गांव के निकट बनाया जा रहा है। यह बांध ७४० फीट ऊँचा और १७०० फीट लम्बा है+ भाखरा बाँध से ८ मील नीचे नागल बाध स्थित है। नांगल बाध तैयार हो चुका है। भाखरा बांध सन् १९५९–६० तक पूरा हो सकेगा। गङ्गवाल व कोटला, प्रत्येक स्थान पर एक एक विद्युत गृह बनाया जा चुका है।

राजस्थान को लाभ—इस योजना से राजस्थान की ५.७० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इससे बीकानेर विभाग के गङ्गानगर जिले की भादरा, नौहर, सूरतगढ़, हनुमानगढ, रायसिंहनगर, पदमपुर और गङ्गानगर की तहसीलो में सिंचाई हो सकेगी×। यह ध्यान रहे कि इस क्षेत्र का अधिकाश भाग बहुत कम वर्षा वाला प्रदेश है। इस योजना से खेतो तक पानी पहुँचाने के लिए एक हजार मील लम्बी नहरो का निर्माण किया जा चुका है÷। इन

---

* "Major Water & Power Projects of India." P. 11 published by Government of India.

+ वही।

× 'आयोजना', राजस्थान नहर सिंचाई विशेषाक, पृष्ठ ६।

÷ 'विकास', राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ ६।

नहरो से सन् १९६- तक ५.७० लाख एकड़ भूमि में निरन्तर सिचाई की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

राजस्थान को लगभग १५,००० किलोवाट जल-विद्युत सन् १९६२ तक मिलने लगेगी। पहले गङ्गानगर व राजगढ (बीकानेर) को बिजली मिलेगी और यहा से ३१ नगरो व मार्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाई जावेगी। बीकानेर और जयपुर क बिजलीघर क्रमशः रतनगढ़ और सीकर में बिजली प्राप्त कर सकेग। इससे तेल, सूती कपडा, ऊनी कपड़ा, चीनी व खनिज उद्योगो को सहायता मिलेगी।

(२) चम्बल योजना—यदि राजस्थान के मानचित्र पर दृष्टि डाली जाय तो विदित होगा कि राज्य के बहुत बड़े भाग को रेगिस्तान अपने अंचल से ढके हुए है। भूमि का बहुत बडा भाग बंजर पड़ा रहता है अतः वर्षाभाव से पीड़ित कृषक जनता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकारों ने राज्य की सबसे बड़ी नदी चम्बल को बांधने की संयुक्त योजना बनाई।

चम्बल परिचय—चम्बल नदी का प्राचीन पुराणोक्त नाम चर्मावती है। यह मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओ पर बहती है। इस नदी की लम्बाई ६५० मील व अधिकतम चौड़ाई २,४०० फीट है। चौरासीगढ़ दुर्ग से नीचे कोटा शहर की ओर ६० मील के लगभग यह नदी पहाड़ी, संकड़े तथा पथरीले मार्ग से प्रवाहित होती है।

योजना का आरम्भ—चम्बल नदी से विद्युत-विकास का सर्वप्रथम विचार सन् १९४३ में जावर की खान में बिजली पहुँचाने के लिए कोटा के पास विद्युत उत्पादनार्थ एक बाध बनाए जाने के रूप में हुआ। सन् १९४५ तक यह विचार ३ बाध और विद्युत केन्द्रो की योजना में परिवर्द्धित हो गया और सन् १९५० तक इसमें १२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए प्रस्तावित कोटा सिंचाई बाध और नहरो का निर्माण कार्य का भी समावेश हो गया।

चम्बल योजना—चम्बल सिंचाई और जल-विद्युत योजना में बिजली उत्पादन केन्द्रो सहित ३ बाध और एक सिंचाई बाध का निर्माण-कार्य सम्मिलित है।

१. गांधी सागर बांध— ऐतिहासिक दुर्ग चौरासीगढ से ५ मील नीचे राजस्थान व उत्तरी मध्यप्रदेश की सीमा पर, महात्मा गांधी के नाम पर, यह बाध बनाया गया है। यह बाध जुलाई १६५६ में बन कर पूरा हुआ है। यह बाध १,६७५ फीट लम्बा और २०० फीट ऊँचा है। इससे जो जलागार बना है वह ६५ वर्गमील है तथा उसमें ६८.५० लाख एकड़ फीट पानी एकत्रित हो सकेगा। इस बांध में ६ द्वार हैं। इस बांध के निर्माण में ६ करोड़ रुपये व्यय आये हैं। यह दावा किया जाता है कि मनुष्य निर्मित ऐसे बाधों में यह सबसे कम लागत में बनकर तैयार हुआ है।

इसके जल-विद्युत गृह से ७५ हजार यूनिट किलोवाट जल-विद्युत प्राप्त हो सकेगी। अनुमान है कि इस विद्युत गृह के निर्माण पर लगभग ५ करोड रुपया व्यय आयेगा व सन् १६६० तक बन कर पूरा होगा।

२. राणा प्रताप सागर बांध—यह बाध कोटा से ३२ मील दूर चूलिया जल-प्रपात के पास बनाया जा रहा है। यह बांध १२२½ फीट ऊँचा और ३,६२० फीट लम्बा है। इस बाध में २१.५ लाख एकड़ फीट पानी एकत्रित किया जा सकेगा। इस बांध से ८० हजार किलोवाट जल-विद्युत उत्पन्न हो सकेगी।

३. कोटा बांध—यह तीसरा बाध कोटा नगर से १० मील दक्षिण में चम्बल की घाटी पर १४५ फीट ऊँचा और १,४४० फीट लम्बा बनाया जा रहा है। इसमें ७६० फीट चौड़े जल-मार्ग रहेगे। इस बाध से ६० हजार किलोवाट जल-विद्युत उत्पन्न होगी।

कोटा बैरेज—कोटा नगर के निकट ही ६ मील की दूरी पर १८१० फीट लम्बा और ८३⅓ फीट ऊँचा बाध बनाया जा रहा है। इसमें बाढ़ का पानी निकालने के लिए १६ फाटक बनाए जावेंगे। इस बैरेज से १२ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी।

सम्भावित लाभ—इस योजना के पूरे हो जाने पर राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तथा भरतपुर जिलो में सिंचाई होगी।

इस योजना से दो लाख किलोवाट जल-विद्युत तैयार हो सकेगी। कोटा लाखेरी, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, साभर, अजमेर, ब्यावर तथा मार्ग म पड़ने वाले राज्य के अन्य ग्रामो में बिजली पहुँच जायेगी।

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आशा भी बहुत अंशों तक इस योजना पर ही आधारित है। लाखेरी और सवाई माधोपुर के सीमेन्ट के कारखानों को सस्ती जल-विद्युत प्राप्त हो सकेगी। सांभर झील के निकट नमक से कास्टिक सोडा व ब्लीचिंग पाउडर का कारखाना स्थापित करने पर विचार हो रहा है। खनिज पदार्थों को निकालने में भी सस्ती जल-विद्युत प्राप्त हो सकती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि कृषि सम्बन्धी तथा औद्योगिक आवश्यकताओं की श्रेष्ठतम अभिपूर्ति के उद्देश्य से चम्बल को अधिक उपयोगी बना देने के रूप में प्रकृति पर दृढ़तापूर्वक आक्रमण किया जा रहा है।

३ जवाई बांध

परिचय—जवाई नदी का उद्गम स्थान अरावली पर्वत के दक्षिणी-पश्चिमी ढाल हैं। अपने उद्गम स्थान से लगभग १५ मील दूर बहने के पश्चात् यह नदी दो छोटी पहाड़ियो के मध्य में से गुजरती है। इस ही स्थान पर बांध का निर्माण किया गया है। यह बांध एरिनपुरा स्टेशन से लगभग १॥ मील की दूरी पर है। एरिनपुरा स्टेशन जोधपुर डिवीजन में दिल्ली-अहमदाबाद लाइन पर पश्चिमी रेलवे का एक छोटा सा स्टेशन है।

इस योजना का प्रस्ताव सन् १९०४-५ में जोधपुर राज्य के इञ्जीनियर होम ने किया था किन्तु अनेक आर्थिक एवं तान्त्रिक कठिनाइयो के कारण इस योजना पर कार्य आरम्भ न हो सका। इस योजना पर सन् १९४६ से कार्य आरम्भ किया गया। यह बहुउद्देशीय योजना नही है, इससे केवल सिंचाई ही हो सकेगी।

यह बांध बन कर पूरा हो चुका है। इस बांध की लम्बाई ३,०२० फीट व ऊँचाई ११४ फीट हैं। इस बांध की नीव ५० फीट गहरी है। बाढ़ के समय आने वाला फालतू पानी मुख्य बांध की चोटी के एक भाग पर १३ द्वारों में होकर निकाला जायगा। प्रत्येक द्वार १५ फीट ऊँचा व १४ फीट चौड़ा है और इसका फाटक इस्पात का है। मुख्य बांध के उत्तर और दक्षिण में दो सहायक बांध बनाए गये हैं जो क्रमशः ७०० फीट और १६० फीट लम्बे हैं।

मुख्य बांध का क्षेत्रफल लगभग १० वर्गमील है जिसमें ३०० वर्गमील क्षेत्र का पानी एकत्रित होता है। बाध पूरा भर जाने पर कुल ७०,००० लाख घन फीट पानी एकत्रित होता है जिसमें से ६५,००० घन फीट पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध हो सकता है।

प्रस्तुत बाध से १४ मील लम्बी मुख्य नहर निकाली गई है। मुख्य नहर से ४ शाखाएँ और निकाली जावेंगी जो लगभग ८० मील लम्बी होंगी। जिस क्षेत्र में ये नहरें निकाली जा रही हैं, भूमि अच्छी, ढालू और उपजाऊ है। अनुमान है कि ४६ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। सिंचित होने वाली मुख्य फसलों में गेहूँ, चना, जौ मुख्य हैं। व्यावसायिक फसलों में कपास व गन्ना की फसलें मुख्य हैं।

५ राजस्थान नहर*

पृष्ठ भूमि—राजस्थान के उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में विशेषतः वर्षा का अभाव बना रहता है जिसके कारण इस क्षेत्र में प्रायः ऐसे अकाल पड़ा करते हैं, जो भारी सख्या में जन व पशुओं को नष्ट कर देते हैं।

विशेषत: पूर्व बीकानेर व जैसलमेर राज्यो के क्षेत्र में स्थिति और भी गम्भीर है। वर्षा की कमी तथा जीवन-यापन के साधनो के अभाव के कारण यह क्षेत्र बहुत ही कम आबाद है। भूतकाल में किसी समय घग्गर और हाकरा नदियां शिवालिक से निकल कर इस क्षेत्र में बहती हुई सिन्धु में गिरती थीं किन्तु भौगोलिक तथा अन्य कारणो से उन्होने अपना मार्ग बदल लिया जिसके परिणामस्वरूप उनकी घाटियो में बसे कतिपय सम्पन्न नगर उजाड़ हो गये। पुरातात्विक अनुसंधान तथा वर्तमान भग्नावशेषों से ज्ञात होता है कि किसी समय यह प्रदेश उन्नत सभ्यता का केन्द्र रहा है।

---

* सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित 'राजस्थान नहर परियोजना' तथा 'मरुस्थल से नन्दन वन की ओर' पुस्तिकाओं, 'आयोजना' राजस्थान नहर विशेषाक तथा टाइम्स ऑफ इण्डिया, राजस्थान कैनाल सप्लीमेंट के आधार पर।

अंग्रेजी शासकों ने इस क्षेत्र को उपेक्षित ही छोड़ दिया, बीकानेर दरबार ने १९२०-२८ में गङ्ग-नहर का निर्माण करवाया जिससे वह क्षेत्र हराभरा एवं सम्पन्न तथा सुसमृद्ध है। इससे ज्ञात होता है कि यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र है और प्राचीन समृद्धि को लौटाने के लिए केवल जल की आवश्यकता है।

फरवरी १९५४ में विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी विवाद का निपटारा करने के लिए यह सिद्धान्त स्थिर किया कि सिन्धु, झेलम और चिनाब—तीनो पश्चिमी नदियो का सम्पूर्ण जल पाकिस्तान को उपलब्ध हो और रावी, व्यास और सतलज नामक तीनो पूर्वी नदियो का पानी भारत के उपयोग में आवे। विश्व बैंक का यह प्रस्ताव इस क्षेत्र के विकास के लिए चिनाब के अतिरिक्त पानी के उपयोग में बाधक बन गया और इसी कारण राजस्थान नहर परियोजना को स्थगित एवं संशोधित करना पड़ा।

राजस्थान नहर की वर्तमान योजना—राजस्थान निर्माण के ठीक ९ वर्ष के पश्चात् ३० मार्च १९५८ को राजस्थान की नवीन भाग्य रेखा-राजस्थान नहर का शिलान्यास केन्द्रीय गृह मन्त्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्त द्वारा किया गया। यह केवल शिलान्यास ही नहीं था वरन् राजस्थान के दो करोड़ लोगों के जीवन में आर्थिक क्रान्ति की बुनियाद रखने का समारम्भ है।

राजस्थान नहर सतलज नदी पर व्यास के संगम से ठीक नीचे निर्मित हरीके बाध से निकाली जायगी। लगभग ११० मील की दूरी तक यह नहर सरहिंद फीडर के निकट बहती हुई पंजाब (भारत) में बहेगी। इस प्रकार प्रथम ११० मील तक यह स्वयं सिंचाई न कर केवल फीडर का काम करेगी। ११० मील पर यह राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगी और १३० मील तक पंजाब व राजस्थान की सीमा के निकट बहेगी। इसके पश्चात् यह सूरतगढ़ की तरफ मुड़ेगी और जैसलमेर की ओर दक्षिण-पश्चिम होती हुई ४२५ मील पर रामगढ़ (जैसलमेर) गांव के निकट समाप्त हो जावेगी।

इस नहर को पूरा होने में १० वर्ष लगेंगे किंतु अनुमान है कि तीन वर्ष के बाद ही इसके द्वारा आने वाले पानी का उपयोग किया जा सकेगा। यह नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर होगी। इस पर ६१ करोड़ रुपये से भी अधिक व्यय होने का अनुमान है। इसका कार्य इतना विशाल है कि इस नहर

पर २० हजार मनुष्य प्रति दिन के हिसाब से बराबर १० वर्ष तक कार्य करते रहेंगे।

इस नहर के बन जाने पर लगभग ३३.६ लाख एकड़ भूमि में निरंतर सिचाई की सुविधा प्रदान करना सम्भव होगा।

राजस्थान नहर का मुख्य प्रवाह क्षेत्र बीकानेर और जोधपुर डिवीजन का पश्चिमी भाग है जो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। इस नहर से राजस्थान में आया हुआ थार का १/३ से अधिक रेतीला और निर्जल रेगिस्तानी भूभाग सरसब्ज हो उठेगा। यह नहर बीकानेर डिवीजन के हनुमानगढ, सूरतगढ, अनूपगढ, रायसिंहनगर तथा बीकानेर तहसीलों की तथा जोधपुर डिवीज़न में जैसलमेर जिले की नाचणा, जैसलमेर तथा रामगढ़ तहसीलों की विस्तृत बंजर भूमि का सिंचन करेगी।

इस प्रकार इस नहर के बन जाने से अनेक परिवारों का पुनर्वास हो सकेगा तथा खाद्यान्न एवं औद्योगिक फसलें बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी।

हमारे विचार में, इस नहर को काडला बन्दरगाह मे मिला देना अत्यन्त लाभदायक होगा क्योंकि नौकाओ आदि द्वारा काडला से और काडला को राजस्थान से माल ढोया जा सकेगा जो अपेक्षाकृत सस्ता पड़ेगा और साथ ही रेलों पर से भी कुछ भार हल्का हो जावेगा।

अन्य योजनाएँ

राजस्थान में उपरोक्त बडो योजनाओ के अतिरिक्त अन्य योजनाएँ भी हैं जिनमें से कुछ पूरी हो चुकी हैं व कुछ पर कार्य हो रहा है। उनमें से कुछ योजनाओ का वर्णन नीचे दे रहे हैं।

(१) **मोरेल बांध**—सवाई माधोपुर तहसील में लालसोठ से लगभग १० मील दूर मोरेल नदी पर मिट्टी का एक बाध बनाया गया है। इस बाध का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब नहरें बनाई जा रही हैं। इस बाध पर ४१ लाख रुपया व्यय हुआ है तथा २४ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होगी।

(२) **गुढ़ा योजना**—बूंदी से लगभग १२ मील की दूरी पर मिट्टी का एक बाध बनाया जा रहा है। इससे प्रति वर्ष लगभग ३७ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई की जावेगी। इस पर लगभग ४२.२५ लाख रुपया व्यय होगा।

(३) बांकली बांध—यह बाध अरावली पर्वत से निकलने वाली सूकड़ी नदी पर बनाया जा रहा है। यह नदी लूनी नदी की सहायक है। इस बांध से जालौर व पाली जिलों की भूमि में सिंचाई होगी।

(४) जग्गर बांध—हिण्डोन के समीप जग्गर नदी पर मिट्टी का एक बांध बनाया गया है। इस बांध से ६,००० एकड़ भूमि में सिंचाई होगी।

(५) कालीसिल बांध—करौली प्रदेश में कालीखिल नदी पर मिट्टी का बाध बनाया जा रहा है। इस बाध से १४ हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी।

(६) पारवती बांध—धौलपुर से लगभग ३० मील दूर पारवती नदी पर एक बाध बनाया जा रहा है। इससे लगभग ३७ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होगी और ८७.१० लाख रुपया व्यय होगा।

(७) मेजा बांध—भीलवाड़ा में मंडल के समीप कोठारी नदी पर एक बाध बनाया जा रहा है। इससे लगभग ३७ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होगी और ५६ लाख रुपये व्यय होंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न बांध भी बनाए जा रहे हैं :—

(१) गम्भीरी योजना	चित्तौड़गढ़	गम्भीरी नदी	२० हजार एकड़
(२) सरेरी योजना	चित्तौड़गढ़	सरेरी नदी	१६॥ हजार एकड़
(३) नमूना योजना	नाथद्वारा	बनास नदी	१३ हजार एकड़

अध्याय : छः

कृषि की उपज

राजस्थान विशाल राज्य है। वर्षा की दृष्टि से, प्रकृति को राजस्थान पर दयालु नहीं कहा जा सकता। फिर भी राजस्थान कृषि-प्रधान राज्य है क्योंकि यहां ८४ से ६० प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में इस व्यवसाय पर निर्भर हैं।

राजस्थान में २.८३ करोड़ एकड़* में खेती की जाती है व प्रति व्यक्ति खेती का क्षेत्र १.७७ एकड़X है राजस्थान की लगभग ३३.५ प्रतिशत भूमि में ही कृषि होती है। राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए ४२६.३८ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं।

सिरोही तथा लूनी व उसकी सहायक नदियों के निकटवर्ती उपजाऊ भागों के अतिरिक्त अरावली के पश्चिमी, उत्तरी और उत्तरी-पश्चिमी भाग, जिनमें प्रायः समस्त जैसलमेर, बीकानेर व अधिकाश जोधपुर के भाग सम्मिलित हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। धरातल से पानी बहुत नीचे मिलता है, और सिचाई के साधन नहीं हैं। लूनी नदी अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती है वह कृषि के लिए बहुत अच्छी होती है जिसमें गेहूँ की खेती की जाती है। बीकानेर व जोधपुर के अधिकांश भागो में कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। इन भागों में जो भी वर्षा होती है वह पानी भूमि में ही सूख जाता है और बहकर नहीं जाता है अतः यहां साधारण वर्षा से ही कृषि हो जाती है।

पूर्वी राजस्थान में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक और नियमित होती है, प्रत्येक प्रकार की मिट्टी मिलती है, पानी धरातल के निकट है और कुएं भी अनेक हैं, अनेक नदिया व नाले हैं। थोड़े भाग के अतिरिक्त शेष भाग में वर्ष में दो फसलें तैयार हो जाती हैं।

---

* Basic Statistics Rajasthan, 1957 P. 3

X वही

दो फसलें—राजस्थान में दो फसले काटी जाती हैं—खरीफ अथवा स्यालु और रबी अथवा उन्हालू। खरीफ की फसल बरसात के आरम्भ में बोई जाती है और सर्दी आरम्भ होने पर काट ली जाती है। मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, तिल असली. मूंग, मोठ आदि प्रमुख उपज हैं। इस फसल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अतः उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान की यह मुख्य फसल है। रबी की फसल सर्दी आरम्भ होते ही बो दी जाती है और गर्मी के आरम्भ होते ही काट ली जाती है। इस फसल की मुख्य उपज गेहूं, जौ, चना, जीरा, धनियां, सरसो, मिर्चें, गन्ना, तम्बाकू, नील आदि हैं।

दक्षिणी राजस्थान में एक विशेष प्रकार की कृषि प्रणाली दिखाई देती है। जिसे मुख्यः भील लोग करते हैं। इस प्रणाली को 'वालर' अथवा 'वालरा' कहते हैं जो 'झूम' प्रणाली के समान होती है। इसमें जंगल के एक भाग को जला देते हैं और इस प्रकार साफ किए गये मैदान पर एक-दो वर्ष तक खेती करते हैं, बाद में इस भाग को छोड़ कर दूसरे भाग को साफ करके वहां खेती करते हैं। यह प्रणाली वनो के लिए अत्यन्त हानिप्रद होने के कारण, सरकार द्वारा निषेध कर दिया है।

प्रमुख फसलें

१. **गेहूँ**—यह राजस्थान में रबी की फसल है। राजस्थान के पूर्वी भागो, जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी आदि में गेहूँ की खेती की जाती है। जोधपुर डिवीजन में लूनी नदी के निकटवर्ती भागो में गेहूं की खेती होती है। गङ्ग-नहर बन जाने के पश्चात् बीकानेर के गगानगर जिले में गेहूँ की खेती अधिक मात्रा में व उच्चकोटि की होती है। गङ्गानगर को राजस्थान का 'खाद्य भण्डार' कहते हैं। राजस्थान नहर बन जाने के पश्चात् गेहूँ की खेतों का क्षेत्र बहुत बढ़ जावेगा। राजस्थान में गेहूँ की प्रति एकड़ औसत उपज ८४२ पौंड है। पिछले दो वर्षों में राजस्थान में गेहूँ का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

वर्ष		उत्पादन
१६५७	....	८ लाख टन
१६५८	....	१० लाख टन

२. जौ—यह साधारण भूमि व कम पानी में भी उत्पन्न हो जाता है। अतः उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर, सर्वत्र इसकी खेती होती है। राज्य में जौ की प्रति एकड़ औसत उपज १००८ पौण्ड है।

३. बाजरा—कृषि किए जाने वाले लगभग ३३ प्रतिशत भाग में बाजरे की खेती होती है। उत्पादन एवं खाद्य-पदार्थ की दृष्टि से इसका महत्वशील स्थान है। इसकी खेती वर्षा पर ही निर्भर है। अतः जिस वर्ष वर्षा अच्छी हो जाती है उस वर्ष बाजरे की पैदावार भी अच्छी हो जाती है। यह फसल तीन महीने में पक जाती है। इसकी खेती मुख्यतः पश्चिमी और उत्तरी भागों में होती है। बीकानेर, चूरू, जोधपुर, झुंझनूं, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली आदि में बाजरे की खेती होती है। राजस्थान में बाजरे की प्रति एकड़ औसत उपज १९५ पौंड है।

४. ज्वार—राजस्थान के कृषि लगभग ८ प्रतिशत भाग में ज्वार की खेती होती है। इसको अपेक्षाकृत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। बूंदी, झालावाड़, कोटा, टौंक तथा प्रतापगढ़ एवं उदयपुर के कुछ भागों में ज्वार की खेती मुख्यतः होती है।

५. मक्का—राजस्थान में कृषि के लगभग २ प्रतिशत भाग में मक्का की खेती होती है। इसके लिए अपेक्षाकृत अधिक पानी व उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। गङ्गानगर, उदयपुर, कोटा, अलवर, जयपुर व टौंक आदि में इसकी खेती होती है।

६. चावल—राजस्थान के अधिक वर्षा वाले कुछ भागों में चावल की भी खेती होती है। किन्तु यह चावल बढ़िया श्रेणी का नहीं होता है। कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा व डूंगरपुर में इसकी खेती होती है।

७. दालें—राजस्थान के कृषि के लगभग २० प्रतिशत भाग में दालें उत्पन्न की जाती हैं। चना राजस्थान में रेगिस्तानी भाग को छोड़कर सर्वत्र ही उत्पन्न होता है। अर्द्ध शुष्क भागों में सूखी खेती द्वारा चना उत्पन्न किया जाता है। गङ्गानगर में चने की खेती सिंचाई द्वारा होती है। मूंग, मोठ, अरहर व उड़द की खेती भी राजस्थान के विभिन्न भागों में होती है। सन् १९५८ में लगभग ३५ लाख टन दालें उत्पन्न हुईं।

८. **कपास**—भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, गङ्गानगर आदि में कपास की खेती होती है। राज्य में कपास का उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। अधिकाश कपास राज्य की सूती मिलो (भीलवाड़ा, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, जयपुर, पाली आदि) में काम आ जाती है, कुछ बाहर भेज देते हैं।

६. **तिलहन**—राजस्थान में तिलहन की खेती भी महत्वपूर्ण है। यहां कृषि के लगभग ६ प्रतिशत भाग में तिलहन का उत्पादन होता है। तिल की खेती शुष्क भागो में, जहा बाजरे की खेती होती है, हो सकती है। सरसो और राई (अलवर, भरतपुर, गङ्गानगर), अलसी (उदयपुर, कोटा और टौंक); मूंगफली (जयपुर व कोटा जिले) आदि अन्य प्रमुख तिलहन हैं।

१०. गन्ना—इसकी खेती गङ्गानगर, कोटा, उदयपुर, बासवाड़ा, डूंगरपुर, टौंक और सवाई माधोपुर में होती है। गङ्गानगर और उदयपुर जिलों का गन्ना वहा के शक्कर के कारखानो में काम आ जाता है। अधिकाश का गुड़ बनाया जाता है।

११. अफीम—इसकी खेती भारत सरकार के नियन्त्रण में होती है। कोटा व उदयपुर जिलो के कुछ भागो में इसकी खेती होती है।

१२. मसाले—जीरा, धनिया, मिर्च आदि राज्य के अनेक भागों में उत्पन्न किया जाता है। जयपुर, उदयपुर व कोटा में जीरा, धनिया, मिर्चें आदि विशेष रूप से होती हैं।

इनके अतिरिक्त साग-सब्जी, अनेक प्रकार के फल, आलू आदि भी उत्पन्न किये जाते हैं। बीकानेर के तरबूज, जोधपुर के अनार, टौंक, सांभर व पाली का खरबूजा, उदयपुर की ककड़ी व पपीते प्रसिद्ध हैं।

प्रमुख फसलों की औसत प्रति एकड़ उपज*

१. गेहूँ	....	८४२ पौंड
२. जौ	....	१,००८ पौंड
३. बाजरा	....	१६५ पौंड
४. चावल	....	१,१४७ पौंड

* Basic Statistics 1957 P. 36

५.	चना	....	३५८ पौंड
६.	मूंगफली	....	७५४ पौंड
७.	गन्ना	....	१,५६१ पौंड
८.	आलू	....	२,७३१ पौंड

राज्य में कृषि में सुधार करने के लिए निम्नलिखित बातें सहायक होंगी–

(१) खाद का उचित प्रयोग, (२) अच्छे बीजों का प्रयोग, (३) परती भूमि को सुधारना, (४) भूमि का उचित वितरण, (५) सिंचाई के साधनों में वृद्धि करना, (६) कीड़ों व कीटाणुओं से रक्षा, (७) आधुनिक यंत्रों का उपयोग, (८) पशुओं की नस्ल सुधार, (६) अनुसधान कार्यों का विकास, (१०) सहकारी संस्थाओं की स्थापना, (११) कृषि सम्बन्धी शिक्षा का प्रसार, (१२) कृषकों को परामर्श आदि की व्यवस्था, (१३) फसल प्रतियोगिता आदि ।

अध्याय : सात

पशुधन

पशु दो प्रकार के होते हैं—जंगली और पालतू । अब राजस्थान में जंगली पशु बहुत कम रह गये हैं क्योंकि अनेक भागो के जंगल साफ कर दिये गये हैं तथा अनेक का अनियंत्रित शिकार किया गया है। राजाओं के शिकारप्रेम के कारण अब भी अनेक भागो में जंगली पशु पाये जाते हैं। अरावली पर्वत एवं उसकी तलैटिया तथा हाड़ौती के पठारी भाग में जंगली पशुओ की अब भी प्रचुरता है। राजस्थान में पाये जाने वाले प्रमुख जंगली पशु निम्नलिखित हैं।

१. शेर—मुख्यतः डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर के जगलों में पाये जाते हैं।

२. चीते—सवाई माधोपुर, किशनगढ़, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, बूंदी, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर व झालावाड़ में मुख्यतः पाये जाते हैं।

३. रीछ—कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर में मुख्यतः पाये जाते हैं।

४. सूअर—सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, अलवर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में मुख्यतः पाये जाते हैं।

५. हिरन—प्रायः सर्वत्र पाये जाते हैं किन्तु किशनगढ, टोंक, अलवर, उदयपुर, जोधपुर व कोटा उल्लेखनीय है।

६. नील गाय—किशनगढ़, करौली, भरतपुर, धौलपुर, जोधपुर, कोटा व झालावाड़ उल्लेखनीय है।

७. खरगोश—सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर,

व करौली उल्लेखनीय है।

पालतू पशु

राजस्थान की पशु संख्या भारत के अधिकतर राज्यों और विश्व के अधिकतर देशों से अधिक है। स्थूल रूप से राजस्थान राज्य में, सन् १९५१ की पशुगणना के अनुसार, भारत के कुल पशु का लगभग ८'८ प्रतिशत भाग पाया जाता है जो नीचे की तालिका से स्पष्ट है—

पशु	भारत* (लाखो मे)	राजस्थान+ (लाखो मे)	राजस्थान मे भारत का प्रतिशत
गाय-बैल	१९५०	१४५	७.४
भेड़-बकरी	८८६	१०५	११.५
अन्य	७९	७	८८
	२९१५	२५७	८.८

प्रमुख पालतू पशुओं को तीन भागों में विभक्त करके अध्ययन करेंगे—(१) दूध देने वाले पशु; (२) बोझा ढ़ोने और सवारी के काम आने वाले पशु; और (३) मास और ऊन देने वाले पशु।

१. दूध देने वाले पशु

गाय—भारत की समस्त गायो का लगभग ८ प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है। संख्या के अतिरिक्त श्रेष्ठता की दृष्टि से भी राजस्थान की गायें—विशेषत: रेतीले भाग की गाये, जो पाच सेर से दस सेर तक दूध देती हैं—ऊंचा स्थान रखती हैं। जोधपुर डिवीजन में मालानी और साचोर, तथा बीकानेर डिवीजन में पूंगल तहसीलो की गाये बहुत अच्छी मानी जाती हैं।

* 'India 1953', P.. 251

\+ Agricultural Statistics (1950-51) P. 37-40

भैंस—सन् १९५६ की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ३४·३९ लाख* भैंसे थीं। ये प्रायः प्रत्येक भाग में पाई जाती हैं। शुष्क भागों–जैसलमेर, बीकानेर आदि में बहुत ही कम भैंसें मिलती हैं।

२. सवारी व बोझा ढोने वाले पशु

बैल—मध्य तथा पूर्वी राजस्थान में बैल मुख्यतः पाये जाते हैं। जोधपुर डिवीजन के नागौर जिले के 'नागौरी बैल' उत्तर भारत में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। प्रमुख पशु-मेलो मे उनका क्रय-विक्रय बडी सख्या में होता है। ये बैल सुन्दर, मजबूत बड़े व ताकतवर होते हैं। सन् १९५६ की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में २५·७८ लाख बैल हैं।

ऊंट—रेगिस्तान का सबसे महत्वशील पशु ऊट है जो 'रेगिस्तान का जहाज' भी कहलाता है। ऊट सवारी करने, बोझा ढोने, पानी खींचने, खेत जोतने, गाड़ी खींचने के काम आता है। ऊंट का दूध दवा के रूप में व कुछ लोगो के लिए साधारण रूप में पीने के काम आता है। इसके बालो से नम्दे, डोरिया आदि बनाए जाते हैं। ऊंट की खाल के बड़े-बड़े कुप्पे बनाए जाते हैं जो तेल या घी भरने के काम में आते हैं। भारत में सवारी के लिए श्रेष्ठ ऊट राजस्थान में ही पाये जाते हैं जो कि आवश्यकता पड़ने पर एक रात में ८० से १०० मील तक चल लेते हैं। जैसलमेर, बीकानेर व जोधपुर के ऊंट प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर के ऊंट साधारण ऊंटो से छोटे और सुन्दर सिर व गर्दन वाले होते हैं। जोधपुर व बीकानेर के ऊंट जैसलमेरी ऊटो से अपेक्षाकृत बड़े मजबूत तथा प्रायः अधिक तेज चलने वाले होते हैं। सन् १९५६ की पशु-गणना के अनुसार राजस्थान में ४,२५,२४० ऊंट हैं।

घोड़ा—यह सवारी और गाड़ी खींचने के काम आता है। जोधपुर डिवीजन मे मालानी और जालौर के घोड़े प्रसिद्ध हैं। सन् १९५६ में राजस्थान में १·१३ लाख घोड़े हैं।

Basic Statistics Rajasthan 1957 Published by Directorate of Economics & Statistics, Rajasthan, P. 38.

गधा—यह बोझा ढोने के काम में आता है व इसे साधारण भोजन की आवश्यकता होती है। गधे राजस्थान के प्रायः प्रत्येक भाग में पाये जाते हैं। सन् १९५६ की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में १.९० लाख गधे हैं।

२. मांस व ऊन देने वाले पशु

इस वर्ग में बकरी व भेड मुख्य हैं। भेड़ व ऊन का विस्तृत विवरण आगे के अध्याय में दिया गया है। यहा केवल बकरी का संक्षिप्त विवरण देंगे।

बकरी—सन् १९५१ की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल ५५,४३,६७४ बकरे व बकरिया थी* और १९५६ की पशु गणना के अनुसार यहा इनकी संख्या ८७,३०,१६३ है+। बकरियो के लिए भी शुष्क जलवायु अनुकूल होती है, इस कारण राजस्थान के शुष्क भागो में भेड़ व बकरिया दोनों ही पाली जाती हैं। बकरिया काटेदार झाड़ियां, सूखे पत्ते व छोटी-छोटी घास बड़ी रुचि से खाती है, अतः बकरी-पालन में व्यय कम होता है। राजस्थान में बकरियां मुख्यतः पश्चिम और उत्तरी राजस्थान में पाई जाती हैं।

राजस्थान में मासाहारी लोग अधिकतर बकरे का मांस ही काम में लेते हैं। राजस्थान के बड़े नगरों में गावों से बकरे मांस के लिए मंगाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान से बकरे बाहर भी, मुख्यतः बम्बई, अहमदाबाद व देहली को भेजे जाते हैं।

बकरियों के बालो से नम्दे व कम्बल आदि भी बनाते हैं। चमड़े से अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं।

पशु मेले

पशुओ के क्रय-विक्रय को सुगम बनाने के लिए राजस्थान के विभिन्न भागों में पशु मेलो का आयोजन होता है जिनमें अच्छी नस्लो के ऊंट, भेड, बकरियां, गाय, बैल आदि पशुओं का क्रय-विक्रय होता है।

---

* Statistical Outline of Rajasthan, Jan. 1953; P. 22

+ Basio Statistics Rajasthan 1957 P. 37

जोधपुर डिवीजन में वालोतरा के निकट तिलवाड़ा में (प्रायः मार्च के महीने में) पशु मेला लगता है जिसमें मुख्यतः ऊंटो का क्रय-विक्रय होता है। जोधपुर डिवीजन में ही नागौर और परबतसर में भी पशु-मेले लगते है। नागौर के मेले में मुख्यतः बैल और परबतसर के मेले में बैल, ऊंट व घोड़े आदि का मुख्यत. क्रय-विक्रय होता है। अक्टूबर-नवम्बर में पुष्कर (अजमेर के निकट) में भी पशु-मेला लगता है। अलवर, भरतपुर (दशहरे पर) धौलपुर व इन्द्रगढ में भी पशु-मेले लगते हैं। इनके अतिरिक्त ऊंट व पशुओ के अन्य छोटे मेले बीकानेर के अनेक स्थानो में लगते हैं।

अध्याय : आठ

पशुधन (क्रमशः)

(राजस्थान में भेड़ व ऊन*)

भारत के ऊन उत्पादक राज्यों में राजस्थान का प्रमुख स्थान रहा है। भारतीय ऊन-उद्योग में राजस्थान की महत्ता का प्रतिपादन करने के लिए यह एक ही तथ्य पर्याप्त है कि देश में ऊन का कुल मिलाकर जितना उत्पादन होता है, उसका लगभग ३३ प्रतिशत भाग इस राज्य में ही प्रति वर्ष होता है। सन १९५६ के सरकारी आकड़ो+ के अनुसार राजस्थान में ७३·७५ लाख भेड़ें हैं। इस संख्या को देखते हुए तथा सन् १९५१ की भेड गणना के उपलब्ध आकड़ो से तुलना करने पर ज्ञात होगा कि भेडो की संख्या मे लगभग ३४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुमान है कि भारत की कुल भेड़ो का लगभग २० प्रतिशत भाग राजस्थान में ही है। राजस्थान में आज-कल लगभग २८० लाख पौंड ऊन का प्रति वर्ष उत्पादन हो रहा है।

अर्थ-व्यवस्था में महत्व—अनुमान है कि राजस्थान से प्रति वर्ष ३½ से ४ करोड़ रुपयों की ऊन विदेशो को निर्यात की जाती है जिसमें से एक बड़ा भाग दुर्लभ-मुद्र क्षेत्र को जाता है। इस प्रकार विदेशी मुद्रा अर्जन में ऊन का भी महत्वपूर्ण योग है। कुछ ऊन भारत के ऊनी-उद्योग केन्द्रो को भेज दी जाती है और शेष राजस्थान में ही कुटीर उद्योगो में काम में ले ली जाती है।

भेड़ो से ऊन के अतिरिक्त अन्य वस्तुएँ भी प्राप्त होती हैं। भेड़ो से दूध व मास भी मिलता है। लाखों भेड़ें प्रति वर्ष उत्तर-प्रदेश, देहली, अहम-

---

* प्रस्तुत अध्याय में भेड़ व ऊन उन्नति विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित 'राजस्थान में भेड व ऊन उन्नति' पुस्तिका से सामग्री स्वतन्त्रतापूर्वक ली गई हैं। लेखक विभाग के आभारी हैं।

+ Basic Statistics Rajasthan, P. 197

दाबाद, बम्बई को मांस के लिए भेज देते हैं। अनुमान है कि राजस्थान में ही प्रति वर्ष १० लाख भेड़े मास के लिए मारी जाती है।

भेडो से अन्य लाभप्रद पदार्थ भी मिलते हैं। इनकी मींगनियाँ और मूत्र श्रेष्ठ खाद होती हैं। इसी कारण भेडें चर चुकने के पश्चात् रात में किसान अपने खेतों में बिठा लेते है व इसके लिए चरवाहो को कुछ रुपये भी दे देते हैं। भेड़ो की आतो से बल्ले, स्नायु से सरेस और चर्बी से बूट-पॉलिश, ग्रीज आदि बनाते हैं। भेड़ो की हड्डियो से श्रेष्ठ खाद भी बनाई जाती है।

राजस्थान के रेतीले एव पहाड़ी भाग में जहाँ खेती नहीं की जा सकती है, वहां भेडें चराकर भूमि का उपयोग कर लेते है। इसके अतिरिक्त इन भागों में भेड़ें पालकर लोग अपना निर्वाह कर लेते है। कृषि वाले क्षेत्रो में भी कृषक भेड़ें पालते हैं और इस प्रकार यह एक सहायक उद्योग का रूप ले लेता है। राजस्थान में सम्पूर्ण जोधपुर व बीकानेर डिवीजन तथा जयपुर डिवीजन के कुछ भाग में मुख्य व्यवसाय भेड़-पोषण ही हैं। इस कारण भेड़ सम्बन्धी अन्य व्यवसाय जैसे ऊन कटाई, सफाई, कताई, बुनाई तथा अन्य ऊनी कुटीर उद्योग यहा के मुख्य अङ्ग बन गये हैं। व्यापारिक-क्षेत्र में भी ऊन का व्यापार इन भागो में मुख्य है। अनुमान है कि राजस्थान में लगभग दस लाख व्यक्तियो* का निर्वाह भेड़-पालन से होता है अतः स्पष्ट है कि राजस्थान की अर्थ व्यवस्था में इनका बहुत महत्व है।

भेड़ क्षेत्र—यदि राजस्थान के उत्तर-पूर्व से लेकर दक्षिण-पश्चिम तक एक रेखा खीची जाय (अर्थात् झुंझुनूं जिले के उत्तरी भाग से जालौर की पश्चिमी सीमा तक) तो ज्ञात होगा कि इस रेखा पर (यह चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाडमेर व जालोर के क्षेत्रों में होती हुई जावेगी) तथा निकटवर्ती भागो में ही राजस्थान की भेडो का मुख्य क्षेत्र है। इस भाग में वार्षिक वर्षा का औसत १५ इञ्च से २६ इञ्च तक रहता है। यहाँ प्रति वर्ग मील के क्षेत्र में भेड़ों की सख्या ५६ से १०२ तक पाई जाती है।

* 'राजस्थान में भेड़ व ऊन उन्नति', राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित.

इस क्षेत्र (अथवा इस रेखा) के उत्तरी भाग में वर्षा की कमी के कारण भेड़ों की संख्या भी कम है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग मरुस्थली है और औसत वार्षिक वर्षा भी १० इंच से कम है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ग मील में १५ से ३० भेड़ें ही मिलती हैं।

मध्यभाग के दक्षिणी क्षेत्र में ३० इंच से ४० इंच तक वर्षा होती है, अतः यहा के लोग कृषि उद्योग में विशेष ध्यान देते हैं। फलस्वरूप भेड़-पोषण की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि इस भाग में प्रति वर्ग मील पर भेड़ों की सख्या १५ से ५० तक ही सीमित है।

प्रति १०० व्यक्तियो के पीछे भेड़ों की आबादी विभिन्न भागों में अलग-अलग है। इस दृष्टिकोण से न्यूनतम आबादी कोटा डिवीजन में है। राजस्थान के इस पूर्वी भाग में प्रत्येक १०० व्यक्तियों के पीछे भेड़ों की संख्या ६ से १६ तक ही है। अधिकतम आबादी राजस्थान के पश्चिमी भाग जोधपुर डिवीजन में मिलती है। इस भाग में प्रत्येक १०० व्यक्तियो के पीछे ५५ से २०० भेड़ें मिल जाती हैं।

राजस्थान की भेड़ों की मुख्य नसलें

ऊन, शारीरिक बनावट तथा मुखाकृति के आधार पर राजस्थान की भेड़ो का विभाजन आठ प्रकार की नस्लो में किया गया है। प्रत्येक का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

(१) नाली—इस जाति की भेड़ें मुख्यतः बीकानेर के उत्तरी भाग में तथा बीकानेर व पंजाब की सीमा पर पाई जाती हैं। इनका चेहरा हल्के भूरे रङ्ग का, लम्बे कान तथा औसतन वजन लगभग ६७ पौंड होता है। इनकी ऊन लम्बे रेशों की प्रायः ५ इंच से ५॥ इंच तक की होती है। प्रति भेड़ प्रति वर्ष ६-७ पौंड ऊन देती है। वर्ष में दो बार इनकी ऊन काटी जाती है। अनुमान है कि इस जाति की लगभग २-३ लाख भेड़ें हैं।

(२) मगरा—ये भेड़ें जैसलमेर, नागौर तथा बीकानेर जिलों में पाई जाती हैं। इनकी शारीरिक बनावट सुन्दर व मजबूत होती है। इनका वजन लगभग ८० पौंड होता है। इनकी आखो के चारो ओर हल्के भूरे रङ्ग के दाग

होते हैं। वर्ष में तीन बार इनकी ऊन काटी जाती है। ऊन मध्यम श्रेणी की व ४ इंच से ५ इंच तक लम्बी होती है। प्रत्येक भेड़ से ३ से ४ पौंड ऊन प्रति वर्ष प्राप्त होती है। अनुमानतः ऐसी भेड़ें राजस्थान में ३-४ लाख हैं।

(३) चोकला या शेखावाटी—इस जाति की भेड़ें बीकानेर के चूरू और जयपुर के झुंझुनूं व सीकर जिलों में पाई जाती है। इनके कान छोटे तथा चेहरे पर गहरे भूरे तथा काले दाग होते हैं, प्रत्येक भेड़ से वर्ष में २ से ४ पौंड तक ऊन प्राप्त होती है। यह ऊन अच्छे किस्म की होती है। इस जाति की भेड़ें लगभग १५ लाख हैं।

(४) मारवाड़ी—इस जाति की भेड़ें समस्त जोधपुर डिवीजन तथा जयपुर डिवीजन के कुछ भाग में पाई जाती हैं। इनके कान लम्बे, मुंह काले व स्वस्थ शरीर होते हैं। इस जाति में मुख्य विशेषता यह है कि इसमें लम्बी यात्रा करने की शक्ति होती है तथा शीघ्र ही किसी रोग से ग्रसित नहीं होती।

(५) जैसलमेरी—यह जाति समस्त जैसलमेर तथा जोधपुर के पश्चिमी सीमान्त भाग में मुख्यतः पाई जाती हैं। इस जाति में दो शाखाएं हैं—प्रथम गहरे भूरे रङ्ग के मुंह वाली और दूसरी काले चेहरे वाली। इनके कान लम्बे तथा शरीर पुष्ट होता है। शारीरिक तौल लगभग ६० पौंड होता है। इन भेड़ों की ऊन मध्यम श्रेणी की होती है व रेशा ४ इंच से ५ इंच तक लम्बा होता है। प्रति भेड प्रति वर्ष ४ पौंड से ७ पौंड तक ऊन देती है। यह जाति राजस्थान में पाई जाने वाली समस्त जातियों में सबसे अधिक ऊन देती है। इस जाति की भेड़ों की संख्या राज्य में लगभग ४ लाख है।

(६) मालपुरी—यह भेड़ें जयपुर, टोंक तथा सवाई माधोपुर में पाई जाती हैं। इनके कान छोटे और मुंह बहुत ही हल्के भूरे रङ्ग के होते हैं जो दूर से प्रायः सफेद ही दिखाई देते हैं। इनका औसत भार ६० पौंड होता है। प्रति वर्ष प्रति भेड़ से १॥ से २ पौंड ऊन प्राप्त होती है। इनकी संख्या लगभग १५ लाख हैं।

(७) सोनाड़ी या चनोथर—यह जाति समस्त उदयपुर डिवीजन से लेकर बम्बई व राजस्थान की सीमा के भागों में पाई जाती है। इस जाति की भेड़ों के कान लम्बे, प्रायः ८ से १० इंच तक होते हैं तथा चरते समय पृथ्वी

से छूते रहते हैं। इनकी लम्बी पूंछ और चेहरे से लेकर गर्दन तक भूरा रङ्ग होता है। इनका औसत वजन अन्य सब भेड़ो से अधिक होता है। औसत वजन १२० पौंड होता है। ऊन छोटे रेशे वाली, २॥ इञ्च लम्बी प्राप्त होती है। प्रति भेड़ प्रति वर्ष १॥ से २ पौंड तक ऊन देती है। इस जाति की राज्य में लगभग ६ लाख भेड़े हैं।

(८) नागड़ी—ये भेडे अलवर में पाई जाती हैं। इनमें अधिकाश (प्राय: ७५ प्रतिशत) काले मुह की होती है और शेष सफेद मुंह वाली। इनके कान छोटे व ऊन भी छोटे रेशे वाली होती है। इनकी संख्या लगभग २ लाख है।

भेड़ पालन और ऊन उद्योग के दोष

यद्यपि भेड़ो व ऊन प्राप्ति की मात्रा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में महत्वशील स्थान है किन्तु यह व्यवसाय उन्नत दशा में नही है। नीचे इस व्यवसाय के प्रमुख दोष एवं उनके निवारण के लिये कुछ उपाय बतलाए गए हैं।

(१) नस्ल सुधार—राजस्थान में भेड़ों की नस्ल बहुत बिगड गई है क्योंकि भेड़ों के मालिक भेडो को चराने का काम वेतन-भोगी श्रमिकों से लेते हैं अतः ये लोग भेडो की नस्ल सुधारने में विशेष प्रयत्नशील दिखाई नही देते हैं। इसके अतिरिक्त प्रजनन के लिए अच्छे नरो का चुनाव नहीं किया जाता है।

(२) उत्तम चरागाहों की कमी—राजस्थान में उत्तम चरागाहों की कमी होने के कारण भेड़ चराने वालो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहना पड़ता है। इसलिए इनको सङ्गठित करने में असुविधा है।

(३) रोग आदि—भेड़ो में रोग आदि फैल जाते हैं जिनसे सैकडो भेडें अल्प काल में ही मर जाती हैं। चरवाहे रोगग्रसित भेड़ो की देखभाल व रोगो को रोकने के प्रयत्न पूर्णतः नही कर पाते हैं।

(४) खराब आर्थिक दशा—भेड चराने वालों की आर्थिक दशा अत्यन्त खराब है। अतः उनकी कार्य क्षमता में कमी आती है। उनका ध्यान पनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन एकत्रित करने की ओर धिक रहता है और भेड़ पोषण तथा इनकी उन्नति की ओर कम।

(५) अनुसन्धान केन्द्रों की कमी—राजस्थान में भेड़ व ऊन पर अनुसन्धान करने के लिए केन्द्रों की कमी है। जो केन्द्र हैं भी, वे आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तथा सरकारी केन्द्र होने के कारण लालफीताशाही व अन्य असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

(६) दोषपूर्ण विक्रय प्रणाली—राजस्थान में ऊन के विक्रय का अत्यन्त दोषपूर्ण ढङ्ग है। ऊन का श्रेणीकरण नहीं किया जाता है, मध्यजन प्रचुर संख्या में होते हैं, ऊन में मिलावट कर दी जाती है, ऊन के निर्यात की प्रणाली दोषपूर्ण है। इन सब कारणों से ऊन उद्योग प्रगति नही कर पाया है।

(७) सरकारी प्रोत्साहन की कमी—अभी तक सरकार की ऊन उद्योग के प्रति उदासीन नीति रही थी। ऊन कातने, बुनने, रगने आदि के कारखानो को सरकार ने प्रोत्साहन नहीं दिया। प्रशिक्षण की ओर भी सरकार ने कोई ध्यान नही दिया था। किन्तु अब सरकार इसकी ओर सजग प्रतीत होती है।

(८) अवैज्ञानिक तरीके—ऊन काटने व उद्योग में अवैज्ञानिक तरीके काम में लिए जाते हैं। ऊन को कैंची से काटते हैं जिससे बहुत सी ऊन बेकार चली जाती है, कुछ उड़ जाती है।

(९) सहकारिता का अभाव—भेड़ें चराने वाले व ऊन विक्रेताओं की सहकारी सस्थाएं नही हैं अतः उन्हे संगठित होने तथा उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कोई प्रयत्न सफल नही हो पाते अतः इनमें सहकारिता की भावना जाग्रत करने की आवश्यकता है।

ऊन की किस्में*—राजस्थान में प्राप्त होने वाली ऊन को स्थूल रूप से चार श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं :—

(१) उत्तम श्रेणी की ऊन—यह ऊन झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, चूरू तथा नागौर जिलों से प्राप्त होती है। प्रति वर्ष लगभग ५० लाख पौंड ऐसी ऊन प्राप्त होती है।

(२) मध्यम श्रेणी की ऊन—यह ऊन बीकानेर, गङ्गानगर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर के कुछ भागो तथा समस्त जोधपुर डिवीज मिलती है। ऐसी ऊन प्रति वर्ष लगभग १२० लाख पौंड प्राप्त होती है।

* 'विशाल राजस्थान' पृष्ठ ४

(३) **मोटी ऊन**—कोटा डिवीजन, टोंक तथा जयपुर जिले के कुछ भागों से प्राप्त की जाती है। ऐसी ऊन का वार्षिक उत्पादन लगभग १०॥ लाख पौंड है।

(४) **बहुत मोटी ऊन**—यह उदयपुर डिवीजन से प्राप्त की जाती है।

रङ्गों की दृष्टि से यहा पर उत्पादित ऊन का ३५.६ प्रतिशत सफेद, २६ प्रतिशत हल्का सफेद, ५६ प्रतिशत पीला और शेष धूसर व भूरा होता है।

मेड़ व ऊन का व्यापार

राजस्थान में लगभग प्रति वर्ष दो सौ अस्सी लाख (२८०) पौंड ऊन कटकर बिक जाती है। आज भी राज्य के सभी भागों में ग्रामीण मेड़-पालक प्राचीन परम्परा से चली आ रही कैंचियों की सहायता से ऊन काटकर बिना वर्गीकरण किये हुए गांवों के अथवा शहरो में रहने वाले ऊन के व्यापारी के दलालो के हाथो बेच देते हैं। इन लोगो का विक्रय भी उसी प्राचीन परम्परा के अनुसार होता है। या तो ऊन को तौल कर बेचते हैं अथवा मेड़ों की सख्या के अनुसार बेच देते हैं। इस प्रकार २-३ छोटे-छोटे व्यापारियों के हाथों से निकलने के बाद यहां का ऊन बड़ी मडियों तक पहुँचता है। राजस्थान की मुख्य ऊनी मंडियां ब्यावर, पाली, बीकानेर व कैकड़ी हैं। इन मण्डियो में पहुँचने के उपरान्त काटा निकाला जाता है तथा ऊन का वर्गीकरण किया जाता है। उसके पश्चात ३२० पौंड की गाठे बंधवाकर निर्यात होता है। राजस्थान की मण्डियो के अतिरिक्त कुछ कच्चा माल फाजलका, पानीपत, देहली तथा राजकोट की मण्डियो में भी पहुँचता है। इन मण्डियों से निकलने के उपरान्त निर्यात अधिकार व्यापारियो की सहायता से यह माल लिवरपूल, संयुक्त राज्य कनाड़ा, आस्ट्रेलिया और रूस को निर्यात किया जाता है। निर्यात के अतिरिक्त कुछ माल भारतीय ऊनी मीलों, कालीन व नमदो के उत्पादन केन्द्रो तथा हाथ करघा ऊनी उद्योग केन्द्रो द्वारा खरीद लिया जाता है।

इस राज्य का ऊन विदेशों में पहुँचकर मुख्यरूप से बीकानेर, राजस्थानी, ब्यावर, मारवाड़ी व जैसलमेरी तथा जोरिया के नाम से ही नीलाम होता है। इस प्रकार १८० लाख पौंड ऊन राजस्थान से भारत में व अन्य स्थानो तथा विदेशो को भेज दिया जाता है।

ऊन की अपेक्षा राजस्थान में लगभग १५ लाख भेड़ो की खपत मास के लिए हो जाती है, परन्तु इसके अतिरिक्त भी ४-५ लाख भेड़ प्रतिवर्ष दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बम्बई के व्यापारियो के हाथो मांस के लिए बेची जाती हैं। इस प्रकार राजस्थान को भेड़ व ऊन के निर्यात से करीब ७ करोड़ रुपये की आय प्रति वर्ष होती है।

सरकार का योग

सरकार ने राज्य में भेड़ व ऊन का आर्थिक महत्व समझा और सरकार भी अब इसके विकास के लिए प्रयत्नशील है। सरकार ने भेड़ व ऊन उन्नति विभाग बीकानेर में स्थापित किया है। जयपुर में डायरेक्टर का कार्यालय है।

प्रजनन केन्द्र व विकास केन्द्र—सरकार ने इन स्थानो पर भेड़ प्रजनन केन्द्र स्थापित किये हैं—बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर । इन केन्द्रो में अच्छे किस्म के नर-भेड़ रखे जाते हैं।

राजस्थान के विभिन्न भागो में विकास केन्द्रो का एक जाल सा बिछा दिया गया है। राजस्थान में ऊन विकास के लिए सम्पूर्ण राज्य को चार भागों में विभक्त कर देने के उपरान्त जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर में क्रमशः प्रत्येक भाग के लिए एक-एक भेड़ व ऊन विकास अधीक्षक के नियन्त्रण में एक-एक मुख्य विकास केन्द्र स्थापित किया गया है। प्रत्येक मुख्य विकास केन्द्र के अन्तर्गत दस दस विकास केन्द्र* खोले गये हैं।

---

* इनके नाम ये है-(१) मुख्य विकास केन्द्र जयपुर-इसके अन्तर्गत दस विकास केन्द्र इन स्थानो पर हैं—साभर, मालपुरा, निवाई, जयपुर, दौसा, अजीतगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, नवलगढ़ और झुंझुनूं। (२) 'मुख्य विकास केन्द्र बीकानेर-सूरतगढ़, हनुमानगढ़, महाजन, भादरा, राजगढ, बीकानेर, कोलायत, नोखा, डूंगरगढ और सुजानगढ। (३) मुख्य विकास केन्द्र जोधपुर (उत्तरी भाग जैसलमेर के लिए)—रामगढ़, जैसलमेर, डेडासर, लाठी, पोकरण, मोहनगढ, फलोदी, शिव और भाद। (४) मुख्य विकास केन्द्र जोधपुर (दक्षिणी भाग-जोधपुर के लिए)—बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, बाली, पाली, बिलाड़ा, जोधपुर, ओसिया, परबतसर, मेड़ता सिटी और नागौर।

भेड़ व ऊन प्रदर्शनियां व प्रतियोगितायें—सरकार की ओर से भेड़ ऊन प्रदर्शनियो व प्रतियोगिताओं का आयोजन भी सन् १९५० से प्रति वर्ष राज्य के विभिन्न भागो में किया जा रहा है। इन प्रदर्शनियों व प्रतियोगिताओ के माध्यम से ग्रामीण भेड-पालकों को आधुनिक भेड़-पोषण की विधियों के साथ ही ऊन वर्गीकरण की प्रणालिया व महत्व, ऊन कटाई व कताई, बीमारियों की रोक-थाम के विषय में बतलाया जाता है। इनका आयोजन ३-४ दिन तक मुख्यतः ऊन व भेड उत्पादक क्षेत्रों में किया जाता है।

अभी तक इन स्थानो पर ऐसी प्रदर्शनियो व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा चुका है :—

जयपुर क्षेत्र में झुंझुनू, सीकर, जैरामपुरा, हामपुरा; जोधपुर क्षेत्र में बिलाड़ा और बाली; बीकानेर क्षेत्र में कोलायत, रिड़मलसर और नोखा।

विकास सेवा खण्ड में भेड़ व ऊन उन्नति कार्य—सन् १९५५-५६ में राष्ट्रीय विकास सेवा खण्डों में भेड़ व ऊन की उन्नति की योजना की स्वीकृति दी। डीडवाना, सुमेरपुर, हिंडौन, साकड़ा और रायसिंहनगर में विकास कार्य हो रहा है। सुमेरपुर में सहकारी ऊन काटने का केन्द्र स्थापित कर दिया गया है।

इनके अतिरिक्त अब तक २० सहकारी-भेड़-पोषण समितिया इन क्षेत्रो में स्थापित की जा चुकी है।

ऊन कटाई केन्द्र—राज्य के विभिन्न स्थानो पर वैज्ञानिक ढङ्ग से ऊन काटने के अब तक लगभग बीस सामूहिक ऊन कटाई केन्द्र खोले गये है। इसी प्रकार के अन्य केन्द्र और भी खोले जावेगे।

शिक्षण केन्द्र—भेडो के शारीरिक विज्ञान, ऊन वर्गीकरण तथा प्राथमिक चिकित्सा आदि अनेक बातो सम्बन्धी शिक्षा देने के लिए सरकारी शिक्षण केन्द्रो की स्थापना करने की योजना है। ऐसी शिक्षण सस्था जयपुर में स्थापित (सन् १९५४ में) की जा चुकी है।

बुनकरों को हाथ करघा निर्मित कपड़ों का मशीनो द्वारा सस्ते व सुन्दर ढङ्ग से परिरूपण कराने की सुविधा देने के उद्देश्य से बीकानेर में ऊन कताई एवं परिरूपण केन्द्र स्थापित किया जा चुका है।

अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य व कृषि संस्था का योग—राजस्थान सरकार की प्रार्थना पर संयुक्त राष्ट्र सघ ने अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य व कृषि सस्था के दो विशेषज्ञो* की नियुक्ति इस विकास कार्य के लिए सहायता के रूप में की। इन दोनों ने इसके विकास के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट राजस्थान सरकार को दी थी। द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन्ही के आधार पर कार्य किये जा रहे हैं।

कोलम्बो योजना का योग—कोलम्बो योजना के अन्तर्गत विभाग के दो कर्मचारियो को आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड में भेड़ व ऊन विकास तथा अनुसन्धान सम्बन्धी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा है।

केन्द्रीय सरकार का योग—पशु-पालन केन्द्र हिसार, भेड़ व ऊन अनुसन्धान केन्द्र पूना आदि में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्रमशः दो और पाच कर्मचारियों को भेजा था।

---

* इन विशेषज्ञो में एक तो सिडनी यूनीवर्सिटी ऑफ टैक्नोलौजी के प्रोफेसर डा० पी० आर० मेकमोहन थे और दूसरे हालैण्ड के ऊनी ग्रामोद्योग विशेषज्ञ जे० एस० एशुएसडईश थे।

अध्याय : नौ

राजस्थान में विद्युत-विकास

महत्व—वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में विद्युत-शक्ति का स्थान महत्वशील है। आधुनिक उद्योग-धन्धों के लिए विद्युत-शक्ति का उपयोग अनिवार्य है। कृषि फार्मों एव गावों के नवनिर्माण की दशा में विद्युत की व्यापक उपयोगिताएं हैं। आज के चिकित्सा-विज्ञान में भी विद्युत की सहायता अनिर्वचनीय है। वर्तमान युग में अनेक कार्य बिजली की सहायता से अपेक्षाकृत अधिक-शीघ्र, अधिक तेजी से तथा कम खर्च पर किए जा सकते हैं। दो शब्दों में यदि इस युग को 'विद्युत-युग' कहा जाय तो अनुपयुक्त न होगा।

विद्युत-शक्ति का विकास किसी भी देश की उन्नति के लिए महान् आवश्यकता ही नहीं, वरन प्राणपद जीवन स्रोत है। किसी राज्य में बिजली के विकास को वहां की जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विकास का द्वार खोलने के लिए कुंजी कहा सकता है।

प्राकृतिक साधनो से भरपूर होते हुए भी अनेक दिशाओं में पिछड़े हुए राजस्थान में, विद्युत-शक्ति के विकास का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

राजसी से सार्वजनिक हित की ओर

राजस्थान निर्माण से पूर्व इस राज्य में सम्मिलित होने वाली विभिन्न रियासतों में जो बिजलीघर थे उनका प्रमुख उद्देश्य उनके राजाओं की सुख-सुविधा के लिए बिजली सम्बन्धी आवश्यकता को पूरी करना था। किन्तु राजस्थान निर्माण के पश्चात् अब बिजलीघरो का उद्देश्य सार्वजनिक हित हो गया है, अर्थात् जनता की घरेलू, कृषि एवं उद्योग-धन्धो सम्बन्धी दिन प्रतिदिन

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रकाशित 'राजस्थान में विद्युत विकास' से सामग्री स्वतन्त्रतापूर्वक एवं साभार ली गई है।

बढ़ती हुई विद्युत की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। विद्युत आज हमारी समस्याओं को सुलझाने का साधन है। इस समय राजस्थान में तीन बड़ी समस्याए हैं—(१) अनाज तथा अन्य कृषि पदार्थों की उपज में वृद्धि करना, (२) उद्योग धन्धों की स्थापना एवं विस्तार, और (३) नगरो तथा कस्बों में अधिक पानी की व्यवस्था करना। राज्य में विद्युत विकास से इन तीनों समस्याओं के निवारण में अत्यन्त सहायता मिलेगी। राज्य का विद्युत-विभाग इस दिशा में प्रयत्नशील है कि १,३२,२२७ वर्गमील में विस्तृत इस विशाल राज्य की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताएं शीघ्र ही पूरी की जाय। नवीनतम आँकड़ो के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत ४ किलोवाट* है।

स्थिति—एकीकरण के समय राज्य सरकार को अपनी इकाइयो से १३ बिजलीघर प्राप्त हुए थे। आर्थिक एवं यान्त्रिक, दोनों दृष्टियो से इनकी स्थिति सन्तोषजनक नही थी। इस समय राजस्थान में चल रहे बिजलीघरो को दो श्रेणियो में विभाजित किया जा सकता है—(१) पूर्णतया विकसित एव बड़े बिजलीघर, तथा (२) अल्प विकसित एवं छोटे बिजलीघर। प्रथम श्रेणी के बिजलीघर जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर और श्रीगङ्गानगर में हैं। दूसरी श्रेणी के बिजलीघर धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़, किशनगढ, निवाई, शाहपुरा आदि स्थानो में हैं।

निर्माण के दो क्षेत्र—राजस्थान में विद्युत विस्तार के दो क्षेत्र हैं। एक तो बिजलीघरो की सम्भाल-सुधार पर ध्यान देना और दूसरा नये बिजलीघरों की स्थापना। राज्य के विभिन्न नगरो और कस्बो में इन दो दिशाओ की ओर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

जयपुर—जयपुर में बायलर सहित ३,००० किलोवाट का एक इञ्जिन और एक २,५०० किलोवाट का इञ्जन चालू किया गया है। यहा २,५०० किलोवाट के दो इञ्जिन और तीन बायलरो वाला एक नया बिजलीघर भी कुछ समय से काम करने लगा है। जब तक चम्बल जल-विद्युत योजना कार्यान्वित नही हो जाती, तब तक इस विद्युत केन्द्र को और अधिक विकसित करने की

* Basic Statistics Rajasthan 1957 P. 69

आवश्यकता बनी रहेगी। उक्त योजना सफल हो जाने पर जयपुर को उसी से बिजली देने की व्यवस्था की जावेगी।

बीकानेर—बीकानेर नगर में राज्य का दूसरा बड़ा बिजलीघर है। इस बिजलीघर में चार स्टीम टर्बो सैट हैं जिनसे ७,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न होती है। यहा पानी की पूर्ति बिजली पर ही निर्भर है। यहां ट्रांसमिशन एव वितरण प्रणाली बहुत पुरानी हो चुकी है और उसमें भी विकास की आवश्यकता है।

जोधपुर—यहा विद्युत की मांग में बहुत वृद्धि हो रही है। कुछ डीजल इञ्जिन व बायलरों सहित दो इञ्जिन भी लगाने की योजना है।

अलवर व भरतपुर—यहा पहले डी० सी० बिजली थी। इस प्रणाली को बदल कर यहां ए० सी० प्रणाली आरम्भ कर दी गई है।

प्रथम योजना में विद्युत विकास—थर्मल शक्ति के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, गङ्गानगर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अलवर के बिजलीघरो में पुरानी मशीनों की मरम्मत की गई और नए यन्त्र लगाये गये। राज्य के विभिन्न क्षेत्रो में १०८ मील लम्बी ट्रासमिशन लाइनें डाली गईं। भाखरा योजना से प्राप्त होने वाली बिजली को गङ्गानगर, रायसिहनगर, रतनगढ़, फतहपुर, सीकर और जीसर तक पहुँचाने के लिए ट्रासमिशन लाइनें बिछाने का कार्य चालू है। पहली पंचवर्षीय योजना में बिजली का उत्पादन १९५१ में १५,००० किलोवाट से बढ़कर १९५६ में ४१,००० किलोवाट हो गया।

द्वितीय योजना में विद्युत विकास—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पांच हजार की जन-संख्या वाले सब गाव और कस्बों को विद्युत दी जाने की योजना है। अनुमान है कि सन् १९६१ तक १.१७ लाख किलोवाट विद्युत उपलब्ध की जा सकेगी। अभी सरकार द्वारा सचालित २० विद्युत-शक्ति केन्द्र हैं तथा २२ अन्य केन्द्र व्यक्तिगत पूजी से चल रहे हैं। व्यक्तिगत पूंजी से चलने वाले विद्युत केन्द्रो को भी, जो सस्ती बिजली नही दे सकते, राज्य द्वारा लेने की योजना विचाराधीन है जिसके लिए द्वितीय पचवर्षीय योजना में ४०

लाख रुपये की राशि निश्चित की है। भाखरा व चम्बल योजनाओं से जो विद्युत प्राप्त की जावेगी उसका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है।

भाखरा योजना:—भाखरा-नागल योजना में पंजाब व राजस्थान सरकारो का क्रमश: ८४·८ प्रतिशत और १५·२ प्रतिशत भाग है। इस योजना का बिजली का काम तीन चरणों में पूरा होगा। भाखरा बांध से ८ मील नीचे नागल बांध तैयार हो गया है जहां पर दो विद्युत गृह प्रत्येक ७२ हजार किलोवाट विद्युत उत्पन्न करने वाले हैं। भाखरा बांध पूरा होने पर विद्युत उत्पन्न करने वाले चार ६०,००० किलोवाट विद्युत उत्पादन यन्त्र बांध पर स्थापित किए जावेगे।

इस योजना से राजस्थान के लिए प्राप्य बिजली की शक्ति श्री गङ्गानगर और राजगढ को मिलेगी। इस योजना के कार्यान्वित होने के प्रथम वर्ष ही ६,००० किलोवाट तक बिजली राजस्थान को सुलभ हो जावेगी, और औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी व अन्य विद्युत सम्बन्धी आवश्यकता बढ़ जाने पर सन् १९६२ में १५ हजार किलोवाट तक बिजली मिलने लगेगी। श्री गङ्गानगर और राजगढ़ से बीकानेर के ६ जिलो के ६१ कस्बो व गावो में ट्रांसमिशन लाइनों द्वारा बिजली ले जाई जावेगी। इससे लगभग ७ लाख जनसंख्या की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताए पूरी होंगी। बीकानेर, श्री गङ्गानगर, चूरू, झुंझुनूं, नागौर और सीकर के साथ ही साथ मार्ग में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र बिजली की रोशनी से जगमगा उठेगे। उद्योग धन्धो के लिए भाखरा नागल से प्राप्त होने वाली बिजली १॥ आना प्रति यूनिट के हिसाब से प्राप्त हो सकेगी।

चम्बल योजना—चम्बल जल-विद्युत योजना राजस्थान के लिए एक महान वरदान है। चम्बल नदी के तीनो बांधो से २ लाख किलोवाट जल-विद्युत उपलब्ध हो सकेगी। इन तीनो बांधो—गांधी सागर से ६० हजार किलोवाट, राणा प्रताप सागर से ८० हजार किलोवाट और कोटा बाध से ६० हजार किलोवाट विद्युत प्राप्त हो सकेगी।

इस योजना का प्रभाव राजस्थान के दक्षिणी तथा पश्चिमी भूभाग पर भी पड़ेगा। चम्बल योजना के कार्यान्वित होने पर इन क्षेत्रो को पर्याप्त मात्रा में सस्ती विद्युत उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना के अन्तर्गत एक ओर तो

जयपुर तक और दूसरी ओर ग्वालियर तक विद्युत दी जा सकेगी। इस प्रकार चम्बल जल-विद्युत योजना और जयपुर के बिजलीघर का भी परस्पर सम्बन्ध हो जावेगा। जयपुर से अजमेर व नसीराबाद तक विद्युत पहुँचाई जावेगी। इस प्रकार चम्बल की विद्युत फुलेरा, किशनगढ, अजमेर व नसीराबाद को प्राप्त होगी। चम्बल योजना के पहले भाग में निम्नलिखित स्थानों को विद्युत मिलेगी–

१. गाधी सागर से कोटा

२. कोटा से लाखेरी व सवाई माधोपुर होती हुई जयपुर तक

३. कोटा से अजमेर

४. कोटा से भीलवाड़ा

५. सवाई माधोपुर से निवाई

६. सवाई माधोपुर से गङ्गापुर

इस योजना के क्रियान्वित होने पर बडे मध्यम व छोटे उद्योगों, कृषि कार्यों एव अन्य प्रयोजनो को कम दरो पर विद्युत प्राप्त हो सकेगी। इस विद्युत की सहायता से कोटा के उत्तरी-पश्चिमी भाग में १५० मील लम्बी नहर के अन्दर पम्पो से पानी पहुँचाया जायगा जिससे वर्ष पर्यन्त सिंचाई होगी और गन्ने की उपज बढेगी जिससे शक्कर के कारखानों के विकास में सहायता मिलेगी। जयपुर, उदयपुर, कोटा व जोधपुर डिवीजनों को इससे लाभ होगा।

अध्याय : दस

प्रमुख खनिज-पदार्थ

राजस्थान अपने विशाल क्षेत्र के गर्भ में अनेक खनिज-पदार्थ छिपाये हुए है। खनिजो का विशाल अज्ञात क्षेत्र राजस्थान में पड़ा है और बहुत से ज्ञात खनिज का सुविधाओ तथा साधनो के अभाव में दोहन नहीं हो सका। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत में बिहार व मध्य-प्रदेश के पश्चात राजस्थान का ही स्थान है। इस प्रकार खनिज-सम्पत्ति की दृष्टि से राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान* है।

यह ज्ञात है कि प्राचीन चट्टानों में अनेक खनिज-पदार्थ होते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियां रचना की दृष्टि से अत्यन्त प्राचीन हैं अतः इसके अनेक भागों में खनिज-पदार्थ हैं। वैसे तो राजस्थान में पाये जाने वाले खनिज-पदार्थ बहुत अधिक हैं किन्तु अभी लगभग ३० प्रकार+ के खनिज-पदार्थों का विदोहन छोटे तथा बड़े पैमाने पर हो रहा है। राजस्थान में छोटी व बड़ी लगभग २,२५० खानो पर कार्य हो रहा है जिनमें लगभग १ लाख व्यक्ति कार्य करते हैं×। राजस्थान में पाये जाने वाले प्रमुख खनिज निम्नलिखित हैं—

(१) अभ्रक—अभ्रक के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में बिहार के पश्चात् दूसरा स्थान∸ है तथा अभ्रक क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम

---

* Rajasthan–A Symposium, P. 60.

\+ 'Hindustan Times,' Rajasthan Supplement of March 30, 1955 P. 5

× सक्सेना तथा हुक्कू—'हमारे देश का आर्थिक व व्यापारिक भूगोल,' पृष्ट ४१३

∸ वही

स्थान* है। राजस्थान में अभ्रक क्षेत्र १२ हजार वर्गमील में विस्तृत है+। इस खनिज की खानें जयपुर, अजमेर व उदयपुर जिलोंX में हैं। सबसे अधिक अभ्रक उदयपुर जिले से प्राप्त होता है। अभ्रक की प्रमुख खानें भीलवाडा, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ, टोंक, बांसवाडा व डूंगरपुर में हैं। राजस्थान में अभ्रक के सबसे पहले ठेके सन् १९३० के लगभग दिए गये थे। आजकल लगभग ८०-८५ लाख रुपये के मूल्य का अभ्रक राजस्थान की खानों से निकाला जाता है।

(२) मैंगनीज—यह महत्वपूर्ण धातु उदयपुर, बासवाडा, कुशलगढ और अजमेर की खानो से प्राप्त होती है। आजकल प्रति वर्ष ६-७ हजार टन मैंगनीज इन खानों से प्राप्त हो रही है। सन् १९५६ से इस खनिज की ओर राज्य के उद्योगपतियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ है।

(३) लोहा—राजस्थान में लोहे की भी अनेक खानें हैं। मुख्य खानें दौसा के निकट नीमला, झुंझुनूं, सीकर, अलवर में भानगढ़, उदयपुर, बासवाड़ा, डूंगरपुर आदि में हैं। किन्तु राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े होने, सस्ती विद्युत की अनुपलब्धता व अन्य शक्ति के साधन के अभाव में इन खानों का विकास नहीं हो पाया है। जितना भी लोहा निकाला जाता है प्रायः सभी राजस्थान के बाहर भेज दिया जाता है।

(४) कोयला—बीकानेर के निकट पलाना में कोयले की एक छोटी खान है जिसमें से भूरे रङ्ग का (लिग्नाइट) कोयला निकाला जाता है। यह कोयला उच्च श्रेणी का नहीं है। सन् १९५८ में पलाना की कोयले की खान के समीप ही एक और खान का पता लगा है। इनके अतिरिक्त बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र में भी कोयले के भण्डार होने की सम्भावना है।

(५) खड़िया—भारत में सबसे अधिक खड़िया (Gypsum) राजस्थान से ही प्राप्त होता है। अधिकाश जिप्सम सिंदरी (बिहार) के खाद के

---

* राजस्थान परिचय ग्रन्थ, पृष्ठ १६४

\+ वही

× Basic Statistics, 1957 P. 54

कारखानो को भेज दिया जाता है। सबसे अधिक जिप्सम बीकानेर डिवीजन के जामसर से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर, बाड़मेर, नागौर व जैसलमेर में भी इसकी खाने हैं।

(६) सोप स्टोन—भारत में सबसे अधिक सोप-स्टोन (घीया पत्थर या सेलखडी) राजस्थान से ही प्राप्त होता है। उदयपुर जयपुर, (दौसा), डूंगरपुर, बांसवाड़ा व कोटा में इसकी खानें हैं। अधिकाश सोप-स्टोन विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है।

(७) चांदी—उदयपुर में जावर की खानों से चांदी प्राप्त की जाती है। राजस्थान में अन्यत्र चादी की खान नही है।

(८) तांबा—ताबे की प्रमुख खान खेतड़ी के निकट सिंघाने में है। इसके अतिरिक्त उदयपुर, बीकानेर व कोटा में भी खानें हैं।

(९) तामड़ा—यह हरे रङ्ग का मूल्यवान पत्थर होता है। इसकी खानें भीलवाड़ा, टोडा रायसिंह और सरवाड (जयपुर) में हैं।

(१०) सीसा व जस्ता—ये भी उदयपुर के निकट जावर की खानो से मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बांसवाड़ा में भी कुछ खानें हैं।

(११) बिरल—यह अणु-शक्ति उत्पन्न करने के काम में आती है। इस धातु को खरीदने का एकाधिकार भारत सरकार को ही है। इसकी खानें अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर व डूंगरपुर में हैं। इसके उत्पादन की मात्रा बहुत कम है।

(१२) टंगस्टन—भारत में केवल एक खान जोधपुर क्षेत्र में डेगाना स्टेशन के निकट एक पहाडी के पास है।

(१३) यूरेनियम—यह भी अणु-शक्ति सम्बन्धी खनिज है। इसकी खाने किशनगढ, बांसवाडा और डूंगरपुर क्षेत्र में हैं। इसके उत्पादन की माग भी बहुत कम है।

(१४) एसबस्टोस—यह एक ऐसा खनिज है जिसकी चादरें (टीन जैसी) पाइप आदि बनाए जाते हैं। इसकी खानें भीलवाड़ा व उदयपुर में हैं। अलवर के निकट भी इसकी खानो का पता लगा है।

(१५) नीला थोथा व फिटकरी—झुंझुनू जिले में कहीं-कहीं इसकी खानें हैं किन्तु निकाली जाने वाली मात्रा बहुत ही कम है।

(१६) चूने का पत्थर—जोधपुर में सिरोही व गोटन, जयपुर में सवाई माधोपुर, कोटा में लाखेरी, उदयपुर में चित्तौड़ तथा बीकानेर में चूने के पत्थर की अनेक खानें हैं।

(१७) इमारती पत्थर—जोधपुर में मकराने का संगमरमर प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में भूरे व लाल रङ्ग का पत्थर भी मिलता है। उदयपुर व डूंगरपुर में काला पत्थर और जैसलमेर में पीला पत्थर मिलता है। करौली, धौलपुर, भरतपुर के निकट भी लाल रङ्ग का इमारती पत्थर निकाला जाता है।

(१८) गेरू—गेरू मिट्टी की खानें अलवर, सवाई माधोपुर और जैसलमेर में पाई जाती हैं।

(१९) स्लेट—स्लेट का पत्थर चिकना और काले रङ्ग का होता है। अलवर जिले में स्लेट के पत्थर की अनेक खानें हैं।

(२०) अन्य खनिज—इसके अतिरिक्त मुल्तानी मिट्टी (जोधपुर व बीकानेर क्षेत्रों में), एमेरेल्ड (उदयपुर में) इमेनाइट (जोधपुर में), तथा अन्य अनेक खनिज पाये जाते हैं।

प्रो० एम० वी० माथुर के शब्दों में "राज्य भर में खनिज पदार्थों के विकास की सम्भावनाओं को आशा भरी दृष्टि से देखा जा सकता है साथ ही औद्योगिक विकास की सम्भावनाएँ और भी बढ़ गई हैं।"*

---

* प्रो० एम० वी० माथुर, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा लिखित 'राजस्थान में विकास व समृद्धि की योजनाएँ' लेख से।

अध्याय : ग्यारह

राजस्थान में कुटीर और लघु उद्योग

"भारत के अवनति काल में भी राजस्थान कुटीर उद्योग एवं विविध कलाओं का केन्द्र रहा है और अब भी अच्छे शिल्पकार यहा है। मुझे विश्वास है कि जिन महान् शिल्पकारी और कला के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है, उनको प्रोत्साहित करने का उचित प्रयत्न राजस्थान सरकार द्वारा किया जावेगा।"

—पं० जवाहरलाल नेहरू

राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था में महत्व—आज के वैज्ञानिक युग में कुटीर उद्योगो की कल्पना नितान्त असगत प्रतिभासित होगी क्योंकि आज वैज्ञानिक अनुसंधानों और आविष्कारो ने वृहत्तर उद्योगो का एक जाल सा फैला दिया है। आज आपकी चकाचौंध से विश्व चौंधिया गया है। एक ओर तो उद्योगों का द्रुतगति से प्रचार बढता जा रहा है और दूसरी ओर बेकारी की समस्या कठिन होती जा रही है। अतः ऐसी अवस्था में कुटीर व लघु उद्योगों को औद्योगिक देशो में महत्व दिया। उन्होने अनुभव किया कि ये यन्त्र व कारखाने देश की बेकारी की समस्या को कम करने में असमर्थ हैं। इसके लिए कुटीर व लघु उद्योगो को अपनाना होगा।

राजस्थान की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में कृषि उसका शरीर है तो कुटीर उद्योग-धन्धे रक्त है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की ८० प्रतिशत से भी अधिक जनसख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अधिकांश व्यक्ति कृषि अथवा इससे सम्बन्धित व्यवसाय से अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। कृषि मौसमी धन्धा है और राजस्थान के बड़े भाग में वर्ष में केवल एक ही फसल होती है। अतः ग्रामीणो को कुटीर उद्योगों के लिए समय की कमी नहीं है। राजस्थान के कृषको का जीवन-स्तर भी बहुत निम्न है, अतः कुटीर उद्योगों की सहायता से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

(१५) नीला थोथा व फिटकरी—झुंझुनू जिले में कहीं-कहीं इसकी खानें हैं किन्तु निकाली जाने वाली मात्रा बहुत ही कम है।

(१६) चूने का पत्थर—जोधपुर में सिरोही व गोटन, जयपुर में सवाई माधोपुर, कोटा में लाखेरी, उदयपुर में चित्तौड़ तथा बीकानेर में चूने के पत्थर की अनेक खानें हैं।

(१७) इमारती पत्थर—जोधपुर में मकराने का संगमरमर प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में भूरे व लाल रङ्ग का पत्थर भी मिलता है। उदयपुर व डूंगरपुर में काला पत्थर और जैसलमेर में पीला पत्थर मिलता है। करौली, धौलपुर, भरतपुर के निकट भी लाल रङ्ग का इमारती पत्थर निकाला जाता है।

(१८) गेरू—गेरू मिट्टी की खानें अलवर, सवाई माधोपुर और जैसलमेर में पाई जाती हैं।

(१९) स्लेट—स्लेट का पत्थर चिकना और काले रङ्ग का होता है। अलवर जिले में स्लेट के पत्थर की अनेक खानें हैं।

(२०) अन्य खनिज—इसके अतिरिक्त मुल्तानी मिट्टी (जोधपुर व बीकानेर क्षेत्रों में), एमेरेल्ड (उदयपुर में) इमेनाइट (जोधपुर में), तथा अन्य अनेक खनिज पाये जाते हैं।

प्रो० एम० वी० माथुर के शब्दों में "राज्य भर में खनिज पदार्थों के विकास की सम्भावनाओं को आशा भरी दृष्टि से देखा जा सकता है साथ ही औद्योगिक विकास की सम्भावनाएँ और भी बढ़ गई हैं।"*

---

* प्रो० एम० वी० माथुर, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा लिखित 'राजस्थान में विकास व समृद्धि की योजनाएँ' लेख से।

अध्याय : ग्यारह

राजस्थान में कुटीर और लघु उद्योग

"भारत के अवनति काल में भी राजस्थान कुटीर उद्योग एवं विविध कलाओं का केन्द्र रहा है और अब भी अच्छे शिल्पकार यहा हैं। मुझे विश्वास है कि जिन महान् शिल्पकारी और कला के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है, उनको प्रोत्साहित करने का उचित प्रयत्न राजस्थान सरकार द्वारा किया जावेगा।"

—पं० जवाहरलाल नेहरू

राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था में महत्त्व—आज के वैज्ञानिक युग में कुटीर उद्योगों की कल्पना नितान्त असगत प्रतिभासित होगी क्योंकि आज वैज्ञानिक अनुसधानों और आविष्कारो ने वृहत्तर उद्योगो का एक जाल सा फैला दिया है। आज आपकी चकाचौंध से विश्व चौंधिया गया है। एक ओर तो उद्योगों का द्रुतगति से प्रचार बढता जा रहा है और दूसरी ओर बेकारी की समस्या कठिन होती जा रही है। अतः ऐसी अवस्था में कुटीर व लघु उद्योगों को औद्योगिक देशों में महत्व दिया। उन्होने अनुभव किया कि ये यन्त्र व कारखाने देश की बेकारी की समस्या को कम करने में असमर्थ हैं। इसके लिए कुटीर व लघु उद्योगों को अपनाना होगा।

राजस्थान की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में कृषि उसका शरीर है तो कुटीर उद्योग-धन्धे रक्त हैं। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की ८० प्रतिशत से भी अधिक जनसख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अधिकाश व्यक्ति कृषि अथवा इससे सम्बन्धित व्यवसाय से अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। कृषि मौसमी धन्धा है और राजस्थान के बड़े भाग में वर्ष में केवल एक ही फसल होती है। अतः ग्रामीणों को कुटीर उद्योगों के लिए समय की कमी नहीं है। राजस्थान के कृषकों का जीवन-स्तर भी बहुत निम्न है, अतः कुटीर उद्योगों की सहायता से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

अवनति के कारण—किसी समय राजस्थान के कुटीर उद्योग उन्नत दशा में थे किन्तु समय चक्र ने उन्हें अवनति की ओर ढकेल दिया। राजस्थान के कुटीर उद्योगों के पिछड़े होने के प्रमुख कारणों का विवेचन नीचे किया गया है।

१. विदेशी वस्तुओं से प्रतियोगिता—विदेशी शासन के कारण कारखानों में बनी हुई विदेशी सस्ती वस्तुएँ आने लगी जो मूल्य में अत्यन्त सस्ती व देखने में अधिक सुन्दर थी। अतः कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की माग बहुत ही कम हो गई।

२. यातायात के साधनों की उन्नति—एक ओर तो यातायात के साधनो के विकास ने देश की आर्थिक दशा में सुधार किया किन्तु दूसरी ओर कुटीर उद्योगों पर कड़ा आघात किया। इन साधनो के विकास होने के कारण कारखानो का बना हुआ माल ग्रामीण क्षेत्रो व शहरी क्षेत्रों में पट गया।

३ रुचि में परिवर्तन—लोगों की रुचि में भी परिवर्तन हुआ। धनवान तथा राजा महाराजाओं का भी कारीगरो पर पहले की तरह सरक्षण नहीं रहा। लोग कारखानो में निर्मित वस्तुओ को, अनेक कारणों से अधिक पसन्द करने लगे।

४. आर्थिक कारण—कुटीर उद्योग के कारीगरों की आर्थिक दशा बिगड़ती ही गई अतः उन्होने कुटीर उद्योग पर निर्भरता त्यागना आरम्भ किया और नगर की ओर नौकरी अथवा अन्य काम करने के लिए बढे।

५. कच्चे माल की कठिनाई—ग्रामीण क्षेत्र के अनेक कारीगरो को वस्तुयें बनाने के लिए कच्चा माल समय पर व सस्ता उपलब्ध नही हो पाता है। प्रायः देखा गया है कारीगर कच्चा माल गाव के साहूकारों से उधार प्राप्त करते हैं, जो कि उन्हे महगा देते हैं व अन्य प्रकार से शोषण करते हैं।

६. विक्रय की कठिनाई—कुटीर उद्योगो द्वारा उत्पादित माल के विक्रय की भी एक समस्या है। इस माल के विक्रय की कोई समुचित व्यवस्था नही है। अतः कभी इनकी वस्तुयें नहीं बिकती हैं अथवा देर से बिकती हैं जिसके कारण ये कारीगर हतोत्साह हो जाते हैं।

७. अशिक्षा—ये कारीगर प्रायः अशिक्षित होते हैं। इनकी शिक्षा एवं प्रशिक्षा की कोई व्यवस्था न होने के कारण अनेक व्यक्ति जो कुटीर उद्योगों में कार्य करने के इच्छुक होते हैं, वे इन उद्योगो को नही कर पाते हैं।

८. सङ्गठन का अभाव—कुटीर उद्योग के कारीगर बिखरे हुए हैं तथा उनका कोई संगठन नही है, अतः उनकी समुचित उन्नति एव सहायता में कठिनाई है। सगठन के अभाव में वे अपनी सामान्य समस्याओ को सामूहिक रूप से हल नहीं कर पाते हैं।

फिर भी अस्तित्व क्यों ?

हम देखते हैं कि कुटीर उद्योगो के सामने इतनी कठिनाईयों के होते हुए, प्रोत्साहन के अभाव में और सरकार की उदासीन नीति के होते हुए भी आज वे बिल्कुल लोप नही हो गये हैं, उनका अस्तित्व नष्ट नही हो सका। अनेक परिस्थितिया इस प्रकार की रही कि क्रूर काल-चक्र उनको विध्वस नही कर सका। आज भी कुटीर उद्योग सिसकती हुई दशा में अपना अस्तित्व बनाये बैठे हैं। आज भी ये आर्थिक जीवन के प्रमुख अग बने हुए ह। इसके भी कुछ कारण हैं।

(१) राजस्थान के मनुष्यो में 'घर रहने की प्रवृत्ति' पाई जाती है (बल्कि सम्पूर्ण भारत में ही यह प्रवृत्ति पाई जाती है) अतः ये लोग अपना घर छोड़ कर अन्य स्थानो पर न जाकर उन्होंने पैतृक व्यवसाय ही चालू रखा।

(२) हमारे यहा की सामाजिक व्यवस्था ने भी कुटीर धन्धो के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता दी है। जाति-प्रथा का इस दिशा में अत्यन्त सहयोग रहा। लोहार, चमार, सुनार आदि लोगों ने अपने-अपने पेशे जारी रखे।

(३) अधिकाश लोगो का व्यवसाय कृषि है, और कृषक वर्ष में लगभग ६ महीने तक बेकार बैठा रहता है, अतः अपने परिवार की आय बढ़ाने की दृष्टि से कुटीर धन्धों को अपनाना पडा।

(४) अनेक व्यक्तियों को कारखानों के अनुशासन का जीवन पसन्द नही था अतः उन्होंने घर पर अपने परिवार के साथ अपने पुराने पैतृक कुटीर धन्धो को ही अपनाया।

(५) कुछ कुटीर उद्योग ऐसे हैं जो कारखानों की सहायता से नहीं चलाए जा सकते, उदाहरण के लिए, ऐसे उद्योग जिनमें वैयक्तिक चतुरता की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे उद्योगो की प्रतिस्पर्द्धा कारखाने नहीं कर पाये और इनको प्रोत्साहन मिलता रहा।

(६) कुछ उद्योगो को सरकारी अथवा राजाओं, जागीरदारो अथवा धनी व्यक्तियो का सहयोग तथा सरक्षण रहा, अतः ऐसे उद्योग धन्धों का भी अस्तित्व नही मिट पाया। उदाहरण के लिए सागानेर (जयपुर) के कागज को जो कुटीर उद्योग के रूप में बनाया जाता था, पहले के जयपुर नरेशो ने प्रोत्साहन दिया क्योंकि राज्य के प्रायः समस्त कार्य इन्ही कागजों पर किए जाते थे।

अतः स्पष्ट है कि अनेक विषम परिस्थितियों तथा कठिनाइयो के होते हुए भी कुटीर उद्योगो का अस्तित्त्व बना रहा।

कुटीर उद्योगों की समस्याएं एवं उनका निवारण*

वैसे तो राजस्थान के विभिन्न कुटीर धन्धो की विभिन्न समस्याएँ हैं किन्तु कुछ सामान्य समस्याएँ हैं। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं:—

१. **कच्चे माल की समस्या**—कुटीर धन्धो की महत्वपूर्ण समस्या यह है कि उनको ठीक समय पर और आवश्यकतानुसार उत्तम कोटि का कच्चा माल उपलब्ध नही हो पाता है। इसके अतिरिक्त उनको मूल्य भी प्रायः अधिक देना पड़ता है।

इसके लिए यह आवश्यक है कि कारीगरो को अपनी सहकारी समितिया बनानी चाहिए, जो उन्हे कच्चा माल खरीद कर दें। ये समितिया बड़ी मात्रा मे माल खरीदेंगी अतः माल सस्ता मिल सकता है।

२. **पूंजी की समस्या**—कुटीर धन्धो में लगे हुए व्यक्तियो की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण, उद्योगो के लिए आवश्यक पूजी नही जुटा पाते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि न तो उचित और अच्छे औजार खरीद

---

* एस. पी. यू. कालेज पत्रिका, खड ६, पृष्ठ ४५ के आधार पर

पाते हैं न बनाए हुए माल के विक्रय के लिए उचित समय का इन्तजार कर सकते हैं। माल तैयार होते ही पैसे के अभाव में बेचना ही पड़ता है चाहे भाव अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल। ये लोग महाजनो से ऋण लेते हैं जिस पर अधिक ब्याज भी देना पड़ता है।

इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए इन कारीगरों को चाहिए कि वे अपनी बहुउद्देशीय सहकारी समितिया स्थापित करें, जो सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण दे। अल्पकालीन हल यह है कि राजस्थान सरकार स्वयं इन कारीगरो को अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण दे।

३. **विक्रय की समस्या**—कुटीर उद्योगों के सामने निर्मित माल के विक्रय की उचित प्रणाली का अभाव है। माग का उचित अनुमान न लगा सकना, कारखानो द्वारा निर्मित माल से प्रतियोगिता, स्वय आपस की प्रतियोगिता, विज्ञापन न कर सकने की क्षमता, खराब आर्थिक स्थिति आदि अनेक कारणो से, कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के विक्रय की एक अनोखी समस्या बनी हुई है।

इस समस्या को दूर करने के लिए भी सहकारी समितिया ही श्रेष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को चाहिए 'केन्द्रीय कुटीर-उद्योग एम्पोरियम' के आधार पर एक 'राजस्थान कुटीर-उद्योग एम्पोरियम' की स्थापना करें।

४. **प्रशिक्षण की समस्या**—कुटीर उद्योगों में लगे हुए कारीगर प्रायः अशिक्षित हैं, नवीन मशीनो व औजारों का उपयोग नही कर पाते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की स्पष्ट प्रतीत होती है कि उन्हें प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण केन्द्र और प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किये जावें।

५. **अनुसधान की समस्या**—अनुसन्धान की दृष्टि से कुटीर उद्योग हमेशा उपेक्षित रहे हैं। इसमें विशेष कठिनाई यह पड़ती है कि प्रायः समस्त विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग बड़े उद्योग कर लेते हैं और इस प्रकार इन छोटे एव कुटीर उद्योगों में अनुसन्धान का क्षेत्र धूमिल होता है। इस समस्या का निवारण तभी हो सकता है जबकि सरकार इस ओर ध्यान एवं प्रोत्साहन दे।

६. **कर की समस्या**—सरकार ने कुछ कुटीर-उद्योगों पर कर लगाया है जो उन उद्योगों पर कुठाराघात ही है। कर भार से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है जिससे विक्रय में कठिनाई होती है, अतः इन उद्योगों को कर-भार-मुक्त कर देना चाहिये।

७. **जन-सहयोग की समस्या**—इस उद्योग के सामने एक कठोर समस्या यह भी है कि जनता कुटीर उद्योगों के द्वारा तैयार किये गये माल को बहुत अधिक नही पनपाती है। अतः 'कुटीर-उद्योग-उपयोग-आन्दोलन' सरकार की सहायता से चलाना चाहिए। इससे कुटीर-उद्योगों को जनता में लोकप्रिय बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार को भी चाहिए कि वह अपने समस्त कार्यालयो में कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित माल का ही उपयोग करे। इसका प्रभाव यह होगा कि इस उद्योग को सरकार द्वारा एक प्रकार से संरक्षण मिल जायगा, कर्मचारियो में भी वे वस्तुएँ लोकप्रिय हो सकेंगी तथा जन-साधारण पर भी इसका अच्छा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा।

राजस्थान के कुटीर उद्योग

राजस्थान ने अनेक कला कौशल में जीवन की चैतन्यमान शक्ति डाली फलतः पाषाण बोल उठे और कागज अपनी कहानी स्वय कहने लगे। कला की कमनीयता और उसकी निपुणता राजस्थान की धरोहर है। मूर्तियो का निर्माण, छपाई, रङ्गाई व बधाई तथा अन्य कलात्मक प्रवृत्तिया इस प्रदेश में विकसित हुई हैं। आज भी राजस्थान के हजारो घराने इन कलात्मक प्रवृत्तियो को जीवन-निर्वाह का साधन बनाए हुए हैं। समय की गति ने इन कलाओ के प्रति वाछनीय अपेक्षा की प्रवृत्ति को भले ही कम कर दिया हो किन्तु अनेक प्रतिभाशाली शिल्पकारो और कारीगरों ने अभी तक अपनी परम्परा को नही तोड़ा है।

१. सूती वस्त्र उद्योग—यह राजस्थान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कुटीर एवं लघु उद्योग है। वैसे तो प्रत्येक गाव में ग्रामीणों की आवश्यकता-नुसार मोटा कपड़ा बनाया जाता है किन्तु कोटा की मसूरिया साड़ी, जोधपुर व जयपुर की चुनरिया व लहरिये प्रसिद्ध हैं। गोविन्दगढ़, करौली व जालौर का

बुना हुआ कपड़ा भी प्रसिद्ध है। गुढा, बालोतरा, फालना, सुमेरपुर आदि स्थानो में खेसला, धोती व टुकडी आदि अच्छी बनती है। उदयपुर व जयपुर में पगडिया व पेचे अच्छे बनते हैं। हजारो व्यक्ति अम्बर चर्खे व हाथ करघे पर कार्य करते हैं। बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए सात हाथ कर्घा केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं।

२. ऊनी वस्त्र उद्योग—राजस्थान में भारत की कुल ऊन का ३२ प्रतिशत भाग उत्पन्न होता है। राज्य में सम्पूर्ण ऊन नही खपता है अतः अधिकाश ऊन बाहर भेज देते है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर व जयपुर इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं। ऊन से नमदे, कम्बल, आसन, घोडे व ऊँट की जीने व मोटा कपड़ा बनाया जाता है। बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर तथा बाड़मेर के कम्बल प्रसिद्ध हैं। रेगिस्तानी भाग में यह प्रमुख कुटीर उद्योग होने के कारण सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

३. बधाई, छपाई व रंगाई—यह राजस्थान की प्राचीन कला है। जयपुर जोधपुर, चित्तौड व भरतपुर में कपड़ो पर बढिया छपाई, जोधपुर के पाली और पीपाड, जयपुर के सागानेर व कोटा की रगाई प्रसिद्ध है। जयपुर, जोधपुर, कुचामन, नागौर, उदयपुर व कोटा में बधाई का काम अच्छा होता है। बंधाई का काम प्रायः स्त्रिया करती हैं और रगाई का पुरुष।

४. गोटा उद्योग—अजमेर, जयपुर व खण्डेला इस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। वास्तव में यह व्यवस्थित कुटीर उद्योग है।

५. दरी उद्योग—इस उद्योग में अधिकतर मुसलमान लगे हुए थे जिनमें बहुत से पाकिस्तान को चले गये हैं। राजस्थान की जेलो में सुन्दर, मजबूत व बढ़िया दरिया बनाई जाती हैं।

६. निवार उद्योग—यह उद्योग प्रायः प्रत्येक नगर व कस्बे में होता है। मुख्यतः स्त्रिया इस उद्योग में लगी हुई है।

७ चर्म उद्योग—राजस्थान में पशुओं की सख्या अधिक होने से चमड़ा भी बहुत प्राप्त होता है। चमड़े को साफ करके बाहर—कानपुर, आगरा और मद्रास—भेज देते हैं। गावों में चमड़े से जूते, मशक, चरस, घोड़े की

जीनें व चडुए आदि बनाए जाते हैं। चमडा कमाने के पदार्थ राजस्थान मे उपलब्ध है। अतः सरकार को इस उद्योग के सुधार एव विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। अनेक सामुदायिक विकास केन्द्रों में अब इससे सम्बन्धित शिक्षा दी जा रही है।

८. **लकड़ी का काम**—कोटा, उदयपुर, बासवाडा, व डूंगरपुर जिलो में घने जंगल हैं जिनसे लकड़ी प्राप्त करके निकट के नगरों को भेज देते हैं। नगरों में विशेषतः फरनीचर, किवाड़, पंलग आदि बनाए जाते हं। इसके अतिरिक्त लकड़ी के खिलौने एवं खराद का अन्य काम भी किया जाता है। उदयपुर व जोधपुर में लकड़ी के खिलौने बहुत सुन्दर बनाए जाते हैं।

९. **बांस उद्योग**—बास से टोकरिया, हल्की मेजें व कुर्सियां, चिके व अन्य सुन्दर वस्तुएं बनाई जाती हैं। जयपुर व जोधपुर इसके लिए प्रसिद्ध हैं।

१०. **लाख उद्योग**—जयपुर मे विशेषतः लाख की सुन्दर चूडिया बनाई जाती हैं जिनकी माग बाहर भी है।

११. **लोहा उद्योग**—राजस्थान के प्रायः प्रत्येक भाग के कुटीर उद्योगो में लोह-उद्योग अपना पृथक महत्व रखता है। चाकू, छुरा, कैंची, उस्तरा, अगीठी, कढाई आदि सैंकड़ो वस्तुओं का निर्माण होता है। केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को लगभग ६ लाख रुपये का अनुदान लोह-कुटीर उद्योग के प्रशिक्षण के लिए दिए हैं। कुछ स्थानो पर प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है।

१२. **पीतल और खुदाई**—जयपुर का पीतल का काम बहुत सुन्दर एवं विख्यात है। विभिन्न म्यूजियमो में तथा लदन के इ।डया हाउस में इसके आकर्षक नमूने मिल सकते हैं। इस काम को प्रायः मुसलमान ही करते हैं, बहुत से पाकिस्तान चले गये हैं। इनकी आर्थिक दशा बहुत खराब है। यदि सरकार ने इस ओर ध्यान नही दिया तो यह कलात्मक कुटीर उद्योग नष्ट ही हो जावेगा।

१३. **कागज उद्योग**—सागानेर व किशनगढ़ में कागज उद्योग बहुत पुराना है। पहले जयपुर रियासत के सरकारी कामों मे यही कागज काम में

आता रहा; और इस प्रकार इस कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन ही मिला। किन्तु राजस्थान निर्माण के पश्चात् सरकार इस उद्योग की ओर अवाञ्छनीय उपेक्षा करती गई जिसके कारण यह उद्योग आज सकट में है।

१४. अन्य उद्योग—उपरोक्त के अतिरिक्त पत्थर की मूर्तिया व अन्य वस्तुए ं बनाना (जयपुर, डू गरपुर, मकराना, जैसलमेर आदि); हाथी दात के खिलौने व अन्य सामान (जयपुर, नागौर, पाली आदि) कागज की कुट्टी के खिलौने (उदयपुर, जयपुर व कोटा) खस का इत्र व पखे (सवा ई माधोपुर व जयपुर) आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त रस्सिया बनाना, साबुन बनाना, तेल निकालना, ई टे बनाना, बीड़ी बनाना, ताड़-गुड बनाना आदि अनेक राजस्थान के प्रमुख कुटीर उद्योग हैं।

सरकार तथा लघु ए ं कुटीर उद्योग

राजस्थान सरकार द्वारा कुटीर एवं लघु उद्योगो के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उनमें केवल कुछ का ही सक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है।

(१) पचवर्षीय योजनाए—प्रथम पंच-वर्षीय योजना में इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए दो ओर प्रयत्न किए गये। एक ओर तो इनके विकास के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई, दूसरी ओर हाथ कर्घा, खादी एवं कुटीर उद्योगो को उन्नत करने के लिए सरकार ने राज्य मण्डलों का सगठन किया। दूसरी आयोजना में इन उद्योगो के विकास के लिए और भी अधिक प्रयत्न किए जा रहे हैं। दूसरी योजना काल मे राज्य के छोटे एव कुटीर उद्योगो पर ५ करोड रुपया व्यय किया जायगा।

(२) ऋण नियम—राजस्थान सरकार ने लघु एव कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऋण देने के लिए कुछ नियम बनाए हैं जो 'दी राजस्थान रूल्स फार दी एडवास ऑफ लोन्स फॉर डेवलपिंग कॉटेज एण्ड स्माल स्केल इ डस्ट्रीज' The Rajasthan Rules for the Advance o Loans for Developing Cottage & Small-s

अध्याय : बारह

राजस्थान के प्रमुख उद्योग

राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। सामन्तवादी शासन के अन्तर्गत उद्योगों का विकास नहीं हो पाया जिसके अनेक कारण थे, यथा शक्ति के सस्ते साधनों का अभाव, पानी की अनुपयुक्त व्यवस्था, आवागमन एवं यातायात के असतोषजनक साधन, सीमित उपलब्ध खनिज, औद्योगिक एवं आर्थिक साधन, शासकों की उदासीन नीति आदि। यद्यपि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है किंतु कृषि, खनिज, वन एवं पशु सपत्ति पर्याप्त है—जिनका यदि उचित प्रणाली से विकास किया जावे तो अन्य विकसित राज्यों में राजस्थान की गणना भी हो जावेगी। चबल व भाखरा योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर सस्ती शक्ति एव जल उपलब्ध हो जावेगे।

राजस्थान में प्रमुख बड़े उद्योग निम्नलिखित हैं।

(१) सूती वस्त्र उद्योग—राजस्थान में यद्यपि बडे उद्योगों में सबसे प्रमुख स्थान सूती मिल उद्योग का है, किंतु श्रेष्ठता की दृष्टि से हम पीछे हैं। राजस्थान में इस समय ११ सूती-वस्त्र मिले हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है—

स्थान	सूती मिलो की सख्या
ब्यावर	(अजमेर)........३
विजयनगर	(अजमेर).........१
किशनगढ़	(अजमेर).........१
भीलवाड़ा	(उदयपुर).........२
जयपुर	...........१
पाली	(जोधपुर)........१
गगानगर	(बीकानेर)..........१
कोटा	..........१
	योग....११

इनके अतिरिक्त एक और सूती मिल कोटा में तथा एक चित्तौड़ में स्थापित की जा रही है। इस प्रकार राजस्थान में १३ सूती मिलें हो जावेंगी। राजस्थान की मिले मोटा कपडा ही बनाती हैं, बारीक कपडा नहीं बनाती हैं।

गगानगर, जयपुर, टोक, कपासिन, उदयपुर, भीलवाडा, बासवाड़ा आदि मे कपास पर्याप्त होता है। लम्बे रेशे की रूई बाहर से मगवानी पड़ती है। राज्य में एक-दो अन्य सूती मिले स्थापित की जा सकती हैं।

(२) शक्कर उद्योग—राजस्थान में शक्कर के तीन कारखाने हैं—एक गंगानगर (बीकानेर) में दूसरा भूपालसागर (उदयपुर) में, और तीसरा विजयनगर (अजमेर) में। गगानगर का कारखाना अब राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी गन्ना पेरने की क्षमता ६०० टन प्रति दिन है। भूपालसागर में स्थित कारखाने की गन्ना पेरने की ५०० टन प्रतिदिन क्षमता है।

उदयपुर व बीकानेर डिविजन में उत्पन्न किया जाने वाला अधिकांश गन्ना क्रमशः भोपालसागर तथा गगानगर के कारखानों में काम आ जाता है। इनके अतिरिक्त सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी व अन्य भागों में भी गन्ना उत्पन्न होता है अतः इन स्थानों में से (सवाई माधोपुर, भरतपुर अथवा कोटा) कही भी शक्कर का कारखाना स्थापित किया जा सकता है।

(३) सीमेंट उद्योग—राजस्थान में सीमेंट के तीन कारखाने हैं—लाखेरी (बून्दी के निकट), सवाई माधोपुर और आबूरोड़। लाखेरी व आबू रोड़ के कारखाने ए. सी. सी. ग्रुप के हैं और सवाई माधोपुर का कारखाना डालमिया ग्रुप का है। लाखेरी के कारखाने की उत्पादन क्षमता २५ हजार टन मासिक है और सवाई माधोपुर के कारखाने की उत्पादन क्षमता ७५ हजार टन मासिक है। सवाई माधोपुर के कारखाने में कुल पूंजी विनियोजन लगभग ६ करोड़ रुपये हैं जिसमें से ७५ लाख रुपये राजस्थान सरकार के हैं।

चित्तौड़गढ (उदयपुर) व नीम का थाना (जयपुर) में भी एक-एक सीमेंट के कारखाने खोलने की योजना है। इन कारखानों की स्थापना के

पश्चात् सीमेंट उत्पादक राज्यों में बिहार के पश्चात् राजस्थान की ही गणना होगी।

(४) कांच उद्योग—राजस्थान में कांच के सात कारखाने—जयपुर भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और धौलपुर में थे। किन्तु इनमें इस समय केवल धौलपुर का कारखाना ही कार्य कर रहा है, शेष सब कारखाने बन्द पड़े हैं। धौलपुर का कारखाना विज्ञान सम्बन्धी कांच का सामान विशेषतः बनाता है।

राजस्थान में कांच के लिए उपयुक्त रेत आदि तो पर्याप्त है किन्तु अन्य कठिनाइयों के अतिरिक्त चतुर श्रमिकों का अभाव है। इन श्रमिकों को उत्तर-प्रदेश से लाना पडता है जो बहुत महंगे होते हैं।

(५) दियासलाई उद्योग—राजस्थान में दियासलाई बनाने के तीन कारखाने हैं। ये कारखाने कोटा, धौलपुर और फतेहगढ (उदयपुर) में स्थित हैं किन्तु इनमें केवल कोटा का कारखाना ही कार्य कर रहा है शेष दोनों कारखाने बन्द पड़े हैं। कोटा के कारखाने में पूंजी लगभग २½ लाख रुपये है। यह कारखाना मुख्यत मध्य-प्रदेश से लकड़ी मंगवाता है।

(६) बाल-बियरिंग कारखाना—यह कारखाना जयपुर में बिरला बन्धुओं ने सन् १९५० में स्थापित किया था। यह कारखाना भारत में केवल एक है और एशिया में, जापान को छोडकर, सबसे बडा है। यहां छर्रे व उनको रखने के बियरिंग बनाए जाते हैं। इस कारखाने की पूंजी लगभग एक करोड़ रुपये है और लगभग ४०० श्रमिक कार्य करते हैं।

राज्य का यह उद्योग हमें दुर्लभ विदेशी मुद्रा प्रदान करने वाला है, अतः इस उद्योग के विकास व विस्तार की अत्यन्त आवश्यकता है।

(७) छतरी के कारखाने—राजस्थान में छतरी बनाने के दो कारखाने हैं। एक जोधपुर नगर में—ए. सी. मैटल वर्क्स—और दूसरा फालना (जोधपुर क्षेत्र) में, महावीर मैटल वर्क्स। फालना का कारखाना भारत के सबसे बडे कारखानों में गिना जाता है। इस कारखाने का सन् १९५८ में विस्तार किया गया था।

(८) हड्डी पीसने के कारखाने—राजस्थान में हड्डी पीसने के पांच कारखाने हैं जो जयपुर, जोधपुर, गोमुन्डा (उदयपुर), पलाना (बीकानेर) और कोटा में स्थित हैं। जोधपुर का कारखाना पहले पाली में था। इन कारखानों में लगभग १० लाख रुपये की पूंजी लगी हुई है और लगभग १ हजार श्रमिक लगे हुए हैं। हड्डी का चूरा करके मुख्यतः विदेशो को भेज देते हैं।

(९) स्टार्च फैक्ट्रियां—राजस्थान में मक्का से स्टार्च बनाने की दो फैक्ट्रिया—जयपुर और बारा (कोटा) में थी जो कच्चे माल मक्का के अभाव में युद्धकाल में ही बन्द हो गई और अभी तक बन्द पडी हैं। इन दोनो में लगभग २५ लाख रुपये लगे हुए हैं। इन कारखानो के पुनः चालू होने की आशा नही है क्योंकि तीव्र प्रतिस्पर्धा का ये सामना नही कर सकतीं।

(१०) रासायनिक उद्योग—वैसे तो राजस्थान में रासायनिक पदार्थ बनाने के छोटे छोटे अनेक कारखाने हैं किन्तु केवल एक ही बड़ा कारखाना है जो जोधपुर में युनाइटेड ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से कार्य कर रहा है। इस कारखाने की गणना भारत के बड़े कारखानों में की जाती है। इसकी पूजी लगभग १० लाख रुपये हैं।

(११) गृह-निर्माण-सामग्री का कारखाना—जयपुर में 'इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन लि०,' गृह निर्माण सम्बन्धी सामान बनाता है। भारत में केवल यही एक कारखाना है जो लोहे की खिडकिया, दरवाजे और चौखट मशीनों से ढालता है। इसकी पूजी ४० लाख रुपये से भी अधिक है।

(१२) मीटर बनाने का कारखाना—यह कारखाना 'जयपुर मैटल एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लि०' जयपुर के नाम से स्थापित हुआ। यह अ-लोह पदार्थ एवं बिजली के मीटर बनाता है। इस कारखाने में लगभग ४० लाख रुपये की पूंजी लगी हुई है।

(१३) रंग व वार्निश के कारखाने—एक कारखाना अलवर में ४॥ लाख रुपये की पूजी से स्थापित किया गया था, दूसरा कारखाना 'महालक्ष्मी कलर फैक्ट्री' के नाम से एरिनपुरा स्टेशन (जोधपुर डिवीजन) पर स्थापित किया गया था जिसमें ६ लाख रुपये की पूजी लगी हुई है। दोन बन्द पड़े हैं।

(१४) तेल निकालने की मिलें—भरतपुर, अलवर व कोटा डिवीजन में तिलहन बड़ी मात्रा में होता है। यही नही भारत में सर्वश्रेष्ठ किस्म की सरसों अलवर व भरतपुर में होती है। वैसे तो तेल निकालने की अनेक मिलें हैं किन्तु प्रतिदिन १०० मन अथवा अधिक तेल निकलने वाली राजस्थान में ३१ मिले है ये मिलें अलवर, भरतपुर, कोटा, बारा, मंडावर और रामगज मंडी में मुख्यतः स्थित हैं।

(१५) अभ्रक की ईंटों का कारखाना—भीलवाड़ा में ताप एव विद्युत निरोधक अभ्रक की ईटो के कारखाने का उद्घाटन अप्रैल १६५८ में हो चुका है। इस कारखाने की वर्तमान पूंजी ६ लाख रुपये है। इस कारखाने द्वारा तैयार की गई ईटे देश में रूरकेला तथा भिलाई जैसे बड़े-बड़े इस्पात-कारखानो की भट्टियो के उपयोग में लाई जावेंगी। इस कारखाने का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है।

(१६) अन्य कारखाने—राजस्थान में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नये कारखाने भी स्थापित हो रहे हैं। भरतपुर में रेल के डिब्वे बनाने व साइकिल बनाने का एक-एक कारखाना स्थापित हो रहा है।

छोटे कारखाने

राजस्थान में अनेक छोटे कारखाने भी हैं जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

(१) रबर का कारखाना—यह कारखाना सन् १६४८ में कोटा में स्थापित किया गया। यह कारखाना रबर की गेदे, खिलौने व साइकिल के पैडिल बनाता है। राजस्थान सरकार ने इस कारखाने को विकास के लिए दस हजार रुपये का ऋण दिया है।

(२) होजरी के कारखाने—राज्य में सात कारखाने होजरी के हैं जो शक्ति से चालित हैं। इनमें से पाच कारखाने जयपुर में हैं व शेष भीलवाड़ा में हैं। इस उद्योग के कारखानो के विकास के लिए पर्याप्त क्षेत्र है।

(३) खनिज के कारखाने—दौसा (जयपुर) में २५ लाख रुपये की पूंजी का एक कारखाना है जो घीया पत्थर (Soap Stone) पीसता है। यह पीसा हुआ पत्थर विदेशो को मुख्यतः भेजा जाता है।

(४) रासायनिक पदार्थ के कारखाने—राज्य में रासायनिक पदार्थ व औषधिया बनाने के लगभग ५५ कारखाने हैं। इनके उत्पादन की मांग राजस्थान में तथा राजस्थान के बाहर भी रहती है।

(५) कालीन के कारखाने—वैसे तो राजस्थान में कालीन बनाने के अनेक कारखाने हैं जिनमें चार कारखाने प्रमुख हैं। इन कालीनो की माग विदेशों में भी खूब रहती है।

(६) सिलाई की मशीनों के कारखाना—राजस्थान में कपड़ा सीने की मशीनें तैयार करने के ६ कारखाने हैं। ऐसे दो और कारखानों की स्थापना हो रही है।

(७) पुर्जे बनाने के कारखाने—जयपुर में एक ऐसा कारखाना स्थापित किया गया है जो विद्युत-चालित प्रेस, ड्रिल, बोतल भरने की स्वचालित मशीनें बनावेगा।

(८) अन्य कारखाने—इन कारखानो के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक छोटे-मोटे कारखाने हैं। गोटा व सलमा, आटा पीसने, सोडा-लैमन बनाने, मिट्टी के बर्तन, धातुओ का सामान बनाने आदि के अनेक कारखाने हैं।

औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं

राजस्थान सरकार एव यहा के उद्योगपति अब राजस्थान में अनेक कारखाने स्थापित करने की ओर ध्यान दे रहे हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं।

रासायनिक खाद उद्योग—बीकानेर डिवीजन में हनुमानगढ़ में रासायनिक खाद का कारखाना खोलने की पर्याप्त सम्भावना है क्योंकि निकट ही (जामसर में) जिप्सम का अटूट भण्डार है।

भरतपुर में एमोनियम सल्फेट का कारखाना खोलने की सम्भावना है जिसकी लागत लगभग १६ करोड रुपये होगी।

चम्बल, भाखरा-नागल व राजस्थान नहर के पूरा हो जाने पर कृषि के क्षेत्र में अवश्य वृद्धि होगी जिससे रासायनिक खाद की माग बढ़ेगी।

ऊन उद्योग—राजस्थान में उपलब्ध अधिकांश ऊन निर्यात कर दी जाती है। अतः राज्य में बड़ी इकाई के रूप में ऊन का कारखाना खोलने की नितांत आवश्यकता है, जहाँ राज्य के कच्चे माल का उपयोग हो सके। आशा है कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान देगी।

जूता उद्योग—भारत के कुल पशु धन का ८·८% राजस्थान में पाया जाता है। विदेशों में भारतीय जूतों की माग बढ रही है, अतः राजस्थान में भी जूते निर्माण के कारखाने स्थापित किये जाने चाहिए ताकि हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके।

अन्य कारखाने—गैर-सरकारी क्षेत्रों में एक सूती वस्त्र मिल और पाच शक्कर के कारखाने खुलने की सम्भावना है।

यह उल्लेखनीय है कि राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के लिए ५,५४ ५० लाख रुपये रखे गये हैं जो कुल योजना व्यय का ५.६% है।

अध्याय : तेरह

जनसंख्या व भाषा

क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का तृतीय स्थान है, किन्तु जनसख्या की दृष्टि से दसवा स्थान है* । अतः स्पष्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यहा कम जनसंख्या है । राजस्थान में प्रति वर्गमील जनसख्या का घनत्व १२१ है+ । यह घनत्व भारत के अन्य राज्यो की तुलना में सबसे कम है ।

सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार यहा की जनसख्या १'५२ करोड़ थी, अजमेर को सम्मिलित करते हुए यह १'६० करोड़ है । राजस्थान में जनसख्या‡ के विकास की झलक नीचे की तालिका से ज्ञात होगी—

वर्ष		जनसंख्या
१८८१	....	१'०१ करोड़
१८९१	....	१'२२ करोड़
१९०१	....	१ ०३ करोड़
१९११	....	१'१० करोड़
१९२१	...	१'०३ करोड़
१९३१	....	१'१८ करोड़
१९४१	...	१'३९ करोड़
१९५१	....	१ ६० करोड़

राजस्थान के प्रत्येक भाग में एक सी जनसख्या नही है । पूर्वी मैदान में जनसख्या का घनत्व सबसे अधिक है और शुष्क प्रदेश में सबसे कम । नीचे की तालिका से यह स्पष्ट होगा—

* India 1959 P. 15, Govt. of India Publica

+ वही तथा Basic Statistics Rajasthan, 1957

‡ Imperial Gazetteer of India ed. 1908 तथा Basic Statistics Rajastha

प्राकृतिक विभाग	राज्य के कुल क्षेत्र-फल का प्रतिशत	राज्य की कुल जन-सख्या का प्रतिशत	जनसंख्या का घनत्व
१. शुष्क प्रदेश...	५७.८	३०	६१
२. पूर्वी मैदान	२३.३	४३	२१७
३. पठारी भाग	६.६	१३	१६१
४. पहाड़ी भाग	६.३	१४	१७४

पूर्वी मैदान में, भरतपुर जिले में जनसख्या का सबसे अधिक घनत्व (२६० व्यक्ति प्रति वर्गमील) है, द्वितीय स्थान जयपुर (२१३ व्यक्ति) का है। सबसे कम घनत्व टौंक (११२ व्यक्ति) में है। शुष्क मरुस्थली प्रदेश में सबसे कम घनत्व जैसलमेर जिले (६ व्यक्ति प्रति वर्गमील) में है। अन्य जिलों में बीकानेर (३६ व्यक्ति), जोधपुर (७३ व्यक्ति), बाड़मेर (४३ व्यक्ति), गङ्गानगर (७७ व्यक्ति) प्रमुख हैं।

यदि ध्यान से देखा जावे तो ज्ञात होगा कि वर्षा की मात्रा के अनुसार जनसंख्या का वितरण है। कम वर्षा वाले भागो में कम जनसख्या है और अधिक वर्षा वाले भागो में अधिक जनसंख्या है।

भाषा

राज्य की प्रमुख भाषा 'राजस्थानी' है। साधारण अन्तर को छोड़कर राज्य में लगभग १६ प्रकार की भाषायें (Dialects) हैं जो ४ प्रमुख वर्ग में रखी जा सकती हैं—(१) मारवाड़ी, (२) जयपुरी, (३) मेवाडी और (४) माल्वी। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी प्रमुख भाषा है। यह भी अनेक प्रकार की है जिनमें मुख्य ये है—रेगिस्तानी भागो में 'थली', उदयपुर में 'मेवाडी', उत्तरी-पूर्वी बीकानेर में 'बागड़ी' और जयपुर के उत्तर पश्चिम में 'शेखावाटी'।

पूर्वी तथा दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान की प्रमुख प्रतिनिधि भाषाएँ (Dialects) 'जयपुरी' व 'हाड़ौती' कही जा सकती हैं। अलवर व भरतपुर में 'मेवाड़ी' प्रमुख भाषा है। मालवी बोली, अपनी उत्पत्ति स्थान मालवा के

अतिरिक्त झालावाड़, प्रतापगढ़ तथा कोटा में विशेषतः बोली जाती है। जब यह मारवाड़ी भाषा से मिश्रित हो जाती है तो इसे 'रागडी' बोली कहते हैं जिसे मुख्यतः राजपूत बोलते हैं। नीचे की तालिका में प्रमुख भाषाएँ एव उनके बोलने वालो की संख्या बतलाई गई है—

	भाषा*	भाषा बोलने वाली कुल जनसख्या का प्रतिशत
१.	राजस्थानी	७०.०
२.	हिन्दी	२१.५
३.	भीली	४.९
४.	सिंधी	१.१
५.	पजाबी	१.७
६.	गुजराती	०.६
७.	मराठी	०.१
८.	अन्य	०.१

---

* Basic Statistics Rajasthan 1957 P. 23

अध्याय : चौदह

राजस्थान के प्रमुख नगर

राजस्थान में बड़े नगरों की सख्या उँगलियों पर गिनी जा सकती है। यहा केवल ४ नगर ही ऐसे हैं जिनकी जनसख्या एक लाख से अधिक है तथा उनमें (राजस्थान की) कुल जनसंख्या का लगभग ५ प्रतिशत भाग ही निवास करता है, तथा केवल चार नगर ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक में ५० हजार से एक लाख की जनसख्या है तथा उनमें कुल जनसख्या का लगभग २ प्रतिशत भाग निवास करता है* । राजस्थान में नगरो व कस्बो की संख्या २२७ है और गावों की संख्या ३१,७०४ है। प्रमुख नगरों का विवरण नीचे दिया गया है।

जयपुर—यह नगर २६°५५' उत्तरी अक्षाश तथा ७५°५१' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह अजमेर के उत्तर-पूर्व में ८४ मील, आगरा के पश्चिम में १५० मील तथा देहली के दक्षिण-पश्चिम में १६१ मील की दूरी पर बसा हुआ है। नकशा देखने से ज्ञात होगा कि यह राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है।

जयपुर नगर राजस्थान की राजधानी तथा यहा का सबसे बड़ा नगर है। इसे महाराजा सवाई जैसिंहजी ने सन् १७२८ में बसाया था। प्रसिद्ध विद्वान् इतिहासकार टॉड (Tod) के शब्दो में "भारत में केवल यही एक नगर है जो आयोजित ढङ्ग से बसाया गया है।" नगर की सुन्दरता के कारण ही इसे 'भारत का पेरिस' तथा 'गुलाबी नगर' कहते हैं।

राजस्थान के औद्योगिक नगरों में जयपुर का प्रमुख स्थान है। यहा अनेक कारखाने हैं जिनमें बाल बियरिंग का कारखाना एशिया भर में अपनी तरह का एक ही कारखाना है। यहा सूती कपड़े की एक मिल, हड्डी पीसने की

---

* Basic Statistics Rajasthan 1957 P. 29

एक मिल, लोहे का एक कारखाना व होजरी का सामान बनाने के अनेक कारखाने हैं। यह एक व्यापारिक मण्डी भी है। नगर में भारत के प्रमुख बैंकों व बीमा कम्पनियों के कार्यालय हैं और इस ही कारण 'जयपुर को राजस्थान की लौम्बार्ड स्ट्रीट* भी कहते हैं।' राजस्थान-वित्त कॉरपोरेशन का प्रधान कार्यालय भी यही है।

जयपुर हस्त-कला का भी प्रसिद्ध केन्द्र है। यह लाख की चूड़िया, सगमरमर की मूर्तिया, पीतल, लकड़ी व हाथी दात के खिलोने, मीनाकारी व पच्चीकार का काम, कपड़ो की रंगाई, छपाई व बन्धाई आदि के लिए प्रसिद्ध है।

राजस्थान के सबसे बड़े स्कूल व कॉलेज यही हैं। यहा एक मेडिकल कॉलेज व एक लॉ कॉलेज भी हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय भी यही हैं। राजस्थान की राजधानी होने के कारण यहा प्रमुख सरकारी कार्यालय हैं तथा एक सचिवालय है। मन्त्रीगण भी यही रहते हैं। विधान सभा भवन भी यहीं है। यहा एक बड़ा अस्पताल है।

नगर बहुत सुन्दर ढङ्ग से बसा हुआ है। सड़कों के दोनों ओर आस-पास वृक्ष लगाये गये हैं। यहा अनेक मन्दिर हैं। रामनिवास बाग में, जो लगभग ७६ एकड भूमि में विस्तृत है, म्यूजियम आदि हैं। चन्द्र महल, राम बाग, नाहरगढ किला, हवा महल, ज्योतिषालय आदि अनेक दर्शनीय स्थान हैं। नगर से लगभग ६ मील उत्तर की ओर आमेर है, जो पुरानी राजधानी है और जहा शिलादेवी का मन्दिर तथा महल देखने योग्य है। जयपुर से कुछ दूर एक पहाडी की तलहटी में गलता तीर्थ स्थान है जहा एक पहाडी झरना है जिसमें से स्वच्छ पानी गिरता है। नगर से ८ मील दक्षिण की ओर सागानेर प्रमुख हवाई अड्डा है।

नगर की जनसख्या १६५१ की जनगणना के अनुसार २.६१ लाख है। दिन-प्रतिदिन जनसख्या में वृद्धि होने के कारण नगर का विस्तार हो रहा है।

---

* लौम्बार्ड स्ट्रीट लन्दन में प्रसिद्ध मार्ग है जहा प्रमुख बैंकों के कार्यालय एवं अन्य आर्थिक सस्थाएँ हैं।
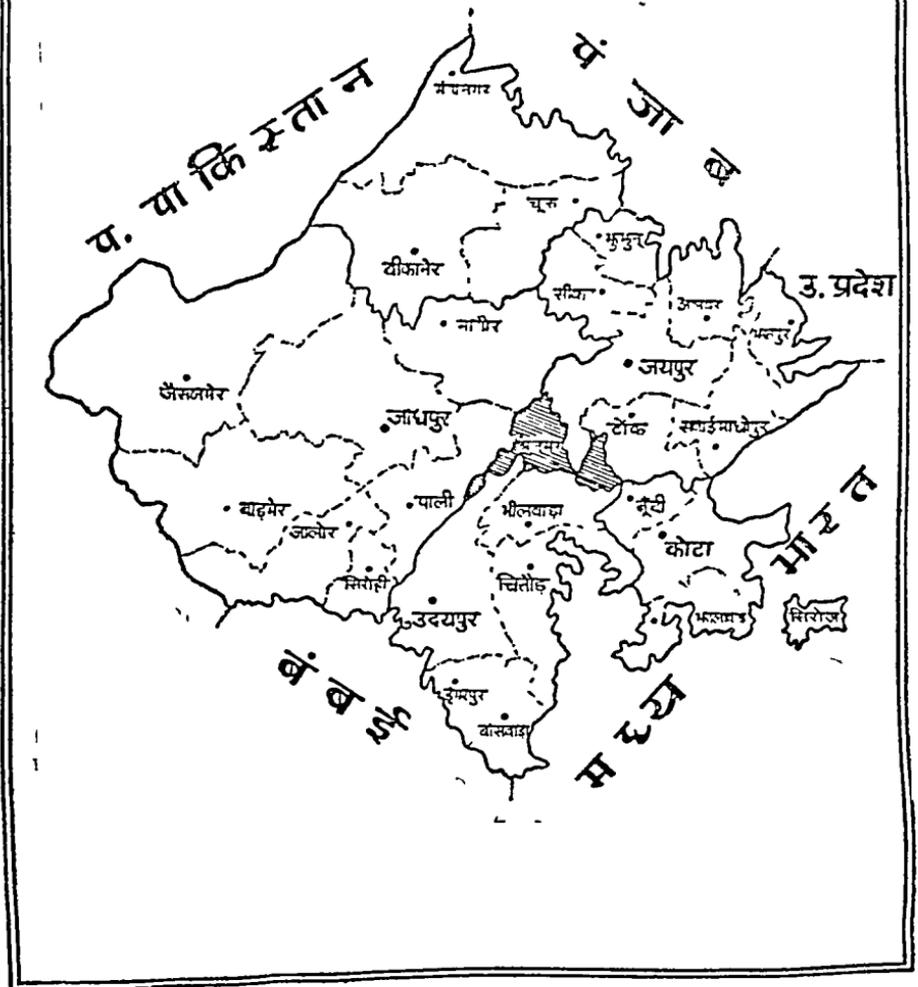
जोधपुर—यह नगर २६°१८' उत्तरी अक्षांश तथा ७३°१' पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह रेलमार्ग द्वारा देहली से लगभग ३८० मील, बम्बई से ५६० मील और कलकत्ता से १३३० मील दूर है। यह उत्तरी-पश्चिमी राज-

स्थान का प्रमुख नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा नगर है।

जोधपुर नगर सन् १४५६ में राव जोधाजी ने बसाया था और पहले के जोधपुर राज्य की राजधानी था। नगर के चारो ओर मजबूत परकोटा है जिसे अठारहवी शताब्दी के मध्य में बनवाया गया था, तथा यह परकोटा २४,६०० फीट लम्बा, १५ से ३० फीट ऊचा और ३ से ६ फीट चौडा है। इस परकोटे में छः द्वार हैं जिनमें से पाच दरवाजो के नाम उन कस्बो के नाम पर हैं जिनके सामने वे पडते हैं जैसे जालौर, मेड़ता, नागौर, सिबाना और सोजत; छठे द्वार का नाम चादपोल है क्योंकि इस दिशा में नये चाद का उदय होता है।

यह इस भाग का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है किन्तु औद्योगिक दृष्टि से बहुत अधिक विकसित नही है। यहा हड्डी पीसने का एक कारखाना, छतरिया बनाने का एक कारखाना व रासायनिक पदार्थ बनाने का एक कारखाना है। यहा भी कपड़े की रगांई, छपाई व बधाई बहुत अच्छी होती है। हाथी दात के काम के लिए प्रसिद्ध है। निकट ही मकान की छत पाटने की पट्टिया व सगमरमर निकलता है। यह उत्तरी रेलवे का प्रमुख स्टेशन है। यहा का हवाई अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का है।

यहा अनेक दर्शनीय स्थान हैं जिनमें किला, जसवन्त थड़ा, पब्लिक पार्क आदि मुख्य हैं। निकट ही प्रताप सागर व बाल समन्द झीलें हैं। अब यहा राजस्थान का हाईकोर्ट जयपुर से स्थानान्तर कर दिया गया है।

कोटा—यह नगर २५°११' उत्तरी अक्षांश तथा ७५°५१' पूर्वी देशान्तर पर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में चम्बल नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। यह नागदा-मथुरा रेलमार्ग पर स्थित है। यह अजमेर के दक्षिण-पश्चिम में लगभग १२० मील दूर है।

रेल व सडको का केन्द्र होने के कारण यह एक व्यापारिक केन्द्र बन गया है। अभी तक इसका औद्योगिक विकास पूरा नहीं हुआ। यहा कपड़ा बनाने की एक मिल, रबर के खिलौने आदि बनाने का एक कारखाना और दियासलाई बनाने का एक कारखाना है। यहा के डोरिये, पेचे, बारीक कपड़े,

पगड़िया और महमूदी प्रसिद्ध है। चम्बल योजना पूरी हो जाने पर यहां अन्य कारखाने खुलने की आशा है।

नगर के तीन ओर दीवारें हैं और पश्चिम की ओर चम्बल नदी है। यहां वल्लभ सम्प्रदाय वाले वैष्णवों का मथुराधीश का प्रसिद्ध मन्दिर है। उम्मेद भवन, अमरनिवास तथा छतरपुरा आदि देखने योग्य अन्य स्थान हैं।

उदयपुर—यह २४°३५' उत्तरी अक्षांस तथा ७४°१२' पूर्वी देशान्तर पर राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। यह नगर पिछोला झील के पास ही बसा हुआ है। इस नगर को महाराणा उदयसिंहजी ने सन् १५५९ में बसाया था।

यहा पर रंगाई, छपाई, लकड़ी के खिलौने, तलवार आदि बनाई जाती हैं। निकट ही अनेक झीलें हैं अतः इसे 'झीलों का नगर' भी कहते हैं। झील में पूर्वी किनारे पर महाराणा साहब का किला, महल, अजायबघर, गुलाब बाग, सज्जन निवास बाग और विक्टोरिया हॉल आदि दर्शनीय स्थान हैं। उत्तर में १२ मील दूर एकलिंगजी का प्रसिद्ध मन्दिर है।

बीकानेर—यह नगर २८°१' उत्तरी अक्षांश तथा ७३°२२' पूर्वी देशान्तर पर पहले की बीकानेर रियासत की राजधानी है। वह कलकत्ते के उत्तर-पश्चिम में लगभग १,३४० मील दूर और बम्बई के लगभग उत्तर में ७६० मील दूर है। इस नगर को सन् १४८८ में राव बीकाजी ने बसाया था। यह नगर राजस्थान के उत्तरी-पश्चिमी रेतीले भाग में है।

यहा पर बड़े उद्योगों का अभाव है। ऊनी कम्बल, गलीचे, लोइया, हाथी दात के चूड़े, ऊँट के चमड़े के कुप्पे, मिश्री आदि वस्तुएँ प्रसिद्ध हैं। यहा अनेक कॉलेज, शिक्षा विभाग का कार्यालय तथा रेलवे वर्कशॉप हैं। एक नया मैडिकल कॉलेज जुलाई १९५९ में खुला है। नगर के चारो ओर ४॥ मील की दूरी में दीवार है जिसमें पाच दरवाजे हैं। यहा लाल पत्थर के अनेक सुन्दर भवन हैं। शहर के बाहर लालगढ और लक्ष्मीनारायनजी का मन्दिर प्रसिद्ध है। यहा पानी ३०० से ४०० फीट की गहराई पर मिलता है। नगर में ४५ कुए हैं।

जैसलमेर—यह २६°५५' उत्तरी अक्षांश ८७°५५' पूर्वी देशान्तर पर राजस्थान के बहुत अधिक रेतीले तथा ऊसर पश्चिमी भाग में स्थित है।

पहले जैसलमेर राज्य की राजधानी था। यह बाडमेर के ६० मील उत्तर में कलकत्ता के लगभग १२०० मील उत्तर पश्चिम में तथा बम्बई के ६०० मील उत्तर में है। इस नगर को सन ११५६ में महारावल जैसलजी ने बसाया था। यह एक छोटी पहाडी के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ है। नगर चारों ओर पत्थर की एक दीवाल से घिरा हुआ है। इस दीवाल का घेर लगभग ३ मील है, ऊँचाई १० से १५ फीट व चौडाई ५ फीट है। इसमें दो प्रमुख प्रवेश द्वार हैं— एक पश्चिम में है व दूसरा पूर्व में है। पहाडी पर किला है। यहां के पुस्तकालय में प्राचीन हस्तलिखित पुस्तके हैं। यहा के बने हुए पत्थर के प्याले, रकाबिया और गिलास प्रसिद्ध हैं। यहा वर्षा बहुत कम होती है अतः पानी की बहुत कठिनाई है। जवाहर विलास, शाही महल, जैन मन्दिर आदि दर्शनीय स्थान हैं।

अजमेर—यह २६°२७' उत्तरी अक्षांश तथा ७४°४२' पूर्वी देशातर पर स्थित पहले के अजमेर-मेरवाडा की राजधानी था। यह बम्बई के ६७७ मील उत्तर में, देहली के २७५ मील दक्षिण में और आगरा के २२८ मील पश्चिम में है। यह नगर तारागढ पहाड़ियो की तलैटी में बसा हुआ है। इसको राजा अजयपाल ने बसाया था। सस्कृत शब्द 'मेरु' का अर्थ पर्वत होता है, और यह नगर पर्वत के नीचे बसा होने के कारण इसका नाम अजमेर पडा।

यह पश्चिमी रेलवे का प्रमुख जकशन है। यहा रेल का कारखाना है। यहां पर पक्का गोटा और चूडे के तार बनाए जाते हैं। औद्योगिक दृष्टि से उन्नति नहीं की है। यहा ख्वाजा सहाब की दरगाह है जिसमें मुसलमान फकीर मुईनुद्दीन चिश्ती जिनकी मृत्यु सन् १२३५ में हुई थी की कब्र है। यह दरगाह शमशुद्दीन अल्तमश के समय में बननी आरम्भ हुई थी और हूमायू के समय में बन कर तैयार हुई। यहा एक अकबर द्वारा व दूसरी शाहजहा द्वारा बनवाई गई मस्जिदें हैं। अटाई दिन का झोपडा, अनासागर, सोनी का मदिर, दौलत बाग आदि देखने योग्य हैं। अजमेर से लगभग ७ मील दूर हिंदुओ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पुष्कर है जहा कार्तिक मास में बहुत बडा मेला लगता है। यहा अनेक सरकारी कार्यालय भी हैं।

ब्यावर—यह २६°६' उत्तरी अक्षाश और ७४°२१' पूर्वी देशान्तर स्थित है। इस नगर को अजमेर के कमिश्नर कर्नल डिक्सन ने बसाया था।

यह व्यापार की बडी मंडी है। यहां पर ऊन की बडी मंडी है। यहां पर कपडा बनाने की कई मिलें हैं। शहर के चारों ओर पक्की दीवार है।

अलवर—यह नगर २७°३४' उत्तरी अक्षाश व ७६°३८' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम में ९८ मील, बम्बई के उत्तर पूर्व में ७६२ मील और कलकत्ता के १,०५० मील उत्तर पश्चिम में है। यह नगर देहली से अहमदाबाद जाने वाली पश्चिमी रेलवे पर देहली और बादीकुई के बीच में बसा हुआ है। अलवर नगर पहाडी की तलहटी में बसा हुआ है। यह भी एक व्यापारिक मडी है। यहा रगाई और हाथी दात का काम अच्छा होता है। यहा पर मथुराधीश का मन्दिर, विजय मन्दिर, विजय सागर झील, फतहगज का मकबरा आदि देखने योग्य स्थान हैं।

भरतपुर—यह २७°१५' उत्तरी अक्षाश तथा ७७°३०' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह आगरा के ३४ मील पश्चिम में, कलकत्ता के ८७५ मील उत्तर-पश्चिम में और बबई के ८१५ मील उत्तर-पूर्व में है। यह नगर सन् १७७३ में जाट महाराजा द्वारा स्थापित किया गया था। यह छोटी और बड़ी लाइन का जकशन है। यहा का किला बहुत प्रसिद्ध है जिसके चारों ओर मिट्टी की कच्ची दीवार है। यहा दशहरे पर बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। यहा पर हाथी-दांत के दस्ते के चवर, पखे व मिट्टी के हुक्के अच्छे बनते हैं। देखने योग्य स्थानो में खासा कोठी, मोती महल आदि प्रमुख हैं।

अभी तक यह नगर औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था किन्तु अब इसका विकास किया जा रहा है। यहा रेल के डिब्बे व साइकिल बनाने का कारखाना स्थापित किया जा रहा है।

किशनगढ़—यह २६°३४' उत्तरी अक्षाश तथा ७४°५२' पूर्वी देशातर पर अजमेर के दक्षिण-पूर्व में १८ मील और दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम में २५७ मील दूर स्थित है। इस नगर को राठौर महाराजा किशनसिंहजी ने सन् १६११ में बसाया था। यह एक झील पर, जो कि लगभग एक वर्ग मील में फैली हुई है, बसा हुआ है। यह देहली से अजमेर जाने वाली पश्चिमी रेलवे का स्टेशन है। यहा रुई की प्रसिद्ध मडी है। रुई व सूत के कारखाने हैं। एक कपड़े की मिल भी है।

अध्याय : पन्द्रह

आवागमन के मार्ग, प्रमुख मंडियां एवं व्यापार

किसी भी राज्य की उन्नति में आवागमन के मार्गों का विशेष योग होता है। राजस्थान में रेल मार्ग, सड़के व वायु मार्ग तीनो ही हैं किंतु राज्य की विशालता को देखते हुए, अभी इन मार्गों की लंबाई बहुत ही कम है, व इसके विकास की आवश्यकता स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होती है।

१. रेलमार्ग

राजस्थान के एकीकरण के पूर्व कुछ रियासतों ने अपनी रियासतों में रेलमार्गों का निर्माण करवाया था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर व धौलपुर रियासतो के अपने निजी रेलमार्ग थे। जोधपुर व बीकानेर राज्य के रेलमार्ग प्रथम श्रेणी के माने जाते थे। विभाजन के पश्चात् जोधपुर रेलवे का लगभग १/३ पाकिस्तान में चला गया।

रेलो के पुनर्गठन व्यवस्था के फलस्वरूप जोधपुर तथा बीकानेर के रेलमार्ग उत्तरी-रेलवे (Northern Railway) में; तथा जयपुर व उदयपुर के रेलमार्ग पश्चिमी-रेलवे (Western Railway) में विलीन कर दिए गए हैं। स्थूलरूप से यह कहा जा सकता है कि उत्तरी-रेलमार्ग राजस्थान के उत्तरीय एव पश्चिमी क्षेत्रो से गुजरता है जिसमें जोधपुर और बीकानेर डिवीजन के लगभग सब जिले आ जाते हैं। राजस्थान के शेष भाग में पश्चिमी-रेलवे मार्ग है।

राजस्थान में ३,१७६ मील लम्बा रेल मार्ग है। अजमेर का राजस्थान में विलय हो जाने से लगभग १६० मील का रेल मार्ग और मिला है।

प्रमुख रेल-मार्ग—राजस्थान में मुख्य रेल-मार्ग निम्नलिखित हैं—

(१) देहली-अहमदाबाद रेलमार्ग—यह रेलमार्ग पश्चिमी-रेलवे का है जो राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में से होकर गुजरता है। इस रेलमार्ग पर राजस्थान के ये नगर व कस्बे हैं—अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, मारवाड (जकशन), फालना, एरिनपुरा, आबूरोड।

(२) फुलेरा-दिल्ली रेलमार्ग—यह रेलमार्ग फुलेरा से आरम्भ होकर अनेक छोटे छोटे स्टेशनों को पार करके रींगस जकशन, कावट, डाबला और रेवाडी होता हुआ दिल्ली तक जाता है।

(३) जयपुर-लुहारू रेलमार्ग—जयपुर से चौमू, रींगस, सीकर, नवलगढ, झुंझुनू, चिडावा होते हुये लुहारू तक जाते हैं। सीकर से एक शाखा फतहपुर को जाती है।

(४) जयपुर-सवाई माधोपुर रेलमार्ग—जयपुर से सागानेर, निवाई, ईसरदा आदि छोटे स्टेशनों को पार करता हुआ यह रेलमार्ग सवाई माधोपुर तक जाता है। इस रेलमार्ग के समस्त स्टेशन छोटे हैं। सागानेर से एक शाखा डिग्गी तक गई है।

(५) आगरा-बीकानेर जोधपुर-हैदराबाद सिन्ध रेलमार्ग—आगरा से पश्चिमी रेलमार्ग भरतपुर, बादीकुई, जयपुर होता हुआ फुलेरा तक आता है, यहा से उत्तरी-रेलवे आरम्भ हो जाती है जो साभर, कुचामन, मकराना, डिगाना आदि होता हुआ मेडता रोड जकशन आता है। यहा से एक रेलमार्ग तो बीकानेर तक आता है। दूसरा रेलमार्ग पीपाड़ रोड, जोधपुर, लूनी जकशन समदड़ी, बालोत्रा और बाड़मेर (भारत-पाकिस्तान सीमा पर) तक जाता है जहा से हैदराबाद सिंध को रेलमार्ग जाता है।

डिगाना से एक शाखा उत्तर में डीडवाना, सुजानगढ होती हुई रतनगढ़ को जाती है। रतनगढ़ से दो और शाखाएँ जाती हैं। एक शाखा रतनगढ से उत्तर की ओर सरदारशहर को और दूसरी पूर्व मे राजगढ़ को गई है।

बीकानेर से एक शाखा सूरतगढ, हनुमानगढ होती हुई भटिंडा को जाती है। हनुमानगढ़ से एक रेलमार्ग सूरतगढ़ होती हुई अनूपगढ़ तक

गया है और दूसरा रेलमार्ग नौहरी, गङ्गामण्डी, भादर, राजगढ होता हुआ लुहारू को गया है। बीकानेर से एक और शाखा गजनेर होती हुई कोलायत तक जाती है।

(६) उदयपुर रेलमार्ग—उदयपुर से एक रेलमार्ग मारवाड़ जंकशन को व दूसरा अजमेर को जाता है।

(७) मध्य-रेलवे—बम्बई से ग्वालियर और धौलपुर होती हुई मध्य रेलवे (Central Railway) आगरा तक जाती है। इसी की एक लाईन कोटा, गुना होकर इलाहबाद की ओर जाती है। एक छोटी लाइन धौलपुर होती हुई मथुरा जाती है।

भरतपुर जकशन से एक बडी लाईन बयाना, हिंडौन, गङ्गापुर, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम होती हुई बम्बई को जाती है।

इस प्रकार राजस्थान में पश्चिम रेलवे, उत्तरी रेलवे और मध्य रेलवे के मार्ग हैं।

नए रेलमार्ग—फतहपुर-चूरू रेलमार्ग बन चुका है, पिलानी-लुहारू रेलमार्ग बन रहा है। कोटा-चित्तौडगढ और उदयपुर-हनुमानगढ रेलमार्ग के लिए सर्वेक्षण शीघ्र ही होने की आशा है। रतलाम को बासवाड़ा से और उदयपुर को डूगरपुर से मिलाने की योजना है।

२. सड़कें

राजस्थान में कच्ची व पक्की सड़को की लम्बाई लगभग १४ हजार (वास्तविक १३,६८८) मील है। राज्य के विस्तार को देखते हुए यह बहुत कम है। सबसे अधिक लम्बी सडकें उदयपुर जिले (१,७६२ मील) में है। सडको की लम्बाई के अनुसार कुछ जिलों का क्रम इस प्रकार है—

जिला		सडक-मार्ग
१. उदयपुर	....	१७६२ मील
२. कोटा	....	१००६ मील

३. जोधपुर	....	६२४ मील
४. भरतपुर	....	८४४ मील
५. अलवर	....	७१३ मील

आगरा से गुजरात में जाने वाली सडक का भाग राजस्थान में विशेष महत्वशील है जो आगरा से भरतपुर, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, सिरोही होता हुआ जाता है। देहली से बम्बई जाने वाली सड़क भी अलवर, जयपुर होती हुई जाती है।

३. वायु-मार्ग

राजस्थान में होकर निम्नलिखित प्रमुख वायु-मार्ग गुजरते हैं—

(१) देहली–जयपुर–जोधपुर–करांची

(२) देहली–जयपुर–उदयपुर

(३) देहली–कोटा–बम्बई

जोधपुर का हवाई-अड्डा राजस्थान में सबसे बडा है। इस अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। सागानेर (जयपुर), उदयपुर व कोटा में भी हवाई अड्डे हैं।

प्रमुख मंडियां—यद्यपि अतीत राजस्थान के व्यापार एव मडियो के सम्बन्ध में जानने के लिए सामग्री उपलब्ध नही है किन्तु प्राप्य ग्रन्थो आदि से ज्ञात होता है कि भीलवाड़ा (उदयपुर), मालपुरा (जयपुर), पाली (जोधपुर) तथा चूरू व राजगढ़ (बीकानेर) बहुत प्राचीन मडिया थी जो कि समुद्री तट व उत्तरी भारत के अनेक केन्द्रो को मिलाने में शृङ्खला की कडिया थी। उपरोक्त के अतिरिक्त आजकल अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, बारा, जोधपुर, बीकानेर, गङ्गानगर, डीग, सीकर, झुंझुनू, साभर, मेड़ता, नागौर, भवानीगञ्ज, कोटा, खेड़लीगञ्ज, पाटन, ब्यावर और फतहनगर राजस्थान की अन्य प्रमुख मण्डिया हैं।

व्यापार—राजस्थान से बाहर भेजी जाने वाली प्रमुख वस्तुएँ निम्न-लिखित हैं—

नमक, भेड व बकरिया, ऊन, हड्डिया, चमडा व खालें, जिप्सम, सगमरमर पत्थर, मेंगनीज, कच्चा लोहा व अन्य खनिज, अफीम, अनाज, तिलहन, लाख, कपास, मोटा कपड़ा, सीमेंट आदि ।

राजस्थान में निम्नलिखित वस्तुएँ बाहर से मगाई जाती हैं—

वनस्पति घी, चावल, गेहूँ, शक्कर, गुड व किराने का अन्य सामान, कपडा, होजरी का सामान, कोयला, लोहे का सामान व मशीने, जूट का सामान, तम्बाकू, फल, रङ्ग, काच का सामान, कागज, बिसातखाने का सामान, मिट्टी का तेल व पैट्रोल आदि ।

अध्याय : सोलह

राजस्थान में भूमि सुधार

राजस्थान बनने के पूर्व तत्कालीन राजपूताना ऐसे छोटे-बड़े रजवाड़ों, राज्यों और बड़े ठिकानों का एक समूह था, जिनमें आकार, जनसंख्या, राजनीतिक महत्व तथा प्रशासनिक कुशलता की दृष्टि से अनेक विषमताएँ विद्यमान थीं। उस समय राजपूताने में एक ओर तो भलीभाँति विकसित कुछ रियासतें थीं जिनमें जिला-प्रशासन प्रणाली प्रचलित थी, दूसरी ओर अनेक छोटी रियासतों में स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। तत्कालीन राजपूताना (वर्तमान राजस्थान) में काफी बड़े क्षेत्र ऐसे थे जहा कोई भूमापन और बन्दोबस्त नही हुए थे और भूमि-अभिलेखो (Land Records) का भी कोई अस्तित्व नही था। दूसरी ओर यहा ऐसी रियासते भी थी जिनमें लगान के लिए भूमि की पैमाइश और बन्दोबस्त के कार्य सम्पन्न हो चुके थे तथा बन्दोबस्त में अनेक बार सशोधन भी किये जा चुके थे। कुछ क्षेत्रों में व्यवहारिक दृष्टि से भूमि का कोई मूल्य ही नही था जबकि अनेक दूसरे क्षेत्रो में, यदि अधिक नही तो भारत के अत्यन्त उपजाऊ भागो की भूमि के समान ही महत्व था। अतः स्पष्ट है कि राजपूताना विषमताओं से परिपूर्ण प्रदेश था। राज्यों का पुनर्गठन कार्यान्वित होने पर वर्तमान राजस्थान १ नवम्बर १९५६ को अस्तित्व में आया। यहा यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान का क्षेत्रफल १ ३२ लाख वर्गमील है।

भूमि-सुधारों के उद्देश्य—राजस्थान में अब तक काश्तकारी और भूमि-सुधार के जो कानून बनाये गये हैं वे भारत के सविधान के चतुर्थ खण्ड में वर्णित सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धान्तों के अनुरूप हैं और योजना आयोग द्वारा प्रथम एव द्वितीय पचवर्षीय योजनाओं में की गई सिफारिशों के अनुसार हैं।

इन सुधारों का लक्ष्य सम्पत्ति और आय में विषमता को घटाना, शोषण का अन्त करना, काश्तकार और मजदूर को सुरक्षा प्रदान करना और अन्ततः

ग्रामीण जनता के विभिन्न वर्गों को समान स्तर और अवसर से आश्वस्त करना है। वर्तमान लक्ष्य यह है कि खेती की पैदावार में खेतीहर ढाचे में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर किया जाय और ऐसा वातारण पैदा किया जाय जिससे जितनी जल्दी हो सके कृषि सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था उन्नत हो और ऊँचे पैमाने पर कुशलता और उत्पादनशीलता बढे।

प्रचलित प्रथाएँ—राजस्थान में तीन प्रथाएँ प्रमुख रही हैं.—

(१) जागीरदारी प्रथा,

(२) जमीदारी अथवा बिस्वेदारी प्रथा,

(३) रैयतवाड़ी प्रथा।

१. जागीरदारी प्रथा—वृहत्तर राजस्थान की स्थापना के समय (मार्च १९४९) राज्य में अनेक विशाल क्षेत्र थे, जिनका भू-राजस्व विभिन्न श्रेणी के जागीरदारो को दिया जाता था। जागीरदारी प्रथा के विस्तार का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि भूतपूर्व जोधपुर राज्य के क्षेत्र का लगभग ८२ प्रतिशत तथा भूतपूर्व जयपुर राज्य के क्षेत्र का लगभग ६५ प्रतिशत भाग जागीरदारो के पट्टे में था। स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण राजस्थान के कुल क्षेत्र की लगभग ५९ प्रतिशत भूमि में जागीरदारी प्रथा प्रचलित थी। जागीरदार सम्बन्धित सरकार को नजराना देने के लिए बाध्य था। इस प्रकार जागीरदार 'अ' श्रेणी के राज्यो के जमीदार की तरह ही बीच की एक कड़ी था। जहा तक काश्तकार का सम्बन्ध था, जागीरदार उससे हर तरह ऐसा ही व्यवहार करता था मानों वह (जागीरदार) जमीन का मालिक हो। जागीरदार सरकार को जो रकम अदा करता था उससे उस लगान का कोई तालमेल नही था जो कि वह वास्तव मे अपने काश्तकारो से वसूल करता था। जागीरदार द्वारा सरकार को अदा की जाने वाली रकम सैकड़ों वर्ष पूर्व जागीर मजूर होने के समय कूती हुई (जागीर की आय पर आधारित) होती थी। यद्यपि जागीर की आमदनी में 'कूती हुई आय' से कई गुनी वृद्धि हो चुकी थी किन्तु नज़राने की रकम ज्यों की त्यो थी।

अनेक जागीर क्षेत्रों में, जहा बन्दोबस्त लागू नही हुआ था, जागीरदार उपज के एक भाग को लगान के रूप में वसूल करते थे। विभिन्न इकाइयों में यह भाग आधे से आठवें भाग तक भिन्न-भिन्न था। किसानों को न्यूनाधिक रूप से जागीरदारों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता था। जमीनें नीलाम की जाकर सबसे ऊँची बोली लगाने वाला को दे दी जाती थी जिसके परिणामस्वरूप अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलती थी, लगान बढ़ते जाते थे और भूमि की हालत बदतर होती जाती थी।

२. जमींदारी या बिस्वेदारी प्रथा—जागीरदारी प्रथा के अतिरिक्त राजस्थान में मध्यस्थता की एक श्रेणी और थी। कुछ क्षेत्रों में उन्हे जमीदार और अन्य क्षेत्रों में बिस्वेदार कहा जाता था। जमीदारी या बिस्वेदारी प्रथा राजस्थान के ८ जिलों में फैले हुए लगभग ४८७० गावो में विद्यमान थी। जमींदारी या बिस्वेदारी प्रथा वाले गाव अधिकाशतः अलवर, भरतपुर और गङ्गानगर (बीकानेर) जिलो में थे। यह प्रथा बहुत पुरानी नही थी, इसे उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बन्दोबस्त अधिकारियो द्वारा चालू किया गया था। ये जमीदार और बिस्वेदार सरकार को निश्चित भू-राजस्व देते थे किन्तु उनके काश्तकारो द्वारा जो लगान की रकम उन्हे अदा की जाती थी वह 'भोक्ता कृषको' के रूप में, इन्द्राज शुदा लोगों के मामले को छोडकर, निर्धारित नही हो पाई थी। इसके विपरीत जमीदार और बिस्वेदार अपने काश्तकारो से मनमानी दर। पर लगान वसूल करने को स्वतन्त्र थे। काश्तकार उनकी कृपा पर निर्भर थे और जमीदारो और बिस्वेदारों की इच्छानुसार उन्हें बेदखली का शिकार होना पड़ता था।

३. रैयतवाड़ी प्रथा—राजस्थान का शेष क्षेत्र रैयतवाड़ी प्रथा के अधीन था, जहा सरकार का काश्तकारो से सीधा सम्बन्ध था। काश्तकारो को भू-राजस्व सीधा सरकार को ही जमा कराना पडता था।

भूमि सुधार सम्बन्धी सरकारी प्रयास

१. राजस्व नियमों का एकीकरण—वृहत्तर राजस्थान के निर्माण को १½ महीना भी नहीं हुआ था कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान में सम्मिलित

होने वाली विभिन्न रियासतो के राजस्व नियमो के एकीकरण के लिए एक समिति नियुक्त की। श्री ए०ए० खैरी इस समिति के सयोजक थे। इस समिति ने जुलाई, १६४६ के अन्त में एक विस्तृत काश्तकारी विधेयक और सम्पूर्ण भूमि राजस्व विधेयक के प्रारूप (Draft) सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी किन्तु सन् १६५५ के पूर्व एकीकृत काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं हो पाया।

२. काश्तकार सरक्षण अध्यादेश—जागीरदार, जमीदार और अन्य जमीन के मालिको ने इस आशा में कि काश्तकारों को विधि-विहित अधिकार दिलाने वाले कानून बनने जारहे हैं, अपने किसानो को मनमाने तौर पर उनकी जमीनो से बेदखल करना अथवा कब्जा छीनना शुरू कर दिया। इन भारी संख्या में होने वाली बेदखलियों को रोकने के उद्देश्य से खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि के व्यापक हितो को दृष्टि में रखते हुए जून, १६४६ में दूसरा अध्यादेश प्रचारित किया गया जिसका नाम 'काश्तकार सरक्षण अध्यादेश' है। इस अध्यादेश में उन किसानों को उनकी जमीनें शीघ्र वापस दिलाने की व्यवस्था थी जिन्हे कानून के खिलाफ बेदखल किया गया या जमीनो पर से जिनका कब्जा छीन लिया गया था। इस प्रकार मनमाने तौर पर होनेवाली बेदखलियों का अन्त करने की दिशा में कदम उठाने वाला राजस्थान सभवतः भारत में पहिला राज्य था। सपूर्ण राजस्थान के काश्तकारों ने इस अध्यादेश से पूरा-पूरा लाभ उठाया। इसने उन्हे पूरी सुरक्षा प्राप्त हुई और स्वेच्छाचारितापूर्ण बेदखलियों और स्वत्वापहरणों का अन्त हो गया।

३ राजस्थान-मध्यभारत जागीर जांच समिति— राजस्थान-निर्माण के तुरन्त बाद राज्य सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की कि वह जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के उलझे हुए प्रश्न को हल करने में सहायता देने के लिए ऐसी समिति नियुक्त करे जिसका काम जागीरदारी सम्बन्धी तथ्यो की जानकारी प्राप्त करना हो। इस पर भारत सरकार के राज्य मत्रालय ने राजस्थान और मध्यभारत में प्रचलित भूमि भोगावधि प्रथाओं का अध्ययन करने तथा जागीरी उन्मूलन के लिए समुचित सिफारिशे पेश करने के उद्देश्य से अगस्त १६४६ में राजस्थान-मध्यभारत जागीर जाच समिति की स्थापना की। यह समिति आमतौर

पर 'वेंकटाचार समिति' के नाम से जानी जाती है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, १६४६ में पेश की जिसके आधार पर भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम का उल्लेख अन्यत्र किया जायेगा।

४. क्षेत्रीय विभाजन—राज्य के राजस्व और सामान्य प्रशासन के प्रयोजनों से विभिन्न डिवीजन, जिले, सब-डिवीजन और तहसीलें कायम करने और उनमें अधिकारियो को नियुक्त करने के लिए अगस्त, १६४६ में अध्यादेश जारी किया गया।

राजस्थान में इस समय पाच डिवीजन २६ जिले ८२ सब-डिविजन और २१२ तहसीले हैं। प्रत्येक डिवीजन कमिश्नर की तथा प्रत्येक जिला कलक्टर की आधीनता में है।

५. राजस्व मंडल—सम्पूर्ण राजस्थान के लिए नवम्बर, १६४६ में एक एकीकृत रेवेन्यू बोर्ड कायम किया गया और भिन्न-भिन्न राज्यों में काम करने वाले सभी रेवेन्यू बोर्ड समाप्त कर दिये गये। माली मामलो के संबंध में अपील, पुनर्विचार और निर्देश के लिए राजस्व मडल (रेवेन्यू बोर्ड) को राज्य में रेवेन्यू की सबसे बडी अदालत घोषित किया गया।

६. जागीरों का पुनर्ग्रहण—राजस्थान भूमि सुधार एव जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, १६५२, को १८ फरवरी १६५२ से अमल मे लाया गया किन्तु जागीरों के पुनर्ग्रहण की वास्तविक प्रक्रिया दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने तक भी आरम्भ नही की जा सकी। कारण यह था कि कुछ जागीरदारों ने दरख्वास्तें देकर राजस्थान हाई कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए। बाद में जागीरदारो ने सरकार से समझौता वार्ता आरम्भ की और इस सम्बन्ध में जिन मुद्दों पर फैसला न हो सका, उनको सुलझाने के लिए दोनो पक्षो ने भारत के प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू को पच मान लिया। श्री नेहरू ने नवम्बर १६५३ में अपना फैसला दिया। इसके फलस्वरूप जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम में कई महत्वपूर्ण सशोधन किये गये और १६५४ का राजस्थान अधिनियम सं० १३, प्रचारित किया गया। मुख्य संशोधनो में एक यह भी था

जिनके अनुसार ५,००० रुपये से कम वार्षिक आमदनी वाली जागीरों को मुक्त रखे जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में, जिस रूप में कि यह अब है भू-राजस्व के लिए जागीरी भू भाग से लगाकर मालगुजारी तक के निर्धारण की व्यवस्था है। जागीरदार लोगो द्वारा सरकार में नजराना जमा कराने की परम्परा भी इस अधिनियम से समाप्त हो गई। इस अधिनियम में यह भी उल्लेख है कि जागीरी क्षेत्र का प्रत्येक किसान, जिसके पास काश्तकारी के पैतृक और पूर्ण हस्तान्तरण के अधिकार है, आगे भी अपने ऐसे अधिकारों का उपभोग करता रहेगा।

अधिनियम में जागीरदार को उसकी खुद काश्त जमीनों (जागीरदार की खुद की खेती के अन्तर्गत भूमि) के लिए खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का भी प्रावधान है। अधिनियम का वह एक सबसे महत्वपूर्ण परिच्छेद है जो जागीर पुनर्ग्रहण से सम्बन्धित है। अधिनियम के अनुसार केवल उन जागीरो को छोड़कर जो मूलतः दान की गई हैं और जिनकी आमदनी किसी धार्मिक पूजा के स्थान के निर्वाह में अथवा किसी धार्मिक सेवा के अनुष्ठान के लिए उपयोग में आती है, शेष सभी जागीरो का पुनर्ग्रहण किया जायगा। जागीरों के पुनर्ग्रहण कर लिये जाने पर जागीरदार और जागीरी इलाकों में जागीरदार के द्वारा अपना हक मानने वाले दूसरे व्यक्ति के अधिकार, स्वामित्व और हित सरकार में समाहित हो जायेगे किन्तु जागीरदार पर चढ़े हुए कर्ज आदि के भार से सरकार का कोई सबध नहीं होगा। सरकार ने जागीरदारो के लिए न केवल मुआवजा देने की व्यवस्था की है बल्कि उनके पुनःसस्थापन के लिए अनुदान भी स्वीकृत किये हैं।

अधिनियम की दूसरी अनुसूची में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जागीरदार को जो उसकी वास्तविक आमदनी हो उसका सात गुना मुआवजा दिया जावेगा और तीसरी अनुसूची में वर्णित स्केल के अनुसार उसे पुनः सस्थापन अनुदान दिया जायेगा। मुआवजा और पुनःसस्थापन अनुदान की रकम १५ समान वार्षिक किश्तो में अथवा जागीरदार की इच्छा हो तो ३० समान छमाही किश्तो में चुकाई जायेगी।

वस्तुत. जागीर पुनर्ग्रहण का कार्य जून १९५४ में आरम्भ हुआ जब कि राजस्थान की सबसे बडी जागीरे सीकर और खेतडी पुनर्ग्रहण की गई। प्रधान मन्त्री के सद्‌भावना पूर्ण प्रयत्नो द्वारा जागीरो के साथ समान समझौता के फलस्वरूप यह आशा होने लगी थी कि सरकार ने जागीर पुनर्ग्रहण का जो कार्यक्रम तैयार किया था उसके अनुसार विभिन्न श्रेणी की जागीरो के पुनर्ग्रहण में कोई दिक्कत नही होगी किन्तु दुर्भाग्य से कुछ छोटे जागीरदारो ने पुनः कानूनी अदालतो का सहारा लिया।

सन् १९५८ मे प्रधान मत्री श्री नेहरू से समझौता कराने के लिए पुनः प्रार्थना की गई और भूस्वामियों और राजस्थान सरकार के सयुक्त अनुरोध पर प्रधान मत्री ने पुनः मध्यस्थ बनना स्वीकार कर लिया। कुछ समय पूर्व ही प्रधान मत्री ने असहमतिपूर्ण कुछ मुद्दों पर अपना फैसला दिया है। उस फैसले के फलस्वरूप जागीरदारो को, जिनकी वार्षिक आय स्थूलरूप से पाच हजार रुपये से अधिक नही है, अतिरिक्त पुनः सस्थापन अनुदान मिलेगा। यह अनुदान उन्हे शुद्ध आय के अतिरिक्त गुणन के रूप में मिलेगा। इससे राज्य सरकार पर ८१/४ करोड़ से भी कुछ अधिक रुपये की अदायगी का भार पड़ने की सभावना है।

धार्मिक जागीरो के अतिरिक्त उन सभी जागीरो के जो अब तक पुनर्ग्रहीत नही की गई है और जिनका बदोबस्त १ जुलाई १९५७ से या इससे पूर्व हो चुका है, १ जुलाई १९५८ से पुनर्ग्रहण के लिए १९५२ के राजस्थान अधिनियम ६ (की धारा २१) के अन्तर्गत विज्ञप्तिया जारी करदी गई है।

वर्तमान स्थिति (सन् १९५९ में) यह है कि अब तक कुल लगभग ४ करोड रुपये की वार्षिक आयवाली लगभग २.४५ लाख जागीरे खालसा की जा चुकी हैं। बदोबस्तशुदा धार्मिक जागीरो का जिनकी आय १०,००० रुपया या इससे अधिक है, पुनर्ग्रहण १ जनवरी १९५९ से आरम्भ हो गया है और अब तक ऐसी कुल ३.४० लाख रुपये की वार्षिक आमदनी वाली धार्मिक जागीरे खालसा करली गई है।

जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन निस्सन्देह एक महत्वपूर्ण सफलता है।

७. जमीदारी प्रथा का उन्मूलन—जमीदारी अथवा बिस्वेदारी प्रथा के संबध में कुछ बाते पहले व्यक्त की गई है। इस प्रथा के उन्मूलन के लिए अभी कानून पास नही हुआ है। इस विषय में सरकार को परामर्श देने के लिए राजस्थान सरकार ने फरवरी १९५६ में सरकारी व गैर सरकारी सदस्यो की एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने सितम्बर १९५६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। योजना आयोग से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट पर जनवरी १९५८ में अपना निर्णय दे दिया और अप्रैल १९५८ में राजस्थान जमीदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन विधेयक, १९५८ राज्य विधान सभा में प्रस्तुत कर दिया गया। १२ दिसम्बर, १९५८ को विधान सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया।

इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति १२ फरवरी १९५९ को प्राप्त हो चुकी है और इसकी धाराओ को प्रभावशील बनाने के लिए आवश्यक नियमो की रचना होते ही इसे तुरंत लागू कर दिया जायगा।

९. भूदान यज्ञ—आचार्य विनोबा भावे द्वारा सचालित भूदान यज्ञ से सम्बन्धित गतिविधियो को आसान बनाने के उद्देश्य से तथा भूदान यज्ञ बोर्ड कायम करने के लिए राजस्थान भूदान यज्ञ, अधिनियम, १९५४ बनाया गया। भूदान यज्ञ बोर्ड ने जनवरी, १९५५ में कार्य आरम्भ किया। बोर्ड द्वारा अब तक भूदान में ८४०५ दाताओ से ४,२६,४८८ एकड भूमि प्राप्त की जा चुकी है तथा ९,००० भूमिहीन व्यक्तियो म ६६,२७० एकड़ भूमि बाटी जा चुकी है। इस बोर्ड को ग्रामदान में पूरे के पूरे ४९ ग्राम भी प्राप्त हो चुके हैं।

१०. जोतों की चकबन्दी—राजस्थान के कुछ इलाको में खेतों का बटवारा होते-होते बहुत छोटी-छोटी टुकडिया रह गई है। जोतों की अनिवार्य रूप से चकबन्दी करने और इस तरह के छोटे-छोटे टुकडे होने से रोकने के लिए सरकार ने राजस्थान कृषि स्वामित्व (चकबन्दी व खडन निरोध) अधिनियम अर्थात् होल्डिग्ज (कन्सोलीडेशन एन्ड प्रिवेन्शन आफ फ्रेगमेन्टेशन) एक्ट १९५४ बनाया। इस अधिनियम के लागू होने से आशा है कि खेतो के छोटे टुकड़ो से होने वाली हानि का अन्त हो जायेगा और जोतो की चकबन्दी का कार्यक्रम हाथ

में लिया जासकेगा। यह अधिनियम सरकार को खेतो का एक निश्चित आकार प्रकार निर्धारित करने सम्बन्धी अधिकार प्रदान करता है। इस कानूनी कदम के दूरगामी परिणाम निकलेंगे। जोतों की चकबन्दी का कार्य पहले नदी घाटी योजनाओ में आने वाले इलाको, सामुदायिक योजना क्षेत्रो और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खडों के अधीन क्षेत्रो में आरम्भ किया जारहा है।

११. ग्राम पंचायतें—भारत के सविधान में वर्णित राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धान्तो में एक वह है कि राज्य को ग्राम पचायतें कायम करने की दिशा में कदम उठाना चाहिये और उन्हे ऐसे अधिकार और सत्ता सौंपी जानी चाहिये जो उन्हे स्वशासन की इकाइयो के रूप में काम करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। सरकार पचायत अधिनियम बना चुकी है। यह अधिनियम अक्टूबर, १९५३ में पास हुआ इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो में स्वायत्त शासन की स्थापना और उसका विकास तथा ग्राम-प्रशासन और विकास के लिए उत्तम प्रबन्ध करना है। इस समय राजस्थान में ३५०२ ग्राम पचायते कार्य कर रही हैं। इसमें भूतपूर्व अजमेर राज्य की पचायते भी सम्मिलित हैं। ग्राम पचायतो के अतिरिक्त पुनर्गठन से पहले के राजस्थान में इस समय २०९ तहसील पचायते है। ये तहसील पचायते पुनरावेदन (अपीलेंट) तथा निरीक्षणाधिकारिणी हैं। विशिष्ट दीवानी और फौजदारी अधिकार ग्राम पचायतो को प्रदान किये गये हैं किन्तु ग्राम पचायतो को अभी तक भू राजस्व इक्ट्ठा करने का काम नही सौंपा है और नही पचायतो को राजस्व और न्याय सबधी अधिकार अथवा भूमि आलेखों में इन्द्राजो से सबधित झगड़ों का निपटारा करने के अधिकार ही प्रदान किये गये हैं। ये प्रश्न इस समय परीक्षणाधीन हैं।

१२. एकीकृत काश्तकारी अधिनियम—राजस्थान काश्तकारी विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति १५ मार्च १९५५ को हुई, उसी माह में यह आम जनता की जानकारी के लिए 'राजस्थान काश्तकारी (टिनेन्सी) अधिनियम १९५५' के रूप में प्रकाशित हुआ तथा १५ अक्टूबर, १९५५ मे लागू हुआ। इस अधिनियम की गणना भारत के श्रेष्ठतम प्रगतिशील काश्तकारी अधिनियमो में की जा सकती है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताए निम्नलिखित हैं—

(i) यह अधिनियम कृषि योग्य भूमि पर काश्तकारी से संबन्धित कानूनों में सुधार करके एकरूपता लाता है, और इसमें भूमि सुधार के निश्चित तरीकों का उल्लेख है ।

(ii) राजस्थान में पहले जहा अनेक प्रकार की काश्तकारिया प्रचलित थी उनके स्थान पर अब केवल तीन प्रकार के काश्तकार रह गये हैं—(क) खातेदार काश्तकार, (ख) खुदकाश्त खातेदार और (ग) गैर खातेदार काश्तकार।

(iii) खातेदार को रहने के लिए घर बनाने के वास्ते उस गाव की आबादी में, जहा उसकी खेती-बाडी है, मुफ्त जमीन प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया है ।

(iv) अधिक लगान वसूल करने और बलात श्रम पर पाबदी लगादी गई है ।

(v) खातेदार काश्तकार को अपनी कुल जमीन या उसका हिस्सा बेचने अथवा भेंट करने का अधिकार है । किन्तु यदि कोई खातेदार काश्तकार किसी ऐसे व्यक्ति को अपने स्वत्व का हस्तान्तरण करे जिसके पास पहले से ही ३० एकड सिंचित अथवा ९० एकड असिंचित भूमि हो तो इसके लिए उसे सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी । इस प्रतिबध का उद्देश्य धनवान तथा खेती पर अनुपस्थित रहने वाले जमीदारों के अधिकार में अधिक भूमि के सग्रह को रोकना है ।

(vi) खातेदार काश्तकार अपनी जमीन को १० साल तक के लिए भोग बधक रूप से रहन भी रख सकता है ।

(vii) एक जूट करने के लिए काश्तकार अपनी जमीन की अदला-बदली भी कर सकते हैं ।

(viii) अधिनियम में कृषि स्वामित्व के समर्पण, त्याग तथा समाप्ति के [illegible] में तथा सुधार लाने के लिए अधिकार के सम्बन्ध में व्यापक रूप से उल्लेख है ।

(ix) लगान की दरो में संशोधन के लिए निर्धारित आधार उपज का छठा हिस्सा है ।

(x) इस अधिनियम में लगान को हल्का करने या दर में संशोधन करने तथा कृषि-संकट की स्थिति में लगान की छूट देने और वसूली को आगे सरका देने के सम्बन्ध में भी सामान्य प्रावधान है।

(xi) बकाया लगान की वसूली के लिए डिग्री जारी करने पर काश्तकार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।

(xii) अधिनियम में वर्णित कारणों के अतिरिक्त बेदखली भी नहीं हो सकती।

(xiii) जब कोई काश्तकार लगान जमा न कर सकने के कारण डिग्री या आदेश द्वारा बेदखल होगा तो उस पर चढ़ी हुई सारी बकाया रकमें चूकती समझ ली जावेंगी।

(xiv) बेदखल होने पर काश्तकार जमीन पर उसके द्वारा किये गये किसी सुधार के लिए मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी भी होगा।

(xv) इस अधिनियम में इन अधिनियमों की प्रमुख धाराओं का भी समावेश कर लिया गया है—(अ) उपज भाटक नियमन अधिनियम, १९५१; (आ) कृषि भाटक नियन्त्रण अधिनियम, १९५२; (इ) काश्तकार संरक्षण अधिनियम १९४९।

कृषि भूमि की वर्तमान जोतों पर भूमि की अधिकतम सीमा लागू करने सम्बन्धी संशोधन के अतिरिक्त काश्तकारी अधिनियम में हाल ही में दो संशोधन और किये गये हैं जिनके अनुसार काश्तकारों की कुछ श्रेणियों को भूस्वामी को मुआवजा देने पर कानूनन खुदकाश्त खातेदारी के अधिकार दे दिये जायगे।

बाद का संशोधित अधिनियम जिसका नाम राजस्थान काश्तकारी (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम १९५८ है, लागू किया जा चुका है और पहला राजस्थान काश्तकारी (पंचम संशोधन) अधिनियम, १९५९, शीघ्र ही अमल में लाया जावेगा।

१३ भूमापन, आलेख व बन्दोबस्त के कार्यः—राजस्थान में अब भूमापन (सर्वे) आलेख (रेकार्डस्) और बन्दोबस्त की स्थिति नितान्त संतोषप्रद है। जैसलमेर जिले के करीब ५०० गांवों को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्थान में लगान की दृष्टि से जमीन की पैमाइश हो चुकी है और शेष क्षेत्रों में भी जल्दी ही पैमाइश होने

की आशा है। पैमाइशशुदा सारे इलाके के लिए भूमि-आलेख तैयार कर लिये गये हैं किन्तु जिन क्षेत्रों की पैमाइश नहीं हुई है उनके लिये पूरे भूमि आलेख तैयार नहीं हैं। जैसलमेर जिले में अस्थायी बन्दोबस्त का काम करीब-करीब समाप्त होने वाला है और शेष क्षेत्र में पूरी तरह बन्दोबस्त हो चुका है। भूमि आलेखों के रक्षण के लिए एक समुचित संगठन राजस्थान में भूमि आलेख विभाग के रूप में काम कर रहा है। राजस्थान के लिए लैन्ड रेकार्डस् मैन्युअल बनी हुई है जिसमें भूमि आलेखों को तैयार करने और उनकी रक्षा करने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश हैं।

१४. राज्य भूमि आयोग :—जो भूमि-सुधार पहले से लागू किये जा चुके थे उनका अध्ययन करने और वे वास्तविक में कहाँ तक कार्यान्वित हुए इसकी जाँच करने एवं उनकी कार्यान्विति के लिए अथवा ऐसे आगामी सुधारों के लिए जो कि आवश्यक हो, सिफारिशें प्रस्तुत करने तथा भूमि प्रबंध सम्बन्धी कानून कायदों का मसविदा बनाने को आवश्यक सुझाव देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राजस्थान के लिए सितम्बर, १९५६ में एक राज्य भूमि आयोग नियुक्त किया। मुख्य मंत्री इस आयोग के अध्यक्ष हैं और राजस्व मंत्री उपाध्यक्ष हैं। आयोग के गैर सरकारी सदस्यों में अनेक संसद् सदस्य एवं विधान सभा के सदस्य सम्मिलित हैं।

१५. आशामय भविष्य —निस्सन्देह राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल है। विश्वास के साथ यह आशा की जा सकती है कि जब बहु-उद्देश्यीय भाखरा और चम्बल योजनाएं तथा राजस्थान नहर योजना पूरी हो जायेगी और भूमि-सुधार जिनका श्रीगणेश पहले से ही हो चुका है, जब जड़ जमा लेंगे तब देश का आशातीत कायाकल्प हो जायेगा। राजस्थान वास्तव में एक समृद्ध प्रदेश बन जायेगा और यहां की कृषक जनता पूर्णतः सुखी एवं समृद्धिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगी।

अध्याय : सत्रह

राजस्थान में सहकारिता

सहकारिता का प्रादुर्भाव—वैसे तो भारत में सहकारिता की भावना अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही है, किन्तु पूर्ण सङ्गठित रूप में सहकारिता का अभाव रहा। भारत में सरकारी स्तर पर सहकारिता का प्रादुर्भाव सन् १६०४ से हुआ। देश हमारा अब स्वतन्त्र है और सहकारिता एक जनतन्त्रीय पद्धति होने के कारण भारतीय वर्तमान परिस्थितियों में, भारत और भारतीय जनता–विशेषतः ग्रामीण जनता के उत्थान के निमित्त, इसके विकास एव प्रगति की आवश्यकता के विषय में किसी को सन्देह नहीं हो सकता।

राजस्थान में सहकारिता के विकास का श्रीगणेश सर्वप्रथम सन् १६१५ में भरतपुर में और इसके पश्चात् कोटा में सन् १६१६ में हुआ। सन् १६२५ से १६४४ के मध्य जयपुर, अलवर, बीकानेर व जोधपुर में सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ। नीचे की तालिका से ज्ञात होगा कि किस राज्य में कब सहकारिता आरम्भ हुई :—

	राज्य		सन् जब से कार्य आरम्भ हुआ*
१.	भरतपुर	...	१६१५
२.	कोटा	...	१६१६
३.	बीकानेर	...	१६२६
४.	अलवर	...	१६३४
५.	किशनगढ	....	१६३५
६.	जोधपुर	..	१६३८
७.	जयपुर	..	१६४४
८.	उदयपुर	..	१६४८

* 'राजस्थान परिचय ग्रन्थ'—पृष्ठ १२६ की आंशिक तालिका

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान निर्माण के समय तक जैसलमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बासवाड़ा, शाहपुरा, सिरोही और टोंक आदि रियासतो में सहकारिता आन्दोलन आरम्भ नही हुआ था। जिन रियासतों में सहकारी आन्दोलन आरम्भ हुआ था, वहां भी इसकी प्रगति बहुत शिथिल थी जिसके तीन प्रमुख कारण हैं :—

(१) तत्कालीन राजाओ की इस आन्दोलन के प्रति उदासीनता।

(२) जनता की अशिक्षा।

(३) प्रशिक्षित एवं योग्य तथा अनुभवी कर्मचारियो की कमी।

सहकारिता में सरकारी योग—सहकारिता के सिद्धान्त के अनुसार यह आन्दोलन स्वयं-चालित होना चाहिए और सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किन्तु भारत में ऐसा वातावरण अभी तक उत्पन्न नहीं हो पाया है; और दूसरी ओर सहकारिता के विकास की भी आवश्यकता है। अतः इस दिशा में प्रगति के लिए सरकार को योग देना ही पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने भी अनेक प्रयत्न किए हैं।

राजस्थान सरकार एक अलग 'सहकारी विभाग' की स्थापना कर चुकी है, जिसका कार्य राज्य में सहकारिता-प्रसार है। यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने इस सहकारी-विभाग के रजिस्ट्रार को उत्तर-प्रदेश, मद्रास व बम्बई में सहकारी आन्दोलन के अवलोकनार्थ भेजा था। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता के अध्ययन के लिए इन्हे डेनमार्क भी भेजा था।

सहकारिता-प्रचार के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की देश में पर्याप्त कमी रही है। हमारी राज्य सरकार का भी ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और सन् १६५१ में जयपुर में सहकारिता-प्रशिक्षण हेतु एक स्कूल की स्थापना की जिसमें अनेक कर्मचारी प्रशिक्षित हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसी प्रकार की एक सस्था कोटा में भी है। इनके अतिरिक्त पूना में स्थित रिजर्व बैंक द्वारा सस्थापित अखिल भारतीय सहकारिता प्रशिक्षण कालेज तथा पंजाब में स्थित सहकारिता-प्रशिक्षण सस्था में राजस्थान सहकारी विभाग के अनेक कर्मचारी प्रशिक्षित हो चुके ।

राजस्थान के विभिन्न भागों में अलग-अलग सहकारी कानून प्रचलित थे, जिनसे इस आन्दोलन के समान विकास में कठिनाइया पडती थी, अतः 'राजस्थान कोओपरेटिव सोसाइटीज एक्ट' पास किया जा चुका है। इस प्रकार अब सम्पूर्ण राज्य में इस सम्बन्ध के एक से नियम व उप-नियम हैं, जिनके कारण सहकारिता आन्दोलन की उन्नति में सहायता मिल रही है।

राज्य की दो योजनाओं में सहकारिता का विकास

राजस्थान के एकीकरण के समय राज्य में सहकारिता केवल नाम-मात्र को ही और अविकसित दशा में थी क्योंकि राजस्थान के लगभग ५ प्रतिशत भाग में ही सहकारिता फैली हुई थी। सरकार जनता के जीवन-स्तर व सुख-समृद्धि में विकास करने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए सहकारिता की भावना, सहकारिता का विकास अनिवार्य है।

ज्ञात ही है अखिल भारतीय स्तर पर दस वर्षों (दोनों योजना काल) में देश के ५० प्रतिशत गाव व ३० प्रतिशत ग्रामीण जनता सहकारिता के क्षेत्र में आजानी चाहिए। इस आधार पर राजस्थान में कम से कम १७ हजार गावों में सहकारी समितियों की स्थापना होनी चाहिए जिसके सदस्य ४३ लाख व्यक्ति होने चाहिए।

प्रथम योजना— राजस्थान की प्रथम पच-वर्षीय योजना बनाते समय सहकारिता के विकास पर भी ध्यान दिया गया और योजना-काल (१९५१-५६) में ६ हजार नई सहकारी समितियो की स्थापना का लक्ष्य रखा गया और इस उद्देश्य के लिए तीन लाख रुपये की राशि रखी थी जिसमें बाद में वृद्धि करके दस लाख रुपये कर दिए।

सतोष का विषय है कि प्रथम पचवर्षीय योजना काल में निर्धारित लक्ष्य (६००० समितिया) को पूरा करके लक्ष्य से भी आगे बढ गये हैं। इस काल में राजस्थान में लगभग ६,५५० नई सहकारी समितिया सगठित की गई।

द्वितीय योजना—राजस्थान की (अजमेर को सम्मिलित करते हुए) द्वितीय पचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास के लिए १.६४ करोड रुपए अथवा कुल योजना-व्यय का १ ६ प्रतिशत राशि रखी गई है।* इस योजना

---

* Basic Statistics Rajasthan 1957 P. 108

के अन्तर्गत क्रय-विक्रय सहकारी समितिया, गोदाम समितिया, पशु विकास समितिया आदि का विकास और संगठन किया जायेगा। इस योजना काल में ६ हजार सहकारी समितिया स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

द्वितीय योजना काल में लगभग एक हजार बहु-उद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितिया, कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से स्थापित की जावेंगी। इन समितियों में लगभग ५० लाख रुपये विनियोग किए जाने का अनुमान है जिनमें लगभग आधे रुपये राजस्थान सरकार लगावेगी। प्रत्येक समिति की सदस्य सख्या ५०० से १००० कृषक होगी। इस प्रकार राज्य के लगभग ४० प्रतिशत गाव और २२ प्रतिशत जन सख्या सहकारिता के क्षेत्र में आ जावेगी। जयपुर क्षेत्र के बस्सी, जोबनेर, मालपुरा; बीकानेर क्षेत्र के गंगानगर, जोधपुर क्षेत्र के जालौर, और कोटा व उदयपुर क्षेत्र में ऐसी समितियों की स्थापना हो चुकी है।

द्वितीय योजना-काल में १२५ क्रय विक्रय सहकारी समितियां और एक शीर्ष-क्रय-विक्रय सहकारी समिति की स्थापना करने की योजना है। इससे ग्रामीण जनता को अपने द्वारा उत्पादित एव निर्मित पदार्थों के विक्रय तथा अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को उचित मूल्य पर क्रय करने की सुविधा प्राप्त होगी।

कृषकों को कुएं खोदने, ट्रेक्टर व अन्य भारी मशीनें खरीदने के लिए भूमि की जमानत पर ऋण देने के लिए एक 'राज्य कृषि साख सहायता व गारटी कोष' की स्थापना की योजना भी द्वितीय पच-वर्षीय योजना में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त एक 'राज्य सहकारी विकास कोष' की स्थापना की भी योजना है।

राज्य की विभिन्न सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजस्थान के २६ जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना की योजना है। ऐसे बैंक जयपुर, सीकर, जोधपुर, पाली, गगानगर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, कोटा, बासवाडा आदि में स्थित हैं। यहा यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार (१७ अक्टूबर) १९५३ में 'राजस्थान शीर्ष बैंक' की स्थापना जयपुर में कर चुकी है। इस बैंक की अधिकृत पूंजी २० लाख रुपये है जिसकी वर्तमान चुकती पूजी १०,११,८२० रुपये हो गई है जिसमें

५ लाख रुपये के हिस्से राज्य सरकार ने खरीदे हैं। साथ ही बैंक के लिए निःशुल्क भवन प्रदान किया है। रिजर्व बैंक ने इस बैंक को २५ लाख रुपये तक अग्रिम देना स्वीकार कर लिया है।

भूमि बन्धक विधेयक भी राज्य विधान सभा में स्वीकृत कर लिया गया है, अतः अब दीर्घ कालीन ऋण दिये जाने के लिए एक भूमि-बन्धक बैंक की स्थापना की जा रही है। इस बैंक में पांच लाख रुपये के हिस्से राज्य सरकार द्वारा खरीदे जा रहे हैं। इस बैंक द्वारा भूमि रहन रख कर ५ वर्ष में लगभग १ करोड़ रुपया दीर्घ-कालीन ऋण, नये कुएं खुदवाने, कुओं में पम्प आदि लगवाने व कृषि के कीमती यंत्र आदि खरीदने के लिए दिया जायगा जो १० से १५ वर्ष की अवधि में चुकाया जायगा।

इनके अतिरिक्त यहां सहकारी कृषि, गृह-निर्माण, समाज-कल्याण व कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए विविध सहकारी समितियों के संगठन का काम भी तेजी से बढ़ रहा है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता विकास एवं विस्तार के कार्य को सफल बनाने और सामुदायिक योजना व राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंडों के विस्तार के साथ-साथ सहकारी आन्दोलन को राजस्थान के गांव गांव में पहुँचाने एवं अधिकाधिक जनता को सहकारिता क्षेत्र में लाने का पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है। फलस्वरूप आशा है कि राजस्थान में भी कृषि, कुटीर व छोटे उद्योगों का विकास सहकारिता के आधार पर होने व सहकारी विक्रय व्यवस्था से मध्यवर्ती शोषण और आर्थिक असमानता की समाप्ति होने एवं वास्तविक सुख-समृद्धि की स्थापना होने का मार्ग प्रशस्त होगा जिससे सर्व साधारण का जीवन-स्तर निस्सन्देह उच्च बनेगा।

राजस्थान सरकार राज्य में सहकारिता की प्रगति के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील है। सहकारिता के विकास के साथ ही राज्य की समृद्धि निहित है। आशा है कि सन् १९७५ तक सम्पूर्ण राज्य सहकारिता के क्षेत्र में आ जावेगा।*

---

* श्री कैलाश बहादुर सक्सेना द्वारा लिखित एवं लोकवाणी विशेषांक में प्रकाशित 'राजस्थान में सहकारिता' लेख पर आधारित।

अध्याय : अठारह

राजस्थान में बैंकिंग विकास*

किसी भी देश के आर्थिक कलेवर में बैंकों का महत्व ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार शरीर में रक्त का। औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र में बैंको ने जो योग दिया है, उसकी उपेक्षा नही की जा सकती है। प्रत्येक प्रगतिशील देश में बैंक पाये जाते हैं। भारत में सन् १८६० में सीमित दायित्व का विधान स्वीकृत होने के पश्चात् सीमित दायित्व के आधार पर विदेशियो ने हमारे देश में अनेक बैंको की स्थापना की, जो असफल रहे। सन् १८८१ में भारतीय पूंजी से भारतीयो द्वारा सचालित सर्वप्रथम बैंक की स्थापना 'अवध कामर्शियल बैंक' के नाम से हुई तथा सन् १८८४ में लाला हरकिशनलाल के प्रयत्नो से 'पजाब नेशनल बैंक' की स्थापना हुई। धीरे-धीरे देश में अनेक बैंको की स्थापना हुई।

राजस्थान औद्योगिक तथा व्यवसायिक दृष्टि से पिछड़ा रहा है किन्तु इसने अनेक उद्योगपतियो व व्यवसायियो को जन्म दिया है, जो केवल भारत में ही नही वरन् विश्व में विख्यात हैं। राजस्थान में आधुनिक ढङ्ग के बैंको का विकास गत पैंतीस वर्षों में ही हुआ है। इसके पूर्व यहा देशी बैंकरो व महाजनों का ही एकाधिकार था। देशी बैंकर ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों में उद्योग, व्यापार तथा कृषि को सुविधा प्रदान करते हैं व कुछ महाजन रुपये के लेन-देन के साथ ही अपना निजी व्यापार भी करते हैं। इनका कार्य-क्षेत्र प्रायः एक गाव तक ही सीमित रहता है। महाजनो का आज भी राजस्थान के अधिकाश गावो में एकाधिकार है।

राजस्थान में आधुनिक बैंकों का प्रादुर्भाव

राजस्थान में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से कार्य करने वाले बैंको का विकास पुराना नही है। यद्यपि भारत में सन् १८६० से प्रेसिडेंसी बैंको की

---

* श्री कैलाश बहादुर सक्सेना द्वारा लिखित लेख के आधार पर

स्थापना के साथ बैंकों का विकास हुआ किन्तु राजस्थान में आधुनिक बैंकों का विकास पिछले ३५ वर्षों में ही हुआ है। सन् १६२२ में सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने साभर में अपनी एक शाखा की स्थापना की। यह राजस्थान में प्रथम आधुनिक बैंक था। इसके पश्चात् इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया (वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया) ने जोधपुर, जयपुर, अलवर और साभर में अपनी शाखाओ की स्थापना की। पीपिल्स बैंक ऑफ नार्दन इण्डिया ने भी अपनी एक शाखा बूंदी में स्थापित की, जो थोड़े समय के पश्चात् ही कार्य के अभाव में बन्द हो गई।

स्थापना—इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान में बैंकिंग सस्थाओ का पूर्णतः अभाव ही था। व्यापारियो आदि को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सन् १६३० में बीकानेर के भूतपूर्व नरेश सर गङ्गासिंहजी का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और उनके प्रयत्नो से बीकानेर सेविंग बैंक की स्थापना की गई तथा तत्कालीन बीकानेर-सरकार ने निक्षेपो (Deposits) तथा इसकी पूजी की सुरक्षा की गारन्टी भी दी। इसके साथ ही अन्य छोटी-छोटी रियासतो में भी छोटे-छोटे बैंक स्थापित किए गये। झालावाड, बूंदी, डूंगरपुर, शाहपुरा, बासवाड़ा रियासतो में भी क्रमशः झालावाड स्टेट बैंक, बूंदी स्टेट बैंक, रामचन्द्र लक्ष्मण बैंक, शाहपुरा स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बासवाडा के नाम से बैंक स्थापित हुए। इनमें झालावाड, बूंदी, डूंगरपुर और शाहपुरा के बैंक सन् १६५१ में बैंक ऑफ बीकानेर में मिला लिए गये और बासवाड़ा का बैंक सन् १६५३ में सहकारी बैंक के रूप मे परिवर्तित हो गया।

द्वितीय विश्व युद्ध काल—द्वितीय विश्व युद्ध काल राजस्थान में बैंकिंग विकास के लिए चिरस्मरणीय रहेगा। जयपुर, बीकानेर व उदयपुर की तत्कालीन रियासतों के शासको ने बैंको के महत्व को समझा तथा अपनी रियासतों के पूंजीपतियों को बैंक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बैंक की अश-पूंजी में योग देने तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने का आश्वासन दिया। इसका वाछित फल हुआ और सन् १६४३ में जयपुर व उदयपुर में 'बैंक ऑफ जयपुर' तथा 'बैंक ऑफ राजस्थान' के नाम से क्रमशः इन बैंको की स्थापना हुई। इसके पश्चात् लगभग एक वर्ष की अवधि में ही

बीकानेर में 'बैंक ऑफ बीकानेर' के नाम से एक बैंक स्थापित किया गया। सन् १६४६ में 'बीकानेर सेविंग्स बैंक' का इसकी समस्त शाखाओं सहित बैंक ऑफ बीकानेर में विलय हो गया। जोधपुर सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान नही दिया परन्तु वहा भी श्री नारायणलाल पित्ती के निजी प्रयत्न से 'जोधपुर कमर्शियल बैंक' की स्थापना हुई।

राजस्थान के इन बैंकों ने विभिन्न भागो में अपनी शाखाए स्थापित की। बैंक ऑफ बीकानेर व बैंक ऑफ जयपुर ने भारत के प्रमुख औद्योगिक व व्यवसायिक नगरों में भी अपनी शाखाएं स्थापित करदी हैं जो सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं, किन्तु बैंक ऑफ राजस्थान ने अपना कार्य क्षेत्र केवल राजस्थान तक ही सीमित रखा है। इस समय राजस्थान की उत्पत्ति के बैंको की इस राज्य में शाखाओं की सख्या इस प्रकार है :—

बैंक का नाम	प्रधान कार्यालय	राजस्थान में शाखाए	राजस्थान के बाहर शाखाएं	कुल
बैंक ऑफ बीकानेर	बीकानेर	३०	१६	४६
बैंक ऑफ जयपुर	जयपुर	२४	१७	४१
बैंक ऑफ राजस्थान	उदयपुर	२७	३	३०
जोधपुर कामर्शियल	जोधपुर	६	६	१२
		८७	४५	१३२

राजस्थान के महत्व को बढ़ते हुए व यहा औद्योगिक और व्यवसायिक प्रगति को देख कर भारत के अन्य बैंक भी हमारे राज्य की ओर आकर्षित हुए तथा राजस्थान के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं स्थापित करना आरम्भ कर दिया। इसके विषय में नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा :—

बैंक का नाम	प्रधान कार्यालय	राजस्थान में शाखाएं
पजाब नेशनल बैंक	देहली	१६
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	बंबई	६
यूनाइटेड कामर्शियल बैंक	कलकत्ता	८

बैंक का नाम	प्रधान कार्यालय	राजस्थान में शाखाएं
हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक	कानपुर	१
सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	बम्बई	१
बैंक ऑफ बड़ौदा	कलकत्ता	२
हिन्दुस्तान मर्केन्टाइल बैंक	कलकत्ता	१

उपरोक्त सभी बैंकों* की समस्त बैंकों के पास ३१ दिसम्बर १९५४ को अन्त होने वाले वर्ष में कुल मिलाकर १८.९४ करोड़ रुपये के लगभग जमा थे जो कि भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति के हिसाब से बहुत कम है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है—

		प्रति व्यक्ति जमा
बंगाल	....	रु० ८२.०० न. पै.
बम्बई	...	रु० ८१.३० न. पै.
राजस्थान	....	रु० १२.४० न. पै.

इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय स्तर से यदि विचार किया जाय तो भी राजस्थान में प्रति व्यक्ति जमा कम है, क्योंकि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति की औसत जमा लगभग रु० २५-११-१ है। इसी प्रकार बैंको द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण की भी प्रति व्यक्ति मात्रा रु० ८-११-२ है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया द्वारा राजस्थान सरकार को दी गई राशि भी सम्मिलित है। यदि राजस्थान सरकार को दिए गए अग्रिम राशि को निकाल दे तो प्रति व्यक्ति अग्रिम व ऋण की राशि लगभग ३ रुपये प्रति व्यक्ति ही रह जाती है। राजस्थान में लगभग १,३५,३१० व्यक्तियो के लिए एक ही बैंक कार्यालय है। इन तथ्यो से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान में अभी बैंकिंग का पर्याप्त विकास नही हुआ है।

सहकारी बैंक

राजस्थान के बैंकिंग क्षेत्र में सहकारी बैंक भी अपना अस्तित्व रखते हैं,

* लेखक विभिन्न बैंको के प्रति कृतज्ञ है जिन्होंने अपने अपने बैंकों की शाखाओ से सम्बन्धित आकड़े प्रेषित किए।

परन्तु अखिल भारतीय स्तर की तुलना में इनका भी यहाँ पर्याप्त विकास नही हुआ है। राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का श्रीगणेश सन् १९१५ में हुआ। पहला सहकारी बैंक सन् १९१७ में 'कोटा राज्य सहकारी बैंक' के नाम से कोटा में स्थापित किया गया था। राजस्थान में इस समय आठ सहकारी बैंक है जिनकी प्रदत्त पूंजी ३१ दिसम्बर १९५४ को इस प्रकार थी :—

		प्रदत्त पूंजी (रुपयों में)
कोटा	...	६,६७,४८३
बासवाड़ा	...	१,७३,८४१
जोधपुर	...	३२,२००
जयपुर	...	३६,५५०
गङ्गानगर	...	९९,१३३
भीलवाड़ा	...	१४,५७०
अलवर	...	७४,१९९
भरतपुर	..	२,१९,६९४

भारत में, गोरावाला कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कृषक लोग अपनी आर्थिक आवश्यकताओ का लगभग ३ प्रतिशत सहकारी साख समितियो एवं सहकारी बैंको से प्राप्त करते हैं* परन्तु राजस्थान में यह प्रतिशत १ से भी कम है। दूसरे शब्दो में भारत में प्रति व्यक्ति सहकारी बैंकों से लगभग ५ रुपया औसत रूप से उधार लेता है जबकि राजस्थान मे यह औसत केवल १० आना प्रति व्यक्ति है।

उपसंहार

उपरोक्त विवरण के आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि राजस्थान में बैंकिंग का विकास अपर्याप्त हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में भी यहा बैंकिंग विकास का पर्याप्त क्षेत्र है। राजस्थान बैंकिंग में एक त्रुटि यह रही है कि बैंकों ने अपना ध्यान नगरो तथा उप-नगरों तक ही विशेष रूप से केन्द्रित

* All India Rural Credit Survey Committee Report (ed. 1954) vol. II, P. 167

रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि उनको हमेशा आपस में प्रतिस्पर्धा करती रहनी पड़ी। इन बैंकों को चाहिए कि अपना ध्यान ग्रामीण-क्षेत्रों में भी आकर्षित करें तथा ऐसे स्थानों पर शाखाएं स्थापित करें जहां बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं। आरम्भ में कुछ शाखाएं तो हानि में ही चलेंगी, परन्तु जब मनुष्यों में बैंकिंग आदतों का विकास हो जावेगा तो हानि देने वाली शाखाएं भी लाभ देने लगेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विकास के लिए यह परामर्श है कि दो-दो अथवा तीन-तीन ग्रामों के क्षेत्र में छोटे कार्यालय स्थापित किए जाने चाहिए जिनमें प्रत्येक समूह के लिए एक अथवा दो कर्मचारी नियुक्त कर दिये जावें जो सप्ताह के दिनों में अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कार्यालय को ३ दिन खोलें। ऐसा करने से लोगों में बैंकिंग की आदत का विकास होगा और आरम्भ में कार्य कम होने के कारण एक या दो कर्मचारी कार्य को सम्भाल लेंगे तथा व्यय भी अधिक नहीं होगा। ये कर्मचारी अपने क्षेत्र के कार्यालयों की नियमित रूप से रिपोर्ट भेजते रहें तथा समय-समय पर इनका निरीक्षण किया जाता रहे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में बैंक के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए उचित प्रचार भी करना चाहिए।

अन्त में इस ओर भी संकेत कर देना आवश्यक है कि राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र में भी प्रगति होना अनिवार्य है, जिसके फलस्वरूप बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ेगी ही। अतः राजस्थान में बैंकिंग विकास का भविष्य उज्ज्वल एवं लाभप्रद है।

अध्याय : उन्नीस

राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन*

(आलोचनात्मक अध्ययन)

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् उद्योगो को सहायता के हेतु औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन अथवा इसी के समान सस्थाओं की स्थापना की विश्व के देशों में एक लहर फैल गई। भारत भी इस लहर की लपेट से मुक्त न रह सका। इ गलैंड में सर ए डरसन तथा डॉक्टर डाल्टन के प्रयत्नो के फलस्वरूप छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगो की आर्थिक सहायता के उद्देश्य से जुलाई १६४५ मे वहा 'औद्योगिक एव व्यापारिक वित्त कॉरपोरेशन' की स्थापना की गई। साथ ही बड़े उद्योगों की आर्थिक सहायता के लिए उस ही वर्ष वहा फाइनेंस फॉर इन्डस्ट्री लि० की स्थापना की गई। फ्रास तथा जर्मनी में बैंकिंग सस्थाएं उद्योगों की आर्थिक सहायता करती हैं। सन् १६४६ में जर्मन पुनर्निर्माण ऋण कारपोरेशन की स्थापना पश्चिमी जर्मनी में की गई है। कनाडा में बैंक ऑफ कनाडा ने अपने अन्तर्गत उद्योगों की आर्थिक सहायता के उद्देश्य से इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ कनाडा की स्थापना की है।

आरम्भिक—भारत में उद्योगों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता पर्याप्त समय से प्रतीत हो रही है। हमारे देश में उद्योगों को आर्थिक सहायता पहुँचाने वाली संस्थाओं का अभाव हो रहा है। औद्योगिक आयोग १६१६ तथा बैंकिंग जाच कमेटी १६२६ ने अखिल भारतीय औद्योगिक कॉरपोरेशन की स्थापना के लिए परामर्श दिया था। ६ नवम्बर १६४६ को भारत के तत्कालीन वित्त मत्री श्री लियाकत अली खा ने भारतीय औद्योगिक कॉरपारेशन की स्थापना के लिए विधान सभा मे एक बिल प्रस्तुत किया जो फरवरी १६४८ में

---

* श्री कैलाश बहादुर सक्सेना द्वारा लिखित 'राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन' एव 'सम्पदा' (देहली) में प्रकाशित लेख पर आधारित।

स्वीकृत हो गया व जिस पर २७ मार्च १९४८ को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। १ जुलाई १९४८ को भारतीय वित्त कॉरपोरेशन—१० करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ जो पाच-पाच हजार रुपये के २० हजार अंशो में विभक्त हैं—स्थापित हो गया। इसकी प्रदत्त पूंजी केवल ५ करोड़ रुपये ही है।

सितम्बर १९५१ में 'राज्य वित्तीय कॉरपोरेशन विधान' स्वीकृत किया गया। जिसके अनुसार राज्यों को भी कॉरपोरेशन स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। राज्य के कारपोरेशन केवल उन्हीं उद्योगों को वित्तीय सहायता दे सकते हैं जो केन्द्रीय कारपोरेशन से सहायता पाने के अधिकारी नहीं हैं। इस समय भारत के अनेक राज्यो में 'राज्य वित्त कारपोरेशन' स्थापित हो चुके हैं।

राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहा औद्योगिक विकास का विस्तृत क्षेत्र है। श्री केशवदेव जालान ने भी जोधपुर में 'राजस्थान व्यापार उद्योग सम्मेलन' के सभापति के पद से भाषण देते हुए बतलाया कि राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए अन्य कठिनाइयों के अतिरिक्त सबसे बड़ी आवश्यकता पूंजी और सरकार के सहयोग की है।

स्थापना एवं पूंजी

राज्य-वित्तीय-कॉरपोरेशन-विधान (State Financial Corporations Act) १९५१ की धारा ३ (१) के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने अधिसूचना सख्या एफ ३६ (१) सी एन्ड आई। ५५ दिनाक १७ जनवरी १९५५ द्वारा राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना कर दी है। इसका प्रधान कार्यालय राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। इसका उद्घाटन तत्कालीन केन्द्रीय वित्त वाणिज्य मन्त्री श्री कृष्णमाचारी द्वारा ८ अप्रैल १९५५ को जयपुर में किया गया था। राजस्थान सरकार ने इस कॉरपोरेशन की अधिकृत पूंजी (Authorised Capital) दो करोड रुपये रखी है जो १००—१०० रुपये के पूर्ण-प्रदत्त (Fully paid up) दो लाख अशो में विभक्त है। यहा यह उल्लेखनीय है कि राज्य-वित्तीय-कॉरपोरेशन विधान की धारा ४ के अनुसार किसी भी राज्य कॉरपोरेशन की अधिकृत पूंजी ५ करोड़ रुपये से अधिक व ५० लाख

रुपये से कम नहीं हो सकती है। इस कॉरपोरेशन ने अभी एक लाख अश ही निर्गमन किये है, जिनका वितरण इस प्रकार किया गया[*] —

१. राजस्थान सरकार	....३६,००० अश
२. रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया	...... १५,००० अंश
३. अनुसूचित बैंक, बीमा कम्पनिया, अनुसूचित विनियोग ट्रस्ट, सहकारी बैंक, तथा अन्य आर्थिक सस्थाए	.......४४,००० अश
४. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति तथा सस्थाए	........५,००० अश
योग	१,००,००० अश

राजस्थान सरकार एव रिजर्व बैंक ने अपने भाग के अंश लेना स्वीकार कर लिया है तथा शेष ४९ हजार अशों के निर्धारित वर्गों के जितने अशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त नही होंगे उन्हें अभी राजस्थान सरकार खरीद लेगी, जिन्हे यदि सरकार चाहे तो बाद में उस ही वर्ग द्वारा माग होने पर पुनः विक्रय कर सकती है। २५ अथवा उससे गुणित संख्या के अशों के लिए केवल एक प्रमाण पत्र दिया जाता है तथा शेष अशों के लिए एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र दिया जाता है।

इस समय इस कॉरपोरेशन के अंश-धारियों की संख्या एव अंशो का वितरण इस प्रकार है+।

	अशधारी की सख्या	अश जो उनके पास हैं
१ राजस्थान सरकार ..	१	३६,२००
२ रिजर्व बैंक ऑफ इ डिया	१	२१,०००

* Prospectus of Rajasthan Financial Corporation p. 2

+ Rajasthan Financial Corporation, Third Annual, Report, ending 31st March 1958 P. 6 से

	अंशधारी की संख्या	अंश जो उसके पास हैं
३. अनुसूचित बैंक	८	२६,८७०
४. सहकारी बैंक	१	३०
५. इ श्योरेंस कम्पनियाँ, विनियोग ट्रस्ट, व अन्य आर्थिक संस्थायें	१	११,२५०
६. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति एव संस्थायें	६७	४,६५०
योग	८४	१ लाख अंश

लाभांश-गारन्टी एव ब्याज दर—राजस्थान सरकार ने राज्य-वित्तीय-कॉरपोरेशन विधान की धारा ६ (१) के अन्तर्गत मूलधन तथा प्रति वर्ष ३½ प्रतिशत लाभाश की गारन्टी दी है तथा ३५ वीं धारा के अनुसार लाभाश की अधिकतम सीमा ५ प्रतिशत है। इस कॉरपोरेशन के अश भारतीय ट्रस्ट विधान १८८२ की धारा २०; बीमा विधान १६३८ और बैंकिंग विधान १६४६ के अतर्गत प्रतिभूति मान लिए गये हैं।

कॉरपोरेशन ६½ प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करता है। जो समय पर ब्याज व मूलधन की किश्त चुकाते हैं उनको यह कॉरपोरेशन ब्याज की दर में प्रतिशत की छूट देता है। इस प्रकार समय पर ब्याज व किश्त चुकाने वालो को ६ प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है।

ऋण की अवधि—यह कॉरपोरेशन अधिक से अधिक २० वर्षों के लिए ऋण दे सकता है। किन्तु व्यवहार में देखा गया है कि १० वर्ष से १२ अथवा १५ वर्षों के लिए ही ऋण दिये जा रहे हैं। यह कॉरपोरेशन राज्य के मध्यम तथा लघु वर्ग के उद्योगों को ऋण दे सकता है।

प्रबन्ध—इस कॉरपोरेशन का प्रबन्ध सचालक-मण्डल (Board of Directors) द्वारा होता है जिनमें १० सदस्य हैं इनकी नियुक्ति इस प्रकार होती है—

३ सदस्य....राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
१ सदस्य....रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा मनोनीत
१ सदस्य...भारत के औद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन द्वारा मनोनीत
१ सदस्य. अनुसूचित, बैंको का प्रतिनिधि चुनाव द्वारा
१ सदस्य . बीमा कम्पनी, विनियोग ट्रस्ट आदि का प्रतिनिधि, चुनाव द्वारा
१ सदस्य.. सहकारी बैंको का प्रतिनिधि चुनाव द्वारा
१ सदस्य . अन्य अंशधारियों में से चुनाव द्वारा
१ प्रबन्ध-सचालक .. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त

योग १०

कॉरपोरेशन के प्रथम चेयरमैन के पद के लिए भारत के प्रमुख उद्योग-पति श्री रामनाथ पोद्दार को चुना गया था। वे अभी भी इसके चेयरमैन हैं। श्री एस बी एल. भार्गव इसके प्रथम प्रबन्ध सचालक थे। राजस्थान सरकार ने इनका कार्यकाल १ मार्च १९५७ से चार वर्ष के लिए (सन् १९६१ तक के लिए) और बढा दिया है।

कार्य-प्रगति*—इस कॉरपोरेशन ने वित्तीय वर्ष १९५५-५६ से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

गत तीन वर्षों (१९५५-५६ से १९५७-५८) में इस कारपोरेशन ने २६ आवेदन-पत्रो पर ६१.६६ लाख रुपये ऋण देने की अनुमति प्रदान की जिनमें से २ आवेदन-पत्र बाद में रद्द कर दिये गये। इस अवधि में कुल १३ आवेदन-पत्रो को ३५ २२ लाख रुपये का वास्तव में ऋण दिया गया।

१९५७-५८ के वर्ष में ऋण के लिए १२ आवेदन-पत्र आये, १८ आवेदन-पत्र गत वर्ष के विचाराधीन थे। इस प्रकार इस वर्ष (१९५७-५८) निपटाने के लिए कुल ३० आवेदन पत्र थे इनमें से ९ आवेदन-पत्रों

* Third Annual Report of Rajasthan Financial Corporation P. 7–8

को स्वीकार कर लिया गया। गत तीन वर्षों के कार्य प्रगति की इस तालिका से स्पष्ट होगी—

	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	योग
			६१ ६६ लाख	
स्वीकार किए गये आवेदन पत्रों की सख्या ...	७	१०	९	२६
ऋण देना स्वीकार किया गया	७.२८ लाख	२३.०२ लाख	३१.३९ लाख	६१.६९
दिए गए ऋण की वास्तविक राशि ...	१ ८५ लाख	७.३२ लाख	२६.०५ लाख	३५.२२

सबसे अधिक ऋण शक्कर के कारखानों को व कपड़े की मिलों को दिए गए हैं। खनिज, विद्युत, रसायनिक, इञ्जिनीयरिंग व धातु के कारखानों का बाद में क्रमशः स्थान आता है।

आलोचनायें एवं सुझाव

राजस्थान में वित्त कारपोरेशन की स्थापना से राज्य के मध्यम एवं लघु वर्ग के उद्योगों की आर्थिक आवश्यकताओ की पूर्ति हो जावेगी—ऐसी आशा की जा रही है। इस आशा की सफलता में सन्देह प्रतीत होता है क्योंकि राजस्थान में केवल वर्तमान उद्योगों के विकास के लिए ही नहीं वरन् नवीन उद्योगों की स्थापना एव विकास के लिए भी विस्तृत क्षेत्र है और राज्य के मध्यम तथा लघु उद्योगो की आर्थिक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए इस कारपोरेशन की अधिकृत पूजी दो करोड़ रुपये है, जबकि राज्य वित्तीय कारपोरेशन विधान १९५६ की धारा ४ (१) में ऐसे कारपोरेशन की अधिकृत पूंजी ५ करोड रुपये तक रखी जा सकती है।

वित्त कारपोरेशन द्वारा उद्योगो को सहायता देने की प्रणाली को देखते हुए, राजस्थान के उद्योगपति भी इस कारपोरेशन की स्थापना का अधिक स्वागत नहीं कर सकते। इसके प्रमुख कारण ये हैं। प्रथम तो ऋण देने की

इनकी दोषमय प्रणाली है अतः उद्योग को आवश्यक आर्थिक ऋण प्राप्त करने में पर्याप्त समय लग जाता है। इस अत्यधिक विलम्ब के कारण जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण लिया जाता है, वह ऋण समय पर न मिलने के कारण बाद में प्रायः उस ऋण-राशि का उपयुक्त उपयोग नही हो पाता है, क्योकि इस विलम्ब के कारण आवेदन-पत्र देने तथा ऋण की राशि प्राप्त होने तक परिस्थितियो में परिवर्तन हो सकता है।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मूलधन की गारन्टी दिए जाने के कारण ऋण देने में अनावश्यक अत्यधिक छानबीन एव सतर्कता दिखाई जाती है। इसमें सन्देह नही कि ऋण देने में सतर्कता अवश्य ही रखनी चाहिए, विशेषतः उस समय जबकि राज्य सरकार ने पूजी की गारन्टी दी है, परन्तु चरम सीमा की सतर्कता भी वाछनीय नही है, क्योकि इसमे उद्योगपति हतोत्साह ही होगे और कारपोरेशन का उद्देश्य सफल न हो सकेगा। तत्कालीन वित्त मत्री श्री कृष्णामाचारी के इस सम्बन्ध में, इन व्यगात्मक शब्दो ने इसे और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है "अन्य राज्यो के वित्त कारपोरेशन द्वारा भी इतनी अधिक छानबीन एव सतर्कता से कार्य लेने का फल यह हुआ कि रुपया डूबा नही, इस कारण नही कि उन्होने अत्यन्त सतर्कता से ऋण दिए, वरन् इस कारण कि उन्होने ऋण ही नही दिए।" जिस उद्देश्य से वित्तीय-कारपोरेशन स्थापित किया जाता है, वह पूरा ही नहीं होता है, अत आवश्यकता इस बात की स्पष्ट प्रतीत होती है कि राज्य वित्तीय विधान मे आवश्यक सुधार एव परिवर्तन किए जाने चाहिए जिनसे कि ये वित्तीय कारपोरेशन वास्तव में उद्योगों की सहायता करके देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में सहायता करे।

जब तक कि ऋण देने की प्रणाली में आवश्यक सुधार नहीं किए जावेगे राजस्थान सरकार के लिए ३॥ प्रतिशत लाभाश की गारन्टी एक बोझा ही रहेगा।

भारतीय औद्योगिक वित्त कारपोरेशन पर ऋण देने में पक्षपात की नीति अपनाने का आरोप लगाया जाता है, अतः राजस्थान वित्त कारपोरेशन के प्रबन्धकों को इस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए जिससे इस प्रकार के दोषों का समावेश न होने पावे।

ब्याज की दर के विषय में भी हमारे राज्य के कारपोरेशन को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। ब्याज की दर, जैसे कि अन्य कारपोरेशन के विरुद्ध आक्षेप आते हैं, अधिक ऊँची नही रखनी चाहिए।

अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के वित्तीय कारपोरेशन बड़े उत्साह एव आशाओं से स्थापित किए गये थे, परन्तु जैसा कि तत्कालीन केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री ने बतलाया कि वे सभी सन्तोषजनक कार्य नही कर रहे हैं। हमारे यहा भी उत्साह तो कम प्रतीत नही हुआ, किन्तु भविष्य के विषय में तो समय ही बतलावेगा।

अध्याय : बीस

राजस्थान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना

(संक्षिप्त परिचय)

जिस समय देश की प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनी उस समय राजस्थान अनेक उलझनों में फंसा हुआ था। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या राज्य की भूतपूर्व रियासती इकाइयों के प्रशासकीय एकीकरण की थी। दूसरी प्रमुख समस्या वित्तीय सतुलन की थी, क्योंकि एकीकरण के पूर्व लगभग प्रत्येक रियासत के बजट में घाटा ही घाटा था। राज्य में विधि व व्यवस्था की स्थिति को सम्हालने की समस्या भी सामने थी। अतः जब भारत के अन्य राज्य प्रथम योजना को क्रियान्वित करने में तत्पर थे, राजस्थान अपनी आन्तरिक समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त था। इन सब कठिनाइयों के कारण प्रथम योजना के अन्तर्गत जैसी प्रगति चाहिए थी वैसी न की जा सकी।

प्रथम योजना*—यद्यपि राज्य की प्रथम योजना की कुल निधि सन् १९५१-५२ में केवल १५.२६ करोड की स्वीकृत हुई थी किन्तु ज्यों ज्यों विकास कार्य बढता गया, यह निधि बढती हुई। प्रथम पचवर्षीय योजना की समाप्ति पर राज्य की योजना पर कुल २५.४६ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई। प्रत्येक निधि में केन्द्र द्वारा राज्य में सचालित योजनाओं की विधि सम्मिलित नहीं है। यह निधि ३५.०२ करोड की है। इस प्रकार, प्रथम पचवर्षीय योजना में कुल आयोजन ६०.४८ करोड का हुआ। केन्द्र की अधिकाश विधि भाखरा और चबल योजनाओं को कार्यान्वित करने में ही लगी। विशेष ध्यान कृषि, सिंचाई और जनस्वास्थ्य की योजनाओं पर दिया गया।

द्वितीय योजना—अप्रेल १, १९५६ से राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित हो रही है। इसके अन्तर्गत ९७.४० करोड रुपये की निधि सुरक्षित रखी गई है। यह निधि अजमेर जिले के लिए सुरक्षित ९८७.०२ लाख की निधि से अलग है। इस प्रकार अजमेर जिले को सम्मिलित करते हुए

* सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित 'विकासोन्मुख राजस्थान', पृष्ठ ५-६.

द्वितीय-पंचवर्षीय योजना १०५२७.२६ लाख (१०५.२७ करोड़) रुपये की है। नीचे राजस्थान राज्य की (अजमेर जिले को सम्मिलित नहीं करते हुए) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न मदों पर जो राशि व्यय किये जाने के लिए निश्चय किया गया है वह नीचे की तालिक से स्पष्ट है—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (अजमेर रहित)

मद	निर्धारित धनराशि (लाख रुपये)	योग (लाख रुपये)	कुल योग (लाख रु०)
१. कृषि कार्यक्रम			
(क) कृषि उत्पादन......	३६६.६०		
छोटी सिंचाई परियोजनाएँ	२३०.००		
भूमि विकास (मिट्टी संरक्षण के अतिरिक्त)	३०.००		
कुल योग कृषि पर	...	६२६.६०	
(ख) पशुपालन	१६२ ००		
कुल पशुपालन	. ...	१६२.००	
(ग) वन	१२०.००		
मिट्टी सरक्षण . .	५४ ००		
कुल वन	. ....	१७४.००	
(घ) मछली उद्योग ...	९ ००		
कुल मछली उद्योग	.	९.००	
(ङ) सहकारिता	१५५ ००		
कुल सहकारिता ...		१५५ ००	
(च) अन्य	५.००	५ ००	
कुल कृषि कार्यक्रम पर	..	. ..	११२५.१०
२. राष्ट्रीय विस्तार .	६४६ ००	६४६.००	६४६ ००
३. सिंचाई और विद्युत शक्ति			
(क) बहुउद्देशीय परियोजनाएँ	२९११ ००		
(ख) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	१०३७ ००		
(ग) विद्युत-शक्ति परियोजनाएं	४०२ ००	४३५०.००	
कुल व्यय			४३५०.००

४. उद्योग और खनिज—			
(क) खनिज विकास विभाग का	५ ००		
पुनर्गठन यत्रो की खरीद	१४.२५		
कुल व्यय		१९ २५	
(ख) बड़े और मध्यम उद्योग ..	३५.१५		
(ग) ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	५००.००	५३५.१५	
कुल व्यय उद्योग व खनिज....	..	....	५५४.४०
५ परिवहन एवं सचार— सडकें	८९९.००		८९९.००
६. समाज सेवाएं—			
(क) शिक्षा	९०० ००		
(ख) गृह निर्माण	२३५ ००		
(ग) स्वास्थ्य	६४०.००		
(घ) पिछडी जातियों का कल्याण	२००.००		
(ङ) समाज कल्याण	३९.७४		
(च) श्रम और श्रम कल्याण	४४.७०		
कुल व्यय समाज सेवाओं पर ..	...	.	२०५९.४४
७ विविध—			
(क) प्रचार और सूचना	३६.००		
(ख) मण्डियों का विकास आदि	६० ००		
कुल विविध पर ..	.	....	९६.००
८ अनिर्धारित			२६
कुल योग...	....	...	६७४०.२०

सक्षेप में, उपरोक्त तालिका को इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना अजमेर सहित

मद	योजना व्यय १९५६–६१	कुल का प्रतिशत
१. कृषि	४१९.३८	४.१
२. भूमि विकास	३२.५०	०.३
३. पशु पालन	१८८.००	१.८
४. सहकारिता	१६४.००	१.६
५. वन	१८२.००	१ ७
६. मछली	९.००	०.१
७. राष्ट्रीय विस्तार	६७८ ५०	६ ४
८. सिंचाई	२८१३ २८	२६.७
९. शक्ति	१९९९ ५१	१८.९
१०. सड़कें	९४१.२०	८ ९
११. उद्योग	५६८ २५	५.३
१२. खनिज विकास	४०.०५	०.४
१३. शिक्षा	१०६६ २५	१०.१
१४. स्वास्थ्य	३९५ ४६	३.७
१५. जल वितरण	३४३ ९६	३.३
१६. गृह निर्माण	२६३.५०	२.५
१७. श्रम व श्रम कल्याण	५१ ७०	० ५
१८. पिछड़ी जाति का कल्याण	२७१.०३	२.६
१९. प्रचार व सूचना	४० ९९	०.४
२०. मंडियों का विकास	५०.००	० ५
२१. अंक परिकलन	१० ००	०.१
२२. अनिर्धारित	०.३०	०.१
योग...	१०५२७.२६	१००

योजना का विश्लेषण

राजस्थान की द्वितीय पचवर्षीय योजना, प्रथम योजना से लगभग पाच गुनी होते हुए भी राज्य की अत्यधिक आवश्यक मागो की ही पूर्ति कर सकेगी। योजना के प्रमुख मदों के विषय में नीचे स्पष्टीकरण किया गया है।

कृषि कार्यक्रम—प्रथम पच-वर्षीय योजना की भाति ही द्वितीय योजना में भी राज्य की परिस्थितियो एव आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए कृषि एव सिंचाई के साधनो में उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। राज्य में विभिन्न सिंचाई योजनाओ के पूरा होने के फलस्वरूप तथा खाद्योत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम के कारण यह प्रदेश, जो खाद्यान्न के मामले में अन्य राज्यों पर निर्भर रहता था, न केवल स्वावलम्बी बन गया है, किन्तु साथ में अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने लग गया है। प्रथम पचवर्षीय योजना के २ लाख टन के लक्ष्य के स्थान पर राजस्थान ३.३ लाख टन अन्न का उत्पादन करने लगा।

द्वितीय पचवर्षीय योजना में इस ओर पुनः विशेष ध्यान दिया गया है। इसका प्रमुख कारण यही है कि इस राज्य की अर्थ-नीति कृषि प्रधान ही है एव राजस्थान की ८० प्रतिशत जनता का जीवन कृषि पर अवलम्बित है, और कृषि विकास के द्वारा ही राष्ट्रीय आय में ५० प्रतिशत वृद्धि सभव है। अतः योजना आयोग ने इस बात पर अत्यधिक जोर दिया है कि आगामी १० या १५ वर्ष में देश का उत्पादन दो गुना हो जावे। राजस्थान में द्वितीय योजना के अन्तर्गत ६ लाख टन अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य निश्चित किया गया है। उचित खाद, और उर्वरको के सतत प्रयोग तथा कृषि के नवीनतम साधनों के उपयोग से उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकेगी। जो अतिरिक्त उत्पादन लक्ष्य रखा गया है, वह निम्नलिखित है—

खाद्यान्न	.	६ लाख टन
कपास	...	१ लाख गाठ
गन्ना	.	२५ हजार टन
तिल आदि	....	१ लाख टन

मिट्टी सरक्षण योजना के अन्तर्गत लगभग ७५,००० एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य।

पशु पालन—इस मद के अन्तर्गत, द्वितीय योजना में अनुसधान, प्रशिक्षण और पशु-महामारी के समूल उन्छेदन की व्यवस्था है। ऊट और भेड़ों की नस्ल सुधारने पर भी विशेष ध्यान दिया जाने को है।

अन्य कार्यों में द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५० नए पशु अस्पताल, ४८ मुख्य ग्राम केन्द्र, ६ चल चिकित्सालय, २ गो-सदन, २० गौशालाए और ३ पशुओं के नस्ल सुधारने के क्षेत्रों की स्थापना मुख्य है। डेयरी योजना के अन्तर्गत जयपुर नगर म १५० मन दूध वितरण की व्यवस्था है, गावों में भी सहकारिता के आधार पर एक समिति का सगठन किया जावेगा जिससे १०० मन दूध और लगभग २०० मन घी प्रतिवर्ष मिल सकेगा।

अच्छे नस्ल के मुर्गे-मुर्गियों के लिए जयपुर मे एक कुक्कुट-गृह की स्थापना करने का निश्चय किया गया है।

लगभग २ लाख की धनराशि से राज्य के अनेक स्थानो पर प्रत्येक वर्ष पशु-प्रदर्शनी और मेले आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। ६ लाख रुपये की राशि मछली व्यवसाय के सुसगठित करने के लिए सुरक्षित की गई है।

वन—राजस्थान की उत्तर की भूमि वायु से और दक्षिण-पूर्व की भूमि चंबल, पारवती आदि नदियो के उद्वेग से प्रभावित है। राजस्थान के रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है और मानवीय प्रयत्नो से यह सभव है कि इसके प्रसार को रोका जा सके। इसके लिए वन लगाने है। भूमि सरक्षण की योजनाए बन चुकी है और कार्यान्वित की जा रही है। बहुत अधिक वन क्षेत्र जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत ठीक देख रेख न होने से नष्ट प्रायः हो चुके हैं। वनो में बबूल वृक्षो का रोपण बढाया जा रहा है। खस के उत्पादन का भी विकास किया जा रहा है। वन सम्पत्ति का भी परीक्षण किया जा रहा है और ऐसे १४ क्षेत्र चुन लिए गये है। वनो की स्थिति में सुधार होने से चरागाहो की स्थिति में भी सुधार होगा, यह निश्चित है।

सिंचाई—सिंचाई के लिए निश्चित राशि में से अधिकाश चम्बल व भाखरा योजनाओ को सम्पन्न करने में व्यय होगी, ऐसी आशा है। द्वितीय योजना की समाप्ति पर सिचाई का क्षेत्र सन् १९५६ के ३४.८ लाख एकड़ के स्थान पर ५२.५ लाख एकड़ तक बढ जावेगा। कृषि और ग्राम सुधार के साथ साथ सिचाई पर अत्यधिक जोर द्वितीय पचवर्षीय योजना में दिया गया है।

जयपुर, उदयपुर और कोटा डिवीजन की तथा आशिक बीकानेर डिवीजन के लोगो की सिंचाई की माग ही पूरी की जा सकेगी। सुदूर पश्चिम में बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में फिर भी बहुत अधिक प्यासी भूमि पड़ी रहेगी जिसको सिंचाई की सुविधा नही मिल सकेगी।

राज्य सरकार द्वारा सभी को सिचाई की समान सुविधाएँ दिलाने के लिए एक सिंचाई अधिनियम भी स्वीकृत कर दिया गया है। उचित छान बीन और अनुसंधान के लिए गवेषणा की व्यवस्था की गई है।

विद्युत—भाखरा नागल क्षेत्र से विद्युत् तथा चबल बाध के गाधी सागर बाध से राजस्थान विद्युत लाभ प्राप्त कर सकेगा। द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५००० की आबादी वाले गावो और कस्बों को बिजली दी जा सकेगी। व्यक्तिगत पूँजी से चलने वाले विद्युत केन्द्रो को भी, जो सस्ती बिजली नहीं दे सकते, राज्य द्वारा लेने की सभावना है। इसके लिए ४० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

उद्योग—राजस्थान ने कुटीर और लघु उद्योगो के विकास में अभी तक सतोषजनक प्रगति नही की है। इसके लिए धन के साथ ही साथ उचित प्रशिक्षण चाहिए। द्वितीय पच-वर्षीय योजना में दोनों की ही व्यवस्था की गई है।

कुटीर उद्योगों के विकास के लिए उत्पादन के साथ-साथ प्रशिक्षण के ३७ केन्द्र खोले जा रहे हैं। एक विशिष्ट औद्योगिक केन्द्र बड़े पैमाने पर जयपुर में खोल दिया गया हैं, एक केन्द्र की और स्थापना की भी व्यवस्था की गई है।

खनिज—राजस्थान में खनिज पदार्थों के विकास का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस दिशा में अभी बहुत अनुसधान की आवश्यकता है। द्वितीय पंच-वर्षीय

योजना में इसकी व्यवस्था की गई है। अभ्रक, घीया पत्थर, लोहा, सीसा, जस्ता आदि की खानों पर पहले से ही कार्य हो रहा है। अब अन्य-धातुओं व खनिजों की खोज भी प्रारम्भ हो गई है और इसके लिए अभी आवश्यक उपकरण जुटा दिए गये हैं। पलाना (बीकानेर) की कोयले की खान में उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनतम साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, भीलवाड़ा (उदयपुर) में अभ्रक की खानों तथा श्री कोलायतजी (बीकानेर) में विविध कार्यों में आने वाली उपयोगी मिट्टी की खानों के विकास की भी व्यवस्था की गई है।

संचार—द्वितीय पचवर्षीय योजना की समाप्ति तक राज्य के सभी जिले और तहसील के केन्द्र स्थान पक्की सड़कों से सम्बन्ध कर दिये जावेगे। प्रथम पचवर्षीय योजना में जो कार्य आरम्भ किये गये है, पहले उन्हे पूरा किया जावेगा। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण कस्बो, रेलवे स्टेशनो और खानो आदि तक जाने वाले मार्गों को बनाने का भी निश्चय किया है।

शिक्षा—इस दिशा में यह सोचा गया है कि राज्य के ६ से ११ वर्ष के ४५ प्रतिशत बालको को और ११ से १४ वर्ष के ३५ प्रतिशत बालको को सन् १९६१ तक शिक्षा की सुविधायें दी जा सके। सारे राज्य में बुनियादी शिक्षा के प्रसार का भी निश्चय किया गया है। ५,००० प्राथमिक पाठशालाएं, २,५०० बुनियादी स्कूल, २५० मिडिल स्कूल, ५० सैकन्डरी स्कूल, १ कालेज, १ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, २० टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल और दो उद्योग-धन्धो के स्कूल द्वितीय पचवर्षिय योजना में खोले जाने को हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए दो लाख रुपये की छात्रवृत्तिया देने की व्यवस्था की गई है। सामाजिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा के उचित प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की गई है। अन्धे और अपग बालकों की शिक्षा के लिए दो स्कूल खोले जावेगे। शारीरिक शिक्षा, एन. सी सी., स्काउटिंग और ललित कलाओ के विकास की भी व्यवस्था की गई है।

जन स्वास्थ्य—ऐसी व्यवस्था की गई है कि २००० की आबादी के प्रत्येक गाव को आधुनिक चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध हो। ५०० या इससे कम जनसख्या वाले गाव के लिए आयुर्वेदिक औषधालय की व्यवस्था की गई है।

द्वितीय पचवर्षीय योजना की समाप्ति तक प्रत्येक गाव में कम से कम पीने के पानी का एक अच्छा स्वास्थ्यप्रद कुआ होगा। मलेरिया और टी० बी० के रोकथाम के प्रयत्न पूर्ववत् चलते रहेगे। वर्तमान अस्पतालो की सुविधाओं में भी विकास किया गया है।

गृह-निर्माण—शहरो व गावो में मकानो की स्थिति सुधारने का प्रश्न एक समस्या बन गई है। प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, इस कारण, श्रमिकों और कम वेतन पाने वाले लोगो के लिए मकानादि बनाने की दो योजनायें चालू की गई। द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रमिक केन्द्रो में एक कमरे वाले १९६० व दो कमरे वाले ८०० मकान बनवाने की व्यवस्था की गई है। आशा है कि योजना काल में इस योजना के अन्तर्गत २५०० मकान बन सकेगे।

श्रम कल्याण—प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगभग ११ स्थानो (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भीलवाड़ा, पाली, अलवर, सवाई माधोपुर, गङ्गानगर आदि) में श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये। लाखेरी (बूदी) का श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित न किया जा सका जिसे द्वितीय पचवर्षीय योजना में स्थापित किया जा रहा है। द्वितीय योजना में आठ अन्य स्थानो पर श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित करने हैं। इस प्रकार ५०० अथवा इससे अधिक श्रमिको के कार्य स्थल पर एक-एक श्रम कल्याण केन्द्र हो जावेगा।

श्रमिको के बीमा कराने की योजना भी ७ स्थानो (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, लाखेरी, पाली, भीलवाड़ा और किशनगढ़) में लागू की जावेगी।

अध्याय : इक्कीस

तृतीय पंचवर्षीय योजना

(कुछ विचार)

राजस्थान में द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल १०५ करोड़ रुपये (अजमेर सहित) व्यय की व्यवस्था की गई थी। अनुमान है कि राज्य सरकार योजना की समाप्ति तक लगभग १०० करोड़ रुपये ही व्यय कर सकेगी। इसमें राजस्थान नहर तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ की जाने वाली अन्य योजनाएँ सम्मिलित नहीं हैं।

औसत आय में वृद्धि—राजस्थान राज्य की तृतीय पचवर्षीय योजना-जो कि बहुमुखी अर्थव्यवस्था पर आधारित होगी-यहा के प्रति व्यक्ति की औसत आय में वृद्धि करने में सहायक होगी जिसके फलस्वरूप राजस्थान के प्रति व्यक्ति की आय देहली व पूर्वी-पञ्जाब के पड़ौसी राज्यों के प्रति व्यक्ति की आय के बीच का अन्तर कम से कम किया जा सकेगा। सन् १९५०-५१ में राजस्थान के प्रति व्यक्ति की वार्षिक औसत आय २३२ रुपये आंकी गई थी जो कि सन् १९५५-५६ में २८२ रुपये हो गई। इससे स्पष्ट है कि प्रथम पचवर्षीय योजना में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में २१.६ प्रतिशत वृद्धि हुई है। आशा की जाती है कि द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रति व्यक्ति आय बढ कर ३३५ रुपये हो जायगी, जबकि पञ्जाब एव दिल्ली राज्यो में यह अनुमानतः क्रमश. ४४८ रुपये तथा ४९६ रुपये होगी। राजस्थान, प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में केवल पश्चिमी बगाल, पूर्वी पञ्जाब, मध्य-प्रदेश, बम्बई तथा दिल्ली राज्यो से पीछे रहेगा—ऐसा अनुमान है।

कृषि को प्राथमिकता—आशा है राजस्थान की तृतीय पचवर्षीय योजना में कृषि प्राथमिक उद्योग होगा और अन्य औद्योगीकरण इसके बाद में होगा। राजस्थान के विकास के सम्बन्ध में एक तथ्य महत्वपूर्ण है। यह स्मरण

रखा जाना चाहिए कि राजस्थान का औद्योगिक विकास आवश्यक रूप से कृषि से सम्बद्ध है। उद्योगो के लिए कच्चे माल व सस्ते शक्ति के साधनो की विशेष रूप से आवश्यकता पडती है। सस्ती जल-विद्युत उन बहुउद्देशीय परियोजनाओ ने प्राप्त होगी जो प्रारम्भ में राज्य में कृषि योग्य भूमि की सिचाई के लिए आरम्भ की गई हैं। इस प्रकार राज्य में औद्योगिक विकास यहाँ की कृषि की उन्नति पर निर्भर रहेगा। अनुमान है कि कृषि के क्षेत्र में २० लाख एकड अतिरिक्त भूमि में कृषि आरम्भ होगी जिससे १५ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्नो का उत्पादन हो सकेगा।

रेगिस्तानी क्षेत्र उपेक्षित न रहेगा—राजस्थान के लिए कोई भी योजना वास्तविक एव अपूर्ण होगी यदि इसके पश्चिम में लगभग ७ हजार वर्गमील के क्षेत्र की ओर ध्यान नही दिया जाय, जहा चरागाहो के अभाव में डेरी उद्योग का विकास भी नही हो सकता। इस क्षेत्र में पानी का बहुत महत्व है। आशा है, इस क्षेत्र को तृतीय पचवर्षीय योजना काल में पानी प्राप्त हो जायगा और अगले १५ वर्षों में राजस्थान नहर द्वारा इस भाग की लगभग ४० लाख एकड भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। इस क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सफलता के परिणामस्वरूप राज्य के उन अधिकाश लोगों को समृद्धि उपलब्ध होगी, जो प्रकृति द्वारा अब तक उपेक्षित समझे गये हैं।

बुनियादी उद्योगों को प्राथमिकता—राज्य की योजना बनाने वालों को यह नही भुलाना चाहिये कि तृतीय पचवर्षीय योजना में यद्यपि कृषि परि-योजना प्राचुर्य की अर्थ-व्यवस्था पर आधारित होगी तथापि अन्य सम्पन्न राज्यों का मुकाबला करना तब तक कठिन होगा जब तक राज्य के निजी क्षेत्र में बुनि-यादी उद्योग की स्थापना न की जाय।

रोजगार की स्थिति—अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य सभी को रोजगार उपलब्ध कराना है। राजस्थान के विषय में अनुमान लगाया गया है कि तृतीय योजना के समाप्त होने तक यहा के शहरी श्रमिको की सख्या १५ हजार से १८ हजार हो जायगी तथा शहरी बेरोजगारो की सख्या १.४० लाख के स्थान पर १.७० लाख हो जायगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी ५ लाख श्रमिकों की वृद्धि होने का अनुमान है। स्थूल रूप से, तृतीय योजना की अवधि में राज्य की बढती

हुई श्रमिक संख्या की खपत को पूरा करने तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए ९ लाख नये रोजगार उत्पन्न करने होंगे। आशा है कि खनिज एवं निर्माण उद्योगों के विस्तार, यातायात, सिंचाई, कृषि तथा शिक्षा आदि के विकास से रोजगारों की संख्या में यह वृद्धि सम्भव हो सकेगी। अकेले शिक्षा के क्षेत्र में ही ६० हजार शिक्षित व्यक्ति खप जावेंगे। खनिज उद्योग में १ लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को काम मिल सकेगा। सिंचाई कार्यों, सड़कों तथा आवास गृहों के निर्माण के लिये भी श्रमिकों की आवश्यकता होगी। सरकारी नौकरी, यातायात एवं व्यवसाय के द्वारा लगभग ६.२५ लाख नये रोजगार उत्पन्न किये जा सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में वृद्धि होने से भूमिहीन श्रमिकों को काम मिल सकेगा।

अन्तिम विचार—तृतीय पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक धन सिंचाई एवं बिजली के विकास तथा उससे कुछ कम राशि कृषि एवं सामुदायिक विकास पर व्यय किया जाना चाहिए। इसके पश्चात् क्रमशः सड़कों के विकास और जन स्वास्थ्य एवं उद्योगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राज्य में विकास कार्यों के क्रियान्वयन की प्रणाली के सुधार का कार्य द्वितीय योजना में आरम्भ हो चुका है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण योजना के लागू होने से जनता की आवश्यकताओं के आंकने और आवंटित धन को उपयुक्त रूप से व्यय करने में जनोत्साह बहुत सहायक होगा।

यही नींव है जो राज्य की दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में लगाई जायगी और इसी पर राजस्थान की जनता की समृद्धि एवं सुख का भवन खड़ा होगा।

अध्याय : बाईस

राजस्थान में समाजवाद की स्थापना का प्रश्न

हमारे देश ने समाजवादी ढग की समाज व्यवस्था के लक्ष्य को स्वीकार किया है। इस प्रकार की समाज-व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत सरकार ने देश की उत्पादन-शक्ति को विशेष कार्यक्रम अथवा आयोजन के द्वारा विकसित करने का निर्णय भी कर लिया है। लक्ष्य-निर्धारण एव विकास की योजना के मुख्य पहलुओ को बना लेने के पश्चात् सबसे बडा प्रश्न शेष रह जाता है कि अखिल भारतीय समाज-व्यवस्था के निर्माण में भारत के भिन्न भिन्न प्रदेश किस विशेष आर्थिक-उत्पादन-प्रणाली के माध्यम से समाजवाद की स्थापना में सहायता प्रदान कर सकेंगे और इसी व्यवहारिक एव जन-समाज से सीधे सम्बन्धित-स्वरूप का अध्ययन करते समय राजस्थान में समाजवाद की स्थापना का प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि बगाल, बिहार या बम्बई जैसे राज्यो की जो आर्थिक अथवा औद्योगिक परिस्थितिया है—वे राजस्थान में उसी रूप में नही हैं, अत. समाजवाद की ओर अग्रसर होने में भी प्रत्येक राज्य की वर्तमान परिस्थितिया ही भविष्य के कार्यक्रम को निर्धारित करेंगी। प्रस्तुत अध्याय में भारत की द्वितीय पचवर्षीय योजना के लक्ष्य की पृष्ठभूमि के आधार पर राजस्थान की इस समस्या की विवेचना करने का प्रयास किया गया है।

आर्थिक विकास की जटिलतायें—सर्वप्रथम भारत की पंचवर्षीय योजना एवं समाजवाद की स्थापना के सम्बन्ध पर थोडा प्रकाश डालना [illegible] होगा। इगलैंड के एक प्रमुख अर्थशास्त्री जोन स्टेची कुछ समय पूर्व भारत की आर्थिक समस्याओ को हल करने के लिए यहा आये थे जिन्होने भारतीय आर्थिक विकास की जटिलताओं का उल्लेख करते हुए यहा की परिस्थिति के वर्णन में निम्नलिखित चार प्रमुख बातें* बतलाई हैं।

---

* 'Encounter', October 1956

(१) भारत ने अब निश्चयरूप से बुनियादी (Basic) औद्योगीकरण का कार्य आरम्भ कर दिया है।

(२) अनुमानतः लगभग १५ वर्षों में भारत किन्हीं अंशों में एक औद्योगिक देश हो जायगा।

(३) उस समय तक (लगभग सन् १९७१ तक) भारत मुख्यरूप से एक समाजवादी समाज का निर्माण भी कर लेगा, विशेषतः इस दृष्टिकोण से कि भारत के बड़े उद्योगों का स्वामित्व सार्वजनिक या सामाजिक बन जावेगा।

(४) किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि भारत का औद्योगीकरण होगा और उसका रूप सामाजीकरण के आधार पर बनेगा–परन्तु जटिल समस्या यह है कि बडे उद्योगो की स्थापना के साथ साथ समाजीकरण की प्रक्रिया में भारत अपने आज की जनतांत्रिक परम्परा अथवा नीति को इसी प्रकार कायम रख सकेगा अथवा नही।

श्री जोन स्ट्रेची की उपरोक्त चार बातों मे हमें समाजवाद की स्थापना की दृष्टि से तीन समस्याओ का सकेत मिलता है—(१) औद्योगीकरण; (२) बडे उद्योगो का सार्वजनिक स्वामित्व; और, (३) उद्योगो के समाजीकरण के दौरान में प्रजातंत्रीय राज्य शासन की सुरक्षा। इन तीनों बातो का द्वितीय पचवर्षीय योजना में स्थान है। यहा पर, भारत सरकार की सन् १९४८ तथा सन् १९५६ की औद्योगिक नीतियो की घोषणाओ के विषय में भी हम थोडी चर्चा करेगे। सन् १९४८ की औद्योगिक नीति में उद्योगों के निजी स्वामित्व को कल्याणकारी राज्य की आवश्यकताओ के अनुकूल बढाने का निश्चय किया गया था। किंतु इस नीति को सन् १९५६ की औद्योगिक नीति घोषणा में बदल दिया गया। सार्वजनिक स्वामित्व के उद्योगो का पृथक नियमन कर दिया गया तथा निजी पूंजी का अपना विशेष क्षेत्र निश्चित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में १७ बुनियादी* उद्योगों की स्थापना का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। किन्तु

* ये १७ उद्योगो के नाम इस प्रकार हैं—(१) अस्त्र शस्त्र और रक्षा के अन्य सामान, (२) अणुशक्ति, (३) लोहा और इस्पात, (४) हैवी कन्सट्रक्शन के माल, (५) खनिज उद्योग, मशीन निर्माण और इसी प्रकार के अन्य उद्योग,

इन १७ उद्योगों की सूची में आने वाले पहिले से स्थापित कारखानों को निजी-पूंजी के अन्तर्गत ही चलते रहने देने का निर्णय लिया गया, जैसे इस्पात का उत्पादन अब सार्वजनिक (अर्थात सरकारी) क्षेत्र में होगा, किंतु टाटा के कारखाने पर सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करेगी। इनके अतिरिक्त नई औद्योगिक नीति में ११ उद्योगो का और उल्लेख है जिनमें सार्वजनिक पूंजी का हिस्सा अधिक रहेगा। वस्तुतः ये कारखाने ही देश की आर्थिक प्रगति के मूल में होगे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय पच-वर्षीय योजना में बुनियादी कारखानों की सार्वजनिक-स्वामित्व क्षेत्र में स्थापना पर जोर दिया जा रहा है और समाजवाद की स्थापना के लिए बड़े उद्योगो की (सार्वजनिक क्षेत्र में) स्थापना को आवश्यक माना गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही निजि-पूंजी को भी पूर्ण सुविधा देने की व्यवस्था की गई है जिससे दोनो क्षेत्रो का संतुलित विकास भी होता रहे और जनतत्रीय व्यवस्था में भी बाधा न पहुंचे।

समाजवाद स्थापना में कृषि का महत्व—अखिल भारतीय आर्थिक परिस्थितियों में कृषि का भी विशेष महत्व है क्योंकि अभी हमारे राष्ट्र का सर्वाधिक आर्थिक कार्य का भार इसी उत्पादन पर निर्भर है। स्वतंत्रता की प्राप्ति व साथ ही भारत में जमीदारी एवं जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन संबंधी कार्य हुए। यद्यपि जमींदारी तथा जागीरदारी के उन्मूलन का कार्य कानूनी दृष्टि से पूरा हो गया किन्तु अभी तक उससे आर्थिक-सम्बन्धों में बहुत बड़ा व्यवहारिक अन्तर नही बन पाया है। किन्व उसका प्रभाव अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हमारे कृषि उत्पादन में भी इस समय अनेक समस्याए हैं जिनका सीधा प्रभाव हमारी समाजवाद की कल्पना पर पडता है। समाजवाद का स्थूलरूप में अर्थ होता है कि उत्पादन के साधनो पर समाज का अधिकार हो।

---

(६) बडे विद्युत प्लाट, (७) कोयला, (८) खनिज तेल, (९) कच्चा लोहा, मैगनीज, जिप्सम, सोना और हीरा, (१०) तावा, जस्ता, रागा और टिन, (११) अणुशक्ति सम्बधी खनिज पदार्थ, (१२) वायुयान, (१३) हवाई यातायात, (१४) रेलवे यातायात (१५) जहाज निर्माण, (१६) टेलीफोन और उसके तार, टेलीग्राफ बेतार का तार (रेडियो के अतिरिक्त) और, (१७) बिजली उत्पादन और वितरण

जमीदारी व जागीरदारी के बंधनों को तोड दिया गया है—किंतु अभी तक जनतान्त्रिक स्वरूप बनाए रखने के लिए जो मुआवजा दिया जा रहा है, उससे हमारे राष्ट्रीय आर्थिक सबधों में विशेष अन्तर नही आयेगा।

कृषि उत्पादन की समस्या—हमारे कृषि उत्पादन की समस्या का मूल जागीरदारी या जमीदारी में तो था ही—किंतु उसके अतिरिक्त भी अनेक समस्याए थी जिन्हें हम स्थूलरूप से पाच भागों में बाट सकते हैं—(१) बंटवारे के कारण छोटे छोटे अनुत्पादक जमीन के टुकडे, (२) कृषकों की ऋण-ग्रस्तता, (३) उत्पादन के प्राचीन एवं अवैज्ञानिक यत्र, (४) अच्छे बीज व खाद की समस्या, और, (५) भूमि का विषम बटवारा—जमीन का मालिक कोई और व्यक्ति तथा कृषि करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति।

कृषि सबंधी इस भारतीय स्थिति में समाजवाद या उत्पादन पर समाजिक नियंत्रण प्रारम्भ करना एक जटिल प्रश्न हैं। कृषको से भूमि का अधिकार छीनना आज सभव नही है। दूसरी ओर किसानों में भूमि का बहुत विषम बटवारा भी है—भारत में ६५ प्रतिशत से अधिक व्यक्ति खेतीहर मजदूर हैं। किंतु समाजवाद में यह स्थिति नहीं चल सकती। इन आर्थिक उत्पादन के क्षेत्र में किस प्रकार उत्पादन के साधनो पर सामाजिक अधिकार प्राप्त किया जाय—यह भी एक कठिन प्रश्न है।

राजस्थान में समाजवादी व्यवस्था का प्रश्न-औद्योगिक दृष्टिकोण—

इस पृष्ठभूमि में हमें राजस्थान की आर्थिक-सम्पत्ति, उसकी प्रचलित उत्पादन प्रणाली एव उस पर सामाजिक प्रभुत्व प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार करना है। राजस्थान में जहां तक बुनियादी कारखानों का प्रश्न है—यहा चम्बल एवं भाखरा-नागल से प्राप्त विद्युत उत्पन्न का कार्य ही उस कोटि के अन्तर्गत आ सकते हैं। इन दोनो स्थानो पर राजस्थान का पूरा-पूरा हिस्सा नहीं है—बल्कि क्रमशः मध्य प्रदेश एव पजाब सरकार के साथ राजस्थान का अपना कुछ हिस्सा है। इस उद्योग का स्वामित्व निश्चित ही सरकार के हाथ में है। इनके अतिरिक्त राजस्थान में बुनियादी कारखानो की दृष्टि से जैसलमेर में यदि तेल मिल जाता है तो कुछ विकास सभव है।

कच्चा लोहा भी हमारे राजस्थान में बहुतायत से उपलब्ध है जिस पर अभी तो निजी पूंजी का अधिकार है किंतु केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार सरकार का ही उस पर धीरे धीरे नियन्त्रण किया जायेगा।

औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान में निश्चय ही अधिक कारखाने नहीं हैं। कुछ कपडे की मिलें, शक्कर के, तेल के, हड्डियो के चूरे, काच, सीमेंट, जिनिंग व प्रेसिंग आदि के कुछ कारखाने राज्य में हैं किन्तु राज्य का विस्तार देखते हुए इनकी संख्या बहुत ही कम है। प्रायः सभी कारखानों पर निजी पूंजी का अधिकार है और भारत सरकार की नीति के अनुसार इन सर्व कारखानो में निजी पूंजी ही रहेगी।

उपरोक्त औद्योगिक स्थिति के विवेचन से हमें दो बातें ज्ञात होती हैं—प्रथम, हम औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, और द्वितीय, यदि हम राजस्थान का औद्योगिक विकास चाहते हैं तो अभी बहुत समय तक हमें निजी पूंजी को आमन्त्रित करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी (अर्थात् सार्वजनिक) क्षेत्र सरकार अपनी आय में से कुछ विशेष खर्च नही कर सकते। हम राजस्थान में समाजवाद की स्थापना की समस्या पर विचार करते हुए औद्योगिक रूप से विकसित अन्य राष्ट्रों के अनुभवों से लाभ उठा सकते हैं, किंतु उन्हीं के अनुकूल स्वयं का कार्यक्रम नही बना सकते।

कृषि का दृष्टिकोण—उद्योगों को निजी-पूंजी के क्षेत्र में छोड़ देने के पश्चात् राजस्थान के आर्थिक-उत्पादन क्षेत्र में केवल कृषि एव तत्सबधी वस्तुओं का उत्पादन ही शेष रह जाता है। राजस्थान की अधिकाश जन संख्या कृषि तथा उससे सबन्धित उद्योगों पर अवलंबित है। अभी राजस्थान में जागीरदारी का अन्त हुए बहुत समय नही हुआ है। परन्तु पुराने आर्थिक सबन्ध आज भी बहुत सीमा तक चले आ रहे हैं। ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष कृषक अपने अधिकारो के प्रति अधिक जागरूक बन रहा है। जागीरदारी उन्मूलन एव अन्य भूमि सुधारो के कानूनों से कृषको को अनेक नवीन अधिकार मिले हैं, किंतु ऐसे कृषको की सख्या आज भी बहुत है जिनके पास भूमि नहीं है और वे दूसरो की भूमि पर मजदूरी करते हैं। जिन कृषकों के पास स्वयं की थोड़ी बहुत जमीन है वह पारिवारिक बटवारे के कारण अनुत्पादक बन चुकी है। खुदकाश्त के

नाम से मिली हुई जमीनों पर निजी-स्वामित्व है और आशा है ऐसी पर्याप्त समय तक परिस्थिति रहेगी।

इस प्रकार जागीरदारी उन्मूलन से किसानों का दुहरा–तिहरा शोषण समाप्त हो गया, किसानों के जीवन से जागीरी–जुल्म भी समाप्त हो गया किन्तु अभी तक भूमि का विषम बंटवारा समाप्त नहीं हुआ और आज भी समस्त भूमि सरकार अथवा वैयक्तिक जायदाद के अन्तर्गत आती है। जमीन पर अभी-'जो जोतता है, उसकी की भूमि' का सिद्धात स्वीकार नहीं किया गया है। सरकार फसल का 1/6 भाग अथवा निश्चित लगान लेती है।

समाजवादी रूप में परिवर्तन—कृषि की उपर्युक्त अवस्था को देखते हुए, राजस्थान में इस उत्पादन के विशेष प्रकार के वैयक्तिक सम्बन्धों को बदल कर समाजवादी रूप में ढालना है। वैसे तो जमीन पर सरकार का अधिकार है—अर्थात समाज का ही अधिकार हुआ। और इधर किसान द्वारा लगान देना उस पर उत्पादन करना है—तथा उत्पादित वस्तु का कुछ भाग सरकार को देता है। तब तो समाजवादी रूप चल ही रहा है—यह शंका मन में उठती है। किंतु यह सोचना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस स्थिति में जमीन पर अधिकार एक व्यक्ति का मानना पड़ता है जिससे कि भविष्य में किसी एक के हाथ में पूंजी जमा होने का खतरा बना रहता है और उस पर नियत्रण रखना कठिन है। दूसरी बात यह है कि वैयक्तिक पूजी के मोह का बीज जो किसान में रहता है—वह हमेशा बना रहेगा और इस प्रकार हम कभी भी किसान को उत्पादन के साधनों पर सामाजिक अधिकार की बात को नहीं समझा सकेंगे। तीसरी बात यह है कि आज खेती–बाडी में नयी नयी मशीनों के कारण हमारे देश के छोटे-छोटे खेत उत्पादन की दृष्टि से व्यर्थ बन गये हैं अतः खेतो के क्षेत्र को विस्तृत करके ही, राजस्थान के ऐश्वर्य में वृद्धि कर सकते हैं।

राजस्थान की द्वितीय पचवर्षीय योजना और समाजवाद—इस स्थान पर राजस्थान की द्वितीय पच-वर्षीय योजना के विषय में भी कुछ चर्चा करना आवश्यक प्रतीत होता है जिसमें सबसे अधिक व्यय कृषि व उससे सबधित मदों पर ही करने का निर्णय किया गया है। समाजवाद की स्थापना के लिए जहा यह आवश्यक है कि जनता के पारस्परिक सहयोग के आधार पर उत्पादन

के साधनों पर सामाजिक अधिकार प्राप्त किया जाय—वहा यह भी आवश्यक है कि उत्पादन के साधन तीव्र गति से विकसित किया जाय।

यदि इन नए साधनो में विकास की गति धीमी रही तो समाजवाद की स्थापना में भी देर लगेगी। इसका व्यावहारिक पक्ष हमें तब देखने को मिलता है जब गंगानगर, सूरतगढ़ और बीकानेर के अन्य रेतीले भागों में नहरें (गग नहर व शाखाएं) आकर उन्हे सीचकर हरा-भरा बना देती हैं। इसी प्रकार चंबल, जवाई तथा अन्य बाघ राजस्थान की कृषि में धीरे धीरे एक क्रातिकारी परिवर्तन उपस्थित कर रहे हैं, और पुराने आर्थिक सम्बन्धो के स्थान पर नए विकसित सम्बन्धों का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही यहा राजस्थान नहर का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिससे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर व बीकानेर का बिल्कुल रेतीला भाग भी सीचा जा सकेगा। इन विकासमय योजनाओ के आधार पर ही जमीन पर सामाजिक अथवा पारस्परिक सहयोगी आर्थिक सम्बन्धो का निर्माण किया जा सकता है।

कुछ विचार—इस प्रकार हम कृषि उत्पादन के तीन सम्बन्धो के क्रम को समझना चाहेंगे—(१) स्वामित्व की दृष्टि से भूमि की स्थिति, (२) उत्पादन के साधनों में प्रगति, जिसके कारण पुराने 'स्वामित्व' की सीमाएं टूटती हैं या टूट रही हैं और (३) साधनो की प्रगति एवं स्वामित्व के सघर्ष को जनवादी ढग से सुलझाने का प्रयत्न। राजस्थान में आज हम तीसरे क्रम में से निकल रहे हैं और विकास की गति को तीव्र करने के लिए दूसरे सम्बन्ध को अधिकाधिक प्रयोग करना चाहते हैं।

हमारा विचार है कि राजस्थान में समाजवाद की स्थापना का तात्पर्य है राजस्थान के आर्थिक सम्बन्धो में आमूल परिवर्तन लाना और ये आर्थिक सम्बन्ध मुख्य रूप से हमारे कृषि-उत्पादन पर निर्भर करते हैं। अतः हमें आने वाले काफी वर्षों तक इस प्रकार की योजना अपनानी है कि जिससे हम सीधे खेतिहर-राज्य से प्रगतिपूर्ण औद्योगिक समाजवादी राज्य में बदल सकें। इस समय हमारा समाजवाद का प्रश्न उद्योगो से सम्बन्धित न होकर केवल कृषि से सम्बन्धित हो सकता है, किन्तु कृषि एव नए उद्योगो के सम्बन्धों को भी वैज्ञानिक समाजवादी प्रणाली के आधार पर हमें विकसित करने पड़ेगे।

इस समय राजस्थान सरकार (केन्द्रीय सरकार की सहमति एवं मार्ग-प्रदर्शन से) कृषि-उत्पादन में सहकारिता को बढ़ाने का उपक्रम कर रही है, वह ही समाजवादी कृषि सम्बन्धों को उत्पन्न करने में सफल हो सकती है। साथ ही समाजवाद केवल आर्थिक परिवर्तन ही नहीं है—वह आर्थिक परिवर्तन के साथ मनुष्य के रचनात्मक मूल्यों में भी परिवर्तन उपस्थित करती है। उसके लिए हमारे सामुदायिक विकास खण्ड एव राष्ट्रीय सेवा खण्ड प्रयत्न कर रहे हैं।

यह सब होते हुए भी आज आवश्यकता इस बात की भी है कि राजस्थान के अर्थशास्त्री राजस्थान में आर्थिक विकास के ऐतिहासिक क्रम के आधार पर राजस्थान के भावी समाजवादी रूप को पाने के प्रयत्नों को खोजने का प्रयास करे। समाजवाद केवल शब्द ही नहीं है, वह मनुष्यों के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एव शासन सम्बन्धी सम्बन्धो की व्यवस्था का एक नाम है, उसके हजारों, लाखो व्यवहारिक पक्ष हैं और यदि हमको वास्तव में राजस्थान को एक समाजवादी भारत की इकाई बनाना है तो इस प्रश्न पर गम्भीरता से सोचना होगा।*

---

* 'विकास' से आभार

परिशिष्ट

विभिन्न परीक्षाओं के कुछ प्रश्न

R A. S. Examination

General Knowledge & Everyday Science

1 Give the geographical data relating to Rajasthan, required under the following heads :

(a) Area in Square miles; Population; Density of population per square mile; percentage of literacy.

(b) Boundaries and bordering States

(c) Agricultural crops

(d) Principal mineral resources and industries.

(e) Administrative Divisions with names of Districts. (1955; Q. 7)

2. State and explain the main features of Rajasthan's Second Five Year Plan (Econ II, 1956, Q. 10)

3 Give the names of six well known lakes, water dams and three unique temples in Rajasthan, stating the districtwise location in each case.

Which is the best known canal in Rajasthan ? When and by whom was it constructed ?

(1957; Q. 9)

4. Name the earlier Indian States which constitute the present State of Rajasthan (1958; Q. 6 a)

5. What is the share of Rajasthan out of the development outlay for the States ? (1958; Q. 8 b)
6. Name any three major development schemes being executed in Rajasthan. (1958; Q. 8 c)

B. A. Examination
Economics III Paper

7. Write a note on the mineral & industrial resources of Rajasthan. What suggestions have you to offer to the government for fully utilising these resources ? (1955; Q. 2)
8. Write a note on cottage industries of Rajasthan and give your suggestions to rehabilitate the same. (1955; Q. 7)
9. Write a note on Land Reforms in Rajasthan since integration (एकीकरण) of Indian States (1957; Q. 1)
10. Write a critical note on the progress of the abolition of Zamindari and Jagirdari systems in Rajasthan (1958, Q. 7)
11. Review the progress of Land Reforms in India since independence, with particular reference to Rajasthan. (1959; Q 5

B. Com. Commercial Geography

12. Write geographical account of Rajasthan with reference to distribution of population and trade centres. (1957; Q. 8)

13. Write an account of the geographical site and discuss the commercial/industrial importance of Jaipur. (1958; Q. 3)
14. Describe the irrigation facilities available in Rajasthan. To what extent are these facilities likely to increase within the next few years? (1958; Q. 4)
15. Discuss the prospects of a large-scale Glass Industry in Rajasthan (1959; Q. 5)
16. Why are millets the ruling crop in Rajasthan than in the Punjab? Discuss. (1959; Q. 6)

B. Com. Languages I

17. बृहद उद्योग विकास की राजस्थान में सम्भवता (पंचवर्षीय योजना के आधार पर)। (1957; Q. 2)
18. Write an essay on 'Industrial Resources of Rajasthan. (1954; Q. 1 (e))
19. Write an essay on 'Land Reforms in Rajasthan' (1953; Q. 1 (c))
20. Write an essay on 'Power Resources and their utilisation in Rajasthan (1952; Q. 1 (c))
21. Write an essay on 'Rural Development in Rajasthan. (1951; Q. 1 (c))

B. Com. Econ. Development

22. In what ways can multi-purpose cooperative societies benefit the peasantry of Rajasthan? (1956; Q. 8)

I. COM. COMMERCIAL GEOGRAPHY

23. भारतवर्ष में कुटीर-व्यवसायों के उन्नत होने की सुविधाए कहा तक प्राप्त है ? राजस्थान के प्रमुख कुटीर-व्यवसायों के नाम लिखिए और उनमें से किसी एक की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य पर प्रकाश डालिए। (1958; Q. 6)

24. राजस्थान की खनिज-सम्पत्ति का विवरण दीजिए। (1957; Q.3)

25. राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन काम में लाये जाते हैं ? राजस्थान में बनाये जाने वाली सिंचाई की विभिन्न योजनाओं का विवरण दीजिए। ये योजनायें पूरी हो जाने पर राजस्थान के कौन कौन से भाग को लाभ पहुंचेगा ? (1956; Q. 4)

26. राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश का आर्थिक भूगोल संक्षेप में वर्णन कीजिए। (1953; Q 2)

27. भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों का विवेचन कीजिए। आप इनमें से राजस्थान के लिए कौन सा साधन उपयुक्त समझते हैं ? कारण बतलाइये। (1952; Q. 7)

28. भारत में सिंचाई के विकास होने के कारण विस्तार में बतलाइये। राजस्थान में सिंचाई के विकास होने के लिए आपके क्या सुझाव हैं ?
(1950; Q 3)

I. COM. INDUSTRIAL ORGANISATION

29. राजस्थान के कुटीर उद्योग एवं उनके विकास पर एक लेख लिखिए। (Paper I, 1957, Q. 10)

30. राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन की असन्तोषजनक प्रगति के क्या कारण हैं ? इसके विकास के सुझाव दीजिए।
(Paper II, 1955, Q. 12)

31. यदि आप राजस्थान के कृषि मन्त्री नियुक्त कर दिये जावे तो आप कौन कौन से कुटीर एव लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे और क्यों ?
(Paper II, 1955, Q. 14)

32. राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्यों है ? राजस्थान में कौन कौन से उद्योगों का विकास किया जा सकता है और क्यों ?

(Paper I, 1955, Q. 7)

33. राजस्थान में कुटीर उद्योगों का विकास क्यों हुआ ? कुछ अन्य कुटीर उद्योगों के नाम लिखिए, जो आपकी राय में, राज्य में स्थापित करना लाभप्रद होंगे। (Paper I, 1954, Q. 9)

34. सिंचाई के लाभ बताइये। राजस्थान सरकार द्वारा बनाई जाने वाली कुछ सिंचाई-योजनाओं का उल्लेख कीजिए।

(Paper II, 1954, Q 3)

35. राजस्थान के औद्योगिक रूप से पिछड़े होने के क्या कारण हैं ? स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव दीजिए। (Paper I, 1953, Q. 2)

36. राजस्थान के प्रमुख कुटीर-उद्योग कौन कौन से है ? इनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए ?

(Paper I, 1952, Q. 10)

37. राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्यो है ? राजस्थान में कौन कौन से उद्योगों का विकास किया जा सकता है और क्यो ?

(1951; Q. 4)

38. राजस्थान के भावी औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं की विवेचना कीजिए। (Paper I, 1950, Q. 10)

I. Com. Banking

39. 'राजस्थान में बैंकिंग विकास' का संक्षिप्त विवेचन कीजिए।

(Paper II, 1956, Q. 9)

Higher Secondary Com. Geog.

40. संक्षेप में चंबल योजना और राजस्थान नहर योजना का विवरण दीजिए। इन योजनाओं के संभावित लाभ भी बतलाइये। (1959; Q. 4)

41. निम्नलिखित नगरों का संक्षिप्त विवरण दीजिए :—
जोधपुर, बीकानेर। (1959; Q. 7)

HIGHER SECONDARY OPTIONAL GEOG. II

42. राजस्थान राज्य का भौगोलिक वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिये।
(1958; Q. 6)

43. राजस्थान में जनसंख्या के वितरण को बताते हुए यह समझाइये कि यहा पर भौगोलिक परिस्थितियों और जनसंख्या के वितरण में क्या सम्बन्ध है? (1958; Q. 7)